



# **The Indian Law Institute**

(Deemed University)

Bhagwan Das Road, New Delhi – 110 001

**63<sup>rd</sup> ANNUAL REPORT**  
**2019 - 2020**



---

# **63<sup>rd</sup> ANNUAL REPORT**

## **2019 - 2020**



# **THE INDIAN LAW INSTITUTE**

**(Deemed University)**

**Bhagwan Das Road, New Delhi – 110 001**

**01-04-2019 TO 31-03-2020**

**Phones : 23387526, 23382190,  
23386321, 23389429  
Telefax : 011-23386321/ 23782140**

**E-mail: [ili@ili.ac.in](mailto:ili@ili.ac.in)  
Website: <http://www.ili.ac.in>**

---



---

# CONTENTS

---

I.	The Indian Law Institute .....	1
II.	President .....	4
III.	Director .....	4
IV.	Registrar.....	4
V.	Meetings of The Committees .....	4
VI.	Membership.....	5
VII.	State Units of The Indian Law Institute.....	5
VIII.	Distinguished Fellows.....	6
IX.	Honorary Professors .....	6
X.	Publication.....	7
XI.	Academic Programmes .....	9
XII.	Activities at The Institute.....	10
XIII.	Special Events.....	30
XIV.	Faculty Activities .....	31
XV.	Staff Activities .....	37
XVI.	Forthcoming Activities .....	37
	Seminar / Workshops / Conference / Summer Course.....	
	Outreach Programmes (NHRC) .....	
	List of Governing Council Members of ILI .....	38
	Members - Executive Committee .....	40
	Annual Financial Statements (Financial Year 2018-19).....	41

---

## विषय सूची

I.	भारतीय विधि संस्थान .....	63
II.	अध्यक्ष .....	66
III.	निदेशक .....	66
IV.	रजिस्ट्रार.....	67
V.	समिति की बैठकें .....	67
VI.	सदस्यता.....	67
VII.	भारतीय विधि संस्थान की राज्य ईकाइयां .....	68
VIII.	प्रतिष्ठित फैलोज.....	69
IX.	मानद प्रोफेसर.....	69
X.	प्रकाशन .....	70
XI.	शैक्षणिक कार्यक्रम.....	72
XII.	संस्थान के कार्यकलाप .....	73
XIII.	विशेष घटनाएं.....	96
XIV.	संकाय कार्यकलाप .....	97
XV.	स्टाफ के क्रियाकलाप .....	103
XVI.	आगामी क्रियाकलाप .....	103
	सेमिनार/कार्यशालाएं/संगोष्ठी /ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम.....	
	भावी कार्यक्रम (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) .....	
	भारतीय विधि संस्थान की गवर्निंग कौंसिल के सदस्यों की सूची .....	105
	सदस्य - कार्यकारी समिति .....	107
	वार्षिक वित्तीय विवरणी वित्तीय वर्ष 2018-19 .....	109



## I. THE INDIAN LAW INSTITUTE

### The Institute

The Indian Law Institute (ILI) was founded in 1956 primarily with the objective of promoting and conducting legal research. It was established as a result of the efforts of the leading jurists of India for over a number of years. It is a truism that a sound legal order is the basis of a democratic society, because law is one of the major instrumentalities by which a society can hope to prosper and develop. There were many important reasons impelling the establishment of a national legal research centre. First, there was a need for reinvigorating legal research as the law, the legal research and the legal education had been neglected areas in India, both before and after Independence. Second, there was a need for a sustained institutionalized research encompassing projects requiring field studies and group thinking. Third, it was necessary to bring together different branches of the legal profession, namely, judges, lawyers and law teachers with a view to develop an integrated approach to law in society.

The objectives of the Institute are to cultivate the science of law, to promote advanced studies and research in law so as to meet the social, economic and other needs of the Indian people, to promote systematization of law, to encourage and conduct investigations in legal and allied fields, to improve legal education, to impart instructions in law, and to publish studies, books, periodicals, etc.

The Institute is an autonomous body registered under the Societies Registration Act, 1860. The autonomous character of the Institute and its independence ensure the requisite academic freedom to carry out its objectives and meaningful research. Its funds come mainly from the Government of India, Ministry of Law & Justice and also from membership fees and sale of its publications. The membership of the Institute is now nearly three thousand four hundred thirty two representing the persons interested in the study and advancement of law.

Hon'ble Chief Justice of India is the ex-officio President of the Institute. The Law Minister of Government of India is its ex-officio Vice President. Judges of the Hon'ble Supreme Court of India and High Courts, Lawyers, Government officials, Vice Chancellors, Deans and Professors of Law are represented in the Governing Council of the Institute.

### Deemed University

The Indian Law Institute was granted Deemed University status in 2004 vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-9/2001-U.3 dated 29.10.2004. Institute has been accredited with 'A' Grade (CGPA 3.35 out of 4.00) by NAAC in March 2017. After the visit and review by the UGC Expert Committee, the UGC approved the inclusion of Indian Law Institute u/s 12B of the UGC Act in June 2018. The Indian Law Institute was granted Grade II Autonomy by University Grants Commission on the basis of score accreditation.

After the declaration of the Indian Law Institute a Deemed University in the year 2004, the Institute launched research oriented LL.M. – 2 Year (Full Time) and Ph.D. Programmes. In the year 2009-2010, the institute introduced LL.M. – 3 year (Evening) programme. The Institute has introduced its flagship LL.M - 1-year (Full- Time) programme for the academic session 2013-14. The programme is designed in such a way that the students are equipped with comparative understanding of legal systems and concept of 'justice' in the globalized world. The Institute believes to create individuals who can play a significant role in evolving new concepts and interpretations best fitted with global practices when they join bar, bench or academic. The LL.M. Programmes covers important areas like International Trade Law, Intellectual Property Rights Law, Criminal Law, Human Rights and Judicial Administration. The peculiarity of the LL.M. course of the Indian Law Institute is in

the writing of research paper by students as an essential ingredient of the Programme. The idea is to help the students to acquire sufficient expertise in teaching and doing research simultaneously so that in future there may be a band of law teachers for universities and national law schools.

The Institute has Ph.D. programme. As of now, there are 26 scholars. The regulation is structured in such a manner that only a person with outstanding ability acquires the degree of Ph.D. from the Indian Law Institute.

The Institute conducts Post Graduate Diploma Courses in vital areas like Corporate Law and Management, Cyber Law, Intellectual Property Rights Law and Alternative Dispute Resolution (ADRs) etc. The P.G. Diploma Programmes have been attracting students from different segments of the society. Diploma in Corporate Law is recognized by the Government of India for jobs as Company Secretaries in companies having paid up share capital of less than rupees two crores. The courses in other Diplomas are structured in such a manner that the takers can engage themselves as practitioners/consultants. These courses are taught through latest techniques and methodology. The *syllabi* blending theory and practice help the students to acquire sufficient knowledge in the areas concerned. This makes them highly competitive and dynamic. The minimum qualification prescribed for admission to the P.G. Diploma Courses is a Graduate Degree recognized by Indian University.

The Institute also provide Online Certificate Courses of duration three months in “IPR and Information Technology in the Internet Age” and “Cyber Laws”.

## Building

The Institute was housed in the Supreme Court building till 1962. Later it constructed its own building opposite to Supreme Court at Bhagwan Dass Road, New Delhi on one and a half acre of land. The building is a magnificent structure, having four floors. The ground floor covers the Institute’s library, stack rooms for books,

Conference Halls, Seminar and class rooms and offices for the faculty, research and administrative staff. All classrooms & lecture halls were renovated. The class rooms and halls are equipped with latest audio gadgets and lighting arrangements needed for conducting seminars, training programmes and workshops in the Institute.

## Library

The Institute’s library is one of the leading law libraries in India and contains around 82,500 volumes. It receives about 190 current legal periodicals including serial publications. The library remains open from 9.00 a.m. to 8.00 p.m. on all working days and from 10.00 a.m. to 5.30 p.m. on Saturdays and from 10.00 a.m. to 4.00 p.m. on Sundays. The library remains closed on National and Gazette Holidays. Mezzanine Floor of the library remains closed on Sundays.

A separate wing of library issues books to the students of the Post Graduate Diploma and LL.M. programmes. The ILI Library has computerized its entire catalogue to provide access to the computerized information about the availability of books, journals, Commissions and Committees Reports and other publications with the help of OPAC and WEB OPAC. Separate collection of 5,000 books has been kept at the mezzanine floor of the main hall of the Library donated by the legal luminaries. Library enriched its collection by adding eBooks of various renowned publishers such as Oxford University Press, Cambridge University Press, Hart Publishing and Elgar Online.

The library subscribe the renowned databases i.e. West Law India, Lexis India, JSTOR, Hein Online, SCC Online, Manupatra, Economic and Political Weekly Online, The Laws, Taxmann.com, World e Book Library and South Asia Archive etc. The students/ users can access these databases through IP within the campus.

The Institute also deposits its Ph.D. theses in UGC-Shodhganga. The Institute theses can be accessed from Shodhganga Data Base. The Institute is also a part of National Digital Library of India and the digitized collection of the Institute is also





accessible through National Digital Library of India.

The library is well equipped to facilitate the visually impaired students with JAWS Talking Software, Pearl Instant Reader and Angel Pro Talking Digital Pocket Daisy Player, E- Book Reader, Music Player, Radio Cum Voice Recorder- All in One.

Library has Off Campus Access for its subscribed eResources, which is provided only to the authorized users of the Library. User IDs and passwords are provided to authorized users for accessing the E-Resources from remote locations. Library has Wi-Fi Technology. This facility is provided to our students bearing Laptop through campus intranet system. Previous year question papers for LL.M and various Diploma offered by the Institute are accessible through the website.

The Library organize training programme on Research management softwares and tools, Research ethics and plagiarism, content development, Library databases and Services.

### Legal Information Resource Centre (LIRC)

The ILI has set up a Legal Information Resource Centre with latest technology computers, heavy-duty printers with Wi-Fi Connectivity. All the computers have been equipped with facility to access all renowned legal databases. The legal information, which is retrieved by the Centre is relating to case laws, Constitutions, legislations, rules & regulations, Parliamentary debates, Commissions' & Committees' Reports, legal articles and rare documents. The retrieved information is provided through printouts and e-mails to readers. Legal Information Resource Centre (LIRC) remain closed on Saturdays and Sundays. The Anti Plagiarism Software- Turnitin is also available for the researchers for maintaining the research ethics and professional integrity.

### Digitization of ILI Publications and Rare Documents

The Indian Law Institute has digitized the ILI publications and rare documents of the library

The institute has released its publications, rare documents, law reports on the website for free and wider access. Digitized Material available on the Website includes *Journal of the Indian Law Institute* from 1958 to 2019, volume 1 to 60, *Annual Survey of Indian Law* from 1965 to 2018, Volume 1 to 52, *Index to Indian Legal Periodicals* from 1963 to 2016, volume 1 to 54, various Commission and committee reports, Indian law institute Publications, Rare documents, Federal Court Reports, Indian Law Reports- Allahabad, Bombay, Calcutta, Lahore, Lucknow, Madras, Patna and Rangoon from 1876 to 1940, Bengal Law Reports from 1868 to 1875, Weekly Reporter- Sutherland from 1887 to 1893, Indian High Court Reports- Calcutta, Bombay High Court Reports from 1862-1875 and Madras High Court Reports from 1862-1875. The link to access the collection is : <http://14.139.60.114:8080/jspui>.

### Publications

Apart from the publication of books, reports and studies of its research projects, the ILI has been publishing a quarterly *Journal of the Indian Law Institute* (ISSN No. 00019 5731) carrying research articles on topics of current importance. It is a very highly rated Journal of international repute. It is on exchange with over 117 Indian and foreign periodicals. Besides, the Institute brings out every year a very prestigious publication: *Annual Survey of Indian Law* (ISSN No. 0570 2666) in which the latest trends in every branch of law of importance is captured and presented. In addition, Indian Law Institute has introduced *ILI Law Review Journal* (Online Quarterly Journal) wherein articles of the students are also considered for publication (ISSN (Online) Number ISSN 0976 – 1489).

The ILI also publishes a Newsletter every quarter. Information on all the activities of the Institute as well as critical comments on important decisions handed out by the Supreme Court are regularly published for the benefit of members of the Institute/ legal fraternity.

## National Academic Depository

The Indian Law Institute has joined the digital depository in NAD through NSDL Database Management Limited for the purpose of Lodging, retrieving, authentication and online verification of Academic Awards in March 2018. It maintains the authenticity, integrity and confidentiality of academic awards.

## International Conference / Workshops, Summer Courses/ Training Programmes and Project Studies

The Institute organizes national and international seminars, conferences, summer courses, symposia, lectures and training programmes from time to time. The Institute also undertakes project studies from various government departments on important topics of law.

## II. PRESIDENT

During the period under report, the Institute had the honour of being headed by Hon'ble Mr. Justice Ranjan Gogoi (01.04.2019 to 17.11.2019) and Hon'ble Mr. Justice S.A.Bobde (18.11.2019 to 31.3.2020), Chief Justices of India in the ex officio capacity as President of the Institute.

## III. DIRECTOR

Professor (Dr.) Manoj Kumar Sinha was the Director of the Institute for the reporting period.

## IV. REGISTRAR

Shri Shreenibas Chandra Prusty was the Registrar of the Institute for the reporting period.

## V. MEETINGS OF THE COMMITTEES

The various committees constituted under the chairmanship of the Hon'ble Judges, Supreme Court of India during the period under report for the effective functioning of the Institute are hereunder:

S.No.	Name of the Committee	Chairman of the Committees
1.	Academic Council	Hon'ble Mr. Justice Sharad Arvind Bobde (1.4.2019 to 18.11.2019) Hon'ble Mr. Justice U.U.Lalit (3.12.2019 to 31.3.2020)
2.	Finance Committee	Hon'ble Mr. Justice L. Nageswara Rao
3.	Library Committee	Hon'ble Mr. Justice N. V. Ramana (1.4.2019 to 1.02.2020) Hon'ble Mr. Justice Ashok Bhushan (3.2.2020 to 31.3.2020)
4.	Building Committee	Hon'ble Mr. Justice Arun Mishra
5.	Membership Committee	Hon'ble Mr. Justice A.M. Khanwilkar

During the period under report, the different Committees of the Institute met on the following dates:

1.	Academic Council	26.08.2019
2.	Finance Committee	06.12.2019
3.	Library Committee	25.04.2019
4.	Membership Committee	14.09.2019
5.	Building Committee	03.02.2020

## VI. MEMBERSHIP

S. No.	Type of Membership	No. of Members as on 31.3.2020
1.	Founder	30
2.	Life	2766
3.	Ordinary	92
4.	Corporate	140
5.	Honorary	20
6.	Ex- Officio	241
	Total	3289

## VII. STATE UNITS OF THE INDIAN LAW INSTITUTE

**At present the following are the State Units of the ILI:**

- |   |  |
|---|--|
| <p>1. Allahabad State Unit of the ILI<br/>Allahabad High Court<br/>Allahabad, U.P. 211 001</p> <p>2. Andhra Pradesh State Unit of the ILI<br/>Hyderabad High Court<br/>Hyderabad 500 034</p> <p>3. Assam State Unit of the ILI<br/>Gauhati High Court<br/>Gauhati, Assam 781 001</p> <p>4. Chhattisgarh Unit of the ILI<br/>High Court of Chattisgarh<br/>Bilaspur, Chattisgarh 495 220</p> <p>5. Gujarat State Unit of the ILI,<br/>High Court of Gujarat,<br/>Ahmedabad Gujarat 380 060</p> <p>6. Himachal Pradesh State Unit of the ILI<br/>High Court of Himachal Pradesh<br/>Shimla, Himachal Pradesh – 171 001</p> <p>7. Jammu and Kashmir Unit of the ILI<br/>High Court of Jammu and Kashmir<br/>Srinagar, Jammu and Kashmir 190 001</p> <p>8. Karnataka State Unit of the ILI<br/>High Court of Karnataka,<br/>Bengaluru<br/>Karnataka 560 001</p> | <p>9. Kerala State Unit of the ILI<br/>High Court of Kerala<br/>Kochi, Kerala 682 031</p> <p>10. Maharashtra State Unit of the ILI<br/>High Court of Bombay,<br/>Mumbai, Maharashtra 400 032</p> <p>11. Orissa State Unit of the ILI<br/>Orissa High Court, Cuttack,<br/>Odisha 753 002</p> <p>12. Punjab and Harayana State Unit of the ILI<br/>Chandigarh 160 001</p> <p>13. Rajasthan High Court of the ILI<br/>Rajasthan High Court,<br/>Jodhpur Rajasthan 342 005</p> <p>14. Sikkim State Unit of the ILI<br/>High Court of Sikkim,<br/>Gangtok Sikkim 737 101</p> <p>15. Tamil Nadu Unit of the ILI<br/>Madras High Court,<br/>Chennai, Tamil Nadu 600 104</p> <p>16. Uttarakhand State Unit of the ILI<br/>High Court of Uttarakhand,<br/>Nainital, Uttarakhand 263 002</p> <p>17. West Bengal Unit of the ILI<br/>Calcutta High Court, Kolkata<br/>West Bengal 700 001</p> |
|---|--|

## VIII. DISTINGUISHED FELLOWS

The Indian Law Institute was honoured to have the following eminent persons as distinguished fellows of the Institute:

- Mr. Justice M.N Venkatachaliah

## IX. HONORARY PROFESSORS

The Institute is honoured by the association of the following scholars, who have shown keen

lively interest in Indian Law Institute and third world socio- legal developments:

- Dr. Rajeev Dhavan, Senior Advocate, Supreme Court of India, Formerly of the University of West London.
- Professor Clarence J.Dias, International Centre for Law in Development, New York.
- Professor Yash Ghai, Professor of Public Law, University of Hong Kong.
- Professor A.R Blacksheild, La Trobe University, Australia

### Visit of Honorary Professor



Professor Blackshield first visited India (in 1963) for a seminar on the teaching of jurisprudence in India (at Mount Abu, Rajasthan). His later visits included two periods of work at the Indian Law Institute (ILI) – in 1965 as a Ford Foundation Consultant, and in his second visit in 1997 when he was conferred Honorary Professor of the ILI and since then he has been associated with the ILI and takes interest in the academic activities of the ILI. Among his contributions to the *Journal of the Indian Law Institute*, his articles on “Fundamental Rights’ and the Institutional

Viability of the Indian Supreme Court” (in 1966) and on “Capital Punishment in India” (in 1979) were particularly influential. According to Madhav Khosla, *The Indian Constitution* (Oxford, 2012, page 182), the 1966 article and its sequel in 1968 remain “indispensable accounts” of the early development of India’s Fundamental Rights.

In 2014 he was appointed as an officer of the Order of Australia, for distinguished service to the law as an academic, to legal education and scholarship. In 2020 Professor Tony Blackshield



and his wife, Professor Rosemary Huisman, were Distinguished Scholars in Residence at NALSAR University of Law, near Hyderabad, where Professor Blackshield taught a course on

Comparative Constitutional Law, comparing judicial decisions from the United States, Canada, Australia, India and South Africa.

## X. PUBLICATION

### Research Publications Released

#### i. Journal of Indian Law Institute

The Indian Law Institute has been publishing the quarterly journal, the Journal of the Indian Law Institute (JILI). It contains research articles on topics of current importance. It is a referred journal of international repute. The following issues of the journal have been published during the period:

*Vol. 61 No. 2 (April – June, 2019)*

Editor : Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha

*Vol. 61 No. 3 (July – Sept., 2019)*

Editor : Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha

*Vol. 61 No. 4 (Oct – Dec, 2019)*

Editor : Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha

*Vol. 62 No. 1 (Jan – Mar. 2020)*

Editor : Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha

The digitized version of *Journal of the Indian Law Institute* from 1958 to 2019, volume 1 to 62 was released on the website of the Indian Law Institute.

#### ii. ILI Law Review

ILI Law Review 2019 (Summer Issue & Winter Issue)– E-Journal is available at the ILI website.

#### iii. Book Reviews

The following faculty member of the Institute contributed Book Reviews in the issues of the journals:-

*Arya A. Kumar* Rajat Baijal, Law of Protection of Women from Domestic Violence (2016) – JILI Volume 61 No. 4 (October-December, 2019)

#### iv. Annual Survey of Indian Law (2018)

(Vol: LIV)

Editor : Prof. Manoj Kumar Sinha

The areas covered in the above Survey are: Civil Procedure, Company Law, Competition Law, Conflict of Laws, Constitutional Law-I, Constitutional Law – II, Consumer Protection Law, Criminal Law, Criminal Procedure, Cyber Law, Election Law, Environmental Law, Forensic Law, Hindu Law, Intellectual Property Law, International Law, Labour Management Relations, Mercantile Law, Muslim Law, Socio Security Law, Tort Law, Women and the Law, Central Legislation, Competition Law, Property Law and Socio-Economic Offence.

The following faculty members of the Indian Law Institute contributed to the Annual Survey of Indian Law - 2018:

1. Professor (Dr.) Manoj Kumar Sinha  
International Law
2. Professor (Dr.) S. Sivakumar  
Central Legislation
3. Professor (Dr.) Furqan Ahmad  
Muslim Law
4. Dr. Anurag Deep  
Socio Economic Offence
5. Dr. Jyoti Dogra Sood  
Criminal Law
6. Ms. Arya A. Kumar  
Company Law
7. Dr. Deepa Kharb  
Cyber Law
8. Dr. Latika Vashist  
Women and the Law



## UPDATION OF “DIGITIZED VERSION OF ANNUAL SURVEY OF INDIAN LAW (1965 – 2018)”

The digitized version of “*Annual Survey of Indian Law*” containing ASIL published since 1965 has been updated. It contains 54 volumes from 1965 to 2018. The Digitized version of ASIL is in PDF format. The Digitized version in single DVD is user friendly. The search engine of DVD contains metadata search (Author, Title, and Combination); Full Text search and search within documents options.

### v. ILI Newsletter

The Indian Law Institute has been publishing quarterly ‘ILI Newsletter’. The newsletter contains details of the activities undertaken by the Institute during the quarter and the forthcoming activities. It also carries the case comments written by the ILI faculty on the leading cases decided by the Supreme Court during the quarter. The following issues of the Newsletter were published during the period (April 2019 – March 2020).

Vol. XXI No. 2 (April – June, 2019)

Vol. XXI No. 3 (July – Sept., 2019)

Vol. XXI No. 4 (Oct. – Dec., 2019)

Vol. XXII No. 1 (Jan. – March, 2020)

### vi. Book on Dispelling Rhetoric Law of Divorce and Gender Inequality in Islam

*Editors : Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha, Prof. Furqan Ahmad*

Muslim law reform captured the nation’s imagination when the Hon’ble Supreme Court of India delivered its judgment in the case of *Shayara Bano v. Union of India* on 22<sup>nd</sup> August, 2017. However, a few months before the highest court of the land was scheduled to decide upon the aforementioned petition, the Indian Law Institute organized a one day workshop which saw participation not only from leading academicians, advocates, representative of All India Muslim Personal Law Board, and students from India but also from our neighbor Bangladesh. In this

Workshop the politics of Muslim law reform was kept at bay and way was paved for discussion and deliberation on the issue in true academic spirit. In the wake of the workshop and well researched papers which were presented, a need was felt to transform the same into a book.

### vii. Book on Bail : Law and Practice in India

*Editors : Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha, Dr. Anuag Deep*

The book covers the wide spectrum of bail jurisprudence in India. The constitutional principles and the statutory provisions (section 436, 437, 437A, 438, 439, 167 etc.) that deal with bail under CrPC 1973 have been comprehensively discussed in nine chapters. The provision of bail under a few special legislations have also been analysed. The book also examines provisions from foreign jurisdictions wherever desirable. The changing contours of judicial delineation through the highcourts and the Supreme Court decisions on bail including developments till July 2019 and their critical examinations are common thread in the chapters. The recommendations of various reports of the Law Commission of India finds place with a critical study of 268<sup>th</sup> report on bail submitted in 2017. The work further suggests reforms in the law on bail to make it more practical in nature. Advocates, academicians, enforcement agencies, public prosecutors, journalists, judges, researchers and students etc. will find the book useful.

### viii. Book on Rethinking Law and Violence

*Editors : Dr. Latika Vashist, Dr. Jyoti Dogra Sood*

Conceptualized outside the theoretical framing of both liberal as well as critical approaches, this book re-imagines the law by exploring the contradictions and polarities of in terms of its relationship with violence. It encompasses and interweaves themes and ideas as diverse as death penalty, community might, state sovereignty on the one hand, to animal rights, sexual consent, children’s agency and LGBT rights, on the other.



## XI. ACADEMIC PROGRAMMES

### Admissions for the Academic Session 2019-2020

The scheme for conducting of LL.M. – 1 yr. Programme has been adopted as per the UGC guidelines. The admission process for LL.M. (Full Time – 1 year), and Post Graduate Diploma programmes was started as per the schedule approved by the Academic Council. The Common Admission Test to the LL.M. Programmes was conducted on 08.06.2019 at Delhi at the Indian Law Institute. 773 candidates appeared for LL.M. – 1 yr. Programme. The result of All India Common Admission Test was notified on June 28, 2019 as per the approved schedule. The total number of admission made for Academic year 2019-2020 is as under:

Ph.D.	04 students
LL.M (1Year)	36 students
Post Graduate Diploma Courses	265 students
<b>Total Number of students admitted</b>	<b>305 students</b>

The classes for LL.M 1 year commenced from August 5, 2019. Whereas the classes for Post Graduate Diploma Courses were commenced from August 5, 2019.

### Admission to Ph. D Programme – 2019

The viva/ presentation of the seventy seven candidates (68 from exempted and 09 (as per merit) from non exempted category) for admission to the Ph.D. Programme – 2019 were conducted on September 2-3, 2019 under the Chairmanship of Prof. (Dr.) Ranbir Singh. The committee selected four candidates in the merit list for grant of admission to the Ph.D.-2019 programme on Full Time Basis. Classes for Ph.D. Course Work were commenced from November 04, 2019.

### Examination – 2019-2020

Entrance Examination – Ph.D. & LL.M.

- The All India Admission Test -2019 to the LL.M. (1 Year) Programme and Ph.D. Programme was conducted on 08.6.2019 at Indian Law Institute, Delhi. Total 820 candidates appeared for LL.M. and Ph.D. Admission Test respectively. The results of All India Admission Test & Ph.D. Admission Test were notified as per the approved schedule.
- The viva-voce for admission to LL.M. 1 year Programme (2019-2020) was held on July 3, 4, and 5, 2019. Out of 164 candidates, total 115 numbers of candidates were presented. The result as per merit was declared on July 9, 2019.
- The interview/ presentation for Ph.D. Admission 2019 for exempted & Non-exempted category candidates were held on September 2-3, 2019. Total 68 candidates of exempted category and 9 candidates (as per merit) of non-exempted category were called for the interview. The result for Ph.D. Admission 2019 was declared on September 25, 2019.

Ph.D. Course Work Examination

- The Ph.D. Course Work Examinations – 2019 (Paper I & II) were conducted on May 30, and June 3, 2019.

Semester Examination – LL.M.

- The LL.M. 1 Year (II<sup>nd</sup> Semester) Examination was conducted during 14-24 May, 2019 and Dissertation viva-voce/ Presentation were conducted in the month of July, 2019 and the result of the same was declared in the month of August 08, 2019.
- The Supplementary Examination for LL.M. One year was held in the month of October 7 - 14, 2019.

- The LL.M. 1 Year (1<sup>st</sup> Semester) Examination was conducted during December 11-20, 2019 and the result of the same was declared in the month of February, 2020.

#### Post Graduate Diploma Examination

- The Annual Examination-2019 of Post Graduate Diploma Courses (Session 2019-20) were conducted successfully

during 12th April to May 3, 2019. The result of the Annual Examination was declared in the month of June, 2019.

- The Supplementary Examination for Post Graduate Diploma Courses was conducted in the month of September-October, 2019 and the result of the same was declared in the month of October, 2019.

## XII. ACTIVITIES AT THE INSTITUTE

### A. INTERNATIONAL CONFERENCES / WORKSHOPS / SEMINARS/ CERTIFICATE COURSE / SEMINAR COURSE

One day Consultation for Juvenile Justice Stakeholders in Delhi on their Roles & Responsibilities (February 20, 2020)

The Indian Law Institute (ILI) in collaboration with Centre for Research and Advocacy for Child Rights & Persons with Disability (CRACR&PD) and Delhi Commission for Protection of Child Rights (DCPCR) organised a One Day Consultation for Juvenile Justice Stakeholders in Delhi on their Roles and Responsibilities on 20 February 2020. The participants included officials of SJPU, Probation Officers including LPOs, the DCPO, PO-IC, PO-NIC, social workers and counsellors at the DCPUs and CWCs. The consultation aimed at meaningful engagements with all stakeholders regarding their roles, responsibilities and working in tandem towards betterment of children.

The inaugural session was addressed by Shri Ramesh Negi, Chairperson, DCPCR; Dr. Jyoti Dogra Sood, Associate Professor, ILI; Ms. Rita Singh, Member, DCPCR; Mr. Shashank Shekhar, Advocate, Former Member, DCPCR & Founding Member, CRACR&PD; Mr. S.B. Shashank, IAS, Director, Women and Child Development. The technical sessions had group presentations by the stakeholders which was moderated by Ms. Rita

Singh and Mr. Shashank Shekhar.



*Views from the One day Consultation for Juvenile Justice Stakeholders in Delhi*

One Day Workshop on “MOOCS: Design, Development and Deliver (February 19, 2020)

The Indian Law Institute organised a one day workshop on “MOOCS: Design, Development and Deliver” to introduce MOOCS pedagogy and the open source on February 19, 2020 at the Institute.





*Dr. (Mrs.) Pankaj Mittal inaugurating the programme*

The Chief Guest of the programme Dr. (Mrs.) Pankaj Mittal, Secretary General, Association of Indian Universities inaugurated the programme. In her inaugural speech she highlighted that to enable and enhance the teacher's skills in integration and adoption of new technologies in Teaching and learning process, It is necessary to be updated with the supporting tools and techniques for e- teaching. The primary objective of this workshop was how to create and teach MOOCs with novel Pedagogy process, Various steps involve in designing and delivery of online and MOOCs Courses, Examine strength and weakness of online platform and best practices of MOOCs. Eminent Guest Prof. K.Srinivas Head of ICT & PMU of National Institute of Educational Planning and Administration (NIEPA), MHRD, Govt. of India, New Delhi was the Resource Person of this workshop.



*Participants of the training programme along with dignitaries*

## One Day Conference on Changing Contours of International Refugee Law and the Indian Position (February 1, 2020)

The Indian Law Institute organised a one day National Conference on "Changing Contours of International Refugee Law and the Indian Position" on February 1, 2020 at the Institute. The seminar extensively discussed various issues pertaining to the plight of refugees from national and international perspectives.



*Hon'ble Mr. Justice K.G. Balakrishnan inaugurating the workshop*

Hon'ble Mr. Justice K.G. Balakrishnan, former Chief Justice of India/ Chairman, NHRC inaugurated the Seminar. Professor (Dr.) Manoj Kumar Sinha, Director, ILI welcomed the participants.



*Dr. Jyoti D. Sood addressing the participants*

The speakers and participants engaged in critical debates covering various perspectives on the matter of Refugee status, entry into national territory, further protection and legal rights,

duties of states etc. The speakers included Mr. Narinder Singh, Former Chairman, International Law Commission (United Nations), Mr. Harsh Mander, Director, Centre for Equity Studies, speakers from ICRC, UNHCR. Members of the academia and other researchers participated in the Conference. The Conference was coordinated by Dr. Jyoti D. Sood, Associate Professor, ILI and the student coordinators were Mr. Setu Gupta and Ms. Aswathy Madhukumar, Research Scholars, ILI.

### One Day Legal Research Methodology Workshop on “Dissertation Writing” (January 28, 2020)



*Views from the One day Workshop*

The Indian Law Institute organised a One Day Legal Research Methodology Workshop for Ph.D & LLM Students on “Dissertation Writing” on January 28, 2020 at the the Institute. This workshop was organized to give a proper training

to LL. M. Learners and Ph.D. Research Scholars primarily to give an outlook on how to initiate their research and writing on dissertation and Ph D. The other objectives were to make the learners aware of research design, necessity to have ethics in research, difference between primary and secondary research, the value of mentor-mentee relation, the meaning of logics in syllogism and finally on evaluation of thesis or dissertation.

It was conducted by Prof. (Dr.) S. Sivakumar, Professor, ILI and the speakers were Prof. (Dr) Manoj Kumar Sinha, Director ILI; Prof. Kameshwari, Professor, Lloyd Law College; Ms Arya Kumar, Dr Deepa Kharb, Assistant Professors, ILI; Dr. T.K Vishwanathan, Padma Shri Awardee, Secretary General of the 15<sup>th</sup> Lok Sabha; Dr Lisa P Lukose, Associate Professor, Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi and Prof. (Dr.) S. Sivakumar, Professor, ILI.

### One day Seminar Human Rights and Persons with Disabilities (January 11, 2020)

The Indian Law Institute in collaboration with the Law Mantra, Maharashtra National Law University, Nagpur, National Law University and Judicial Academy, Assam organised a One Day International Seminar on “Human Rights and Persons with Disabilities” on January 11, 2020 at the ILI.



*Inaugural session of the seminar*

The Seminar was inaugurated in august presence of Professor (Dr.) Manoj Kumar Sinha, Director,



The Indian Law Institute, New Delhi, Professor (Dr.) Vijender Kumar, Vice-Chancellor, Maharashtra National Law University, Nagpur, Professor (Dr.) J.S. Patil, Vice-Chancellor, National Law University and Judicial Academy, Assam, Dr. Adish C Aggarwala, Senior Advocate & President, International Council of Jurists, London, Shri Khaleel Ahmad, Deputy Registrar (Law), NHRC and Mr. Kishor Kumar Mishra, President, Law Mantra.

### One-Week Programme on Legal Awareness (December 12-18, 2019)

The Indian Law Institute in collaboration with Delhi State Legal Services Authority conducted a one-week programme on legal awareness in Sanjay Colony, Chanakyapuri from December 12-18, 2019. The topics included fundamental rights, fundamental duties, Juvenile Justice Act, POCSO, Child Labour Prohibition Act and Justice Administration was extensively covered in this programme. The programme was coordinated by Dr. Jyoti Dogra Sood, Associate Professor, ILI and Mr. Chander Jit Singh, Secretary, New Delhi District Legal Services Authority. The sessions were conducted by Ph.D scholars and LL.M. students of ILI.



*Mr. Chander Jit Singh, Secretary, New Delhi District Legal Services Authority interacting with the participants of the programme*

### Certificate Course in Mediation (November 22-24, 2019 & December 06-08, 2019)

The Indian Law Institute in collaboration with

MAADHYAM (Council for Conflict Resolution) & SAARC LAW (India Chapter) conducted an Integrated Certificate Course in Mediation on November 22-24, 2019 (Phase -I) & December 06-08, 2019 (Phase II) at the ILI.



The course was inaugurated by Hon'ble (Mr.) Justice Madan B. Lokur, Former Judge, Supreme Court of India. Hon'ble (Mrs.) Justice Gita Mittal, Chief Justice, High Court of Jammu and Kashmir was the guest of honour at the inaugural function.



*Hon'ble (Mr.) Justice Madan B. Lokur and Hon'ble (Mrs.) Justice Gita Mittal addressing the participants*

The course was aimed to enable the participants to acquire comprehensive understanding of the concepts of mediation techniques which need to be used keeping in view the requirements of section 89 of CPC and other statutory enactments requiring use of mediation as an effective tool of dispute resolution.



*Participants of the programme along with Director & Registrar, ILI*

### **Prof. N.R. Madhava Menon Workshop on Teaching Techniques and Research for Young Law Teachers and Research Scholars (November 6-12, 2019)**

In an endeavour to create competent, committed and passionate law teachers and researchers, who are equipped in teaching and research so as to impart the requisite knowledge, skills and attitude to the law students, Menon Institute of Legal Advocacy and Training (MILAT) and Commonwealth Legal Association (CLEA), in association with Indian Law Institute (ILI) and Lloyd Law College (LLC) organized a week-long workshop on Teaching Techniques and Research. The motto of the workshop was “to equip law teachers with teaching techniques for moulding the law students to be profession-ready”.

The workshop was held from November 6-12, 2019. The Workshop was a seven-day fully residential face-to-face interactive training at Delhi in Indian Law Institute and at Lloyd Law College, Greater Noida to provide theoretical and practical inputs in law teaching and research by experts and professionals. Fifty-two competent young teachers and research scholars were hosted

from November 6– 9, 2019 at ILI, Delhi and from November 10-12, 2019 at Lloyd Law College, Greater Noida. They included young law teachers and researches not only from all parts of the country but also from Bangladesh from where four participants took part in the workshop.



*Hon'ble Mr. Justice Surya Kant inaugurated the workshop and delivering the address*

The workshop was inaugurated by Hon'ble Mr. Justice Surya Kant, Judge, Supreme Court of India on November 6, 2019 at Indian Law Institute, New Delhi. He shared his valuable experiences and a heartening anecdote from his college days whereby he expressed how profoundly his teachers had impacted his life and what seminal role they had played in moulding his personality. He emphasized on the need of stepping into the profession of teaching only if one is dedicated and truly passionate.

A practical demonstration of teaching skills via video recording of a small lecture by all the participants took place during November 10-12, 2019 at the Lloyd Law College. The workshop

was an intensive, thoroughly interactive initiative whereby the participants not only shared their experiences, concerns and suggestions, but also came to know about several initiatives of Lloyd Law College like the Legal Aid Services, PIL activities, SAARC moot court competitions, trial advocacy exercises etc. to make teaching and learning actively engaging, effective and socially-relevant for the students.



*Hon'ble Mr. Justice Anil R. Dave at the valedictory session of the workshop*

The valedictory ceremony was held in the Seminar Hall of Lloyd Law College on November 12, 2019. Hon'ble Mr. Justice Anil R. Dave, former Judge, Supreme Court of India was the chief guest. He underlined the importance of such initiatives to enhance the skills of law teachers and researchers in building strong, equipped and vibrant legal professionals for the bar, bench and society at large.



*Participants of the workshop*

## **National Workshop on “Legal Capacity Building/Capacity Building of persons with Intellectual and Developmental Disabilities. (PwIDDs)” (October 23, 2019)**

The Indian Law Institute jointly with the National Trust for the persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation & Multiple Disabilities organized a National Workshop on Building Legal Capacity of Persons with Intellectual and Developmental Disabilities (PwIDDs) to address issues concerning PwIDDs on October 23, 2019 at the Plenary Hall of Indian Law Institute.

The workshop was inaugurated by Hon'ble (Mr.) Justice K.G. Balakrishnan, former Chief Justice of India/Chairperson, NHRC. The other dignitaries included Professor (Dr.) Manoj Kumar Sinha, Director, ILI, Shri Nikunja Kishore Sundaray, JS & CEO, National Trust, Ms. Shakuntala D. Gamlin, Chairperson, National Trust/Secretary, DEPwD and Mr. S.C. Prusty, Registrar, ILI. In his welcome address, Professor (Dr.) Manoj Kumar Sinha, Director, ILI highlighted the issues pertaining to disabled people addressed in the judgment by the Hon'ble Supreme Court in *Disabled Rights Group v. Union of India*, (2018) 2 SCC 397. Delivering the inaugural address, the chief guest, Hon'ble Justice K.G Balakrishnan, commended that 'it is wonderful and allows everyone to take pro-active steps for people with multiple disabilities'.



*Hon'ble Mr. Justice K.G. Balakrishnan inaugurating the workshop*

The workshop consists of three technical sessions where luminaries from various fields



and government departments presented their research ideas, opinions and recommendations. The speakers for the first technical session of the workshop included Professor Sheffali Gulati, HOD, Child Neurology Division, Department of Pediatrics, AIIMS, New Delhi, Dr. Nimesh Desai, Director, Institute of Human Behavior and Allied Sciences (IHBAS), New Delhi, Dr. Gaurav Gupta, World Health Organization (WHO) and Dr. Meenakshi Batra, Pandit Deendayal Upadhyaya National Institute for Persons with Physical Disabilities (Divyangjan), New Delhi. The speakers deliberated on various perspectives on disabilities from medical perspectives to social issues.



*Participants of the workshop*

### **National Seminar on 'Exploring Disability Rights Paradigm' (September 28, 2019)**

The Indian Law Institute organized a National Seminar on 'Exploring Disability Rights Paradigm' on September 28, 2019 in the Plenary Hall of the Indian Law Institute.

The seminar was inaugurated by Hon'ble (Ms.) Justice Indira Banerjee, Judge, Supreme Court of India. Hon'ble (Ms.) Justice Indira Banerjee, Professor (Dr.) Manoj Kumar Sinha, Director, ILI welcomed the participants. Professor (Dr.) Amita Dhanda, Professor, NALSAR and Dr. Jyoti Dogra Sood, Associate Professor, ILI addressed the gathering in the inaugural session.

The first technical session on 'Multiple Axes of Vulnerability, Inequality and Disability' was chaired by Professor (Dr.) Manoj Kumar

Sinha, Director, Indian Law Institute and had a very engaging discussion on different facets of disability by the panel that included Professor (Dr.) Amita Dhanda, Professor, NALSAR; Professor (Dr.) Anita Ghai, Professor, Ambedkar University and Mr. Muralidharan Vishwanath, General Secretary of National Platform for the Rights of the Disabled.



*Hon'ble (Ms.) Justice Indira Banerjee lighting the lamp at the inaugural session in the presence of Prof (Dr.) Manoj Kumar Sinha, Prof.(Dr.) Amita Dhanda and Mr. Muralidharan.*

The second session titled 'Access to Rights of Disabled in India' was chaired by Professor (Dr.) Amita Dhanda and the panel included Professor (Dr.) Nilika Mehrotra, Professor, JNU; Dr. Nimesh G. Desai, Director, IHBAS and Mr. Rajive Raturi, heads Law and Policy at National Centre for Promotion of Employment for Disabled Persons. Mr. Suresh Chandra, Information Commissioner, CIC delivered the valedictory address.

### **State Consultation -Strengthening Legal and Institutional Mechanism to end Child Marriages in Delhi (September 19, 2019)**

The Indian Law Institute and Delhi Commission for Protection of Child Rights (DCPCR) along with the Independent Thought(i-Thought) organised a one day State Consultation on "Strengthening Legal and Institutional Mechanism to end Child Marriages in Delhi" on September 19, 2019 at the Institute.

The consultation programme was inaugurated by Mr. Ramesh Negi, Chairperson, DCPCR.

Professor (Dr.) Manoj Kumar Sinha, Director, ILI addressed the audience and Shri Shreenibas Chandra Prusty, Registrar, ILI proposed the vote of thanks. The inaugural session of the programme was based on 'issues around law on child marriage and its implementation' and the speakers included Shri Chander Jit Singh, Secretary, DSLSA, Dr. Nisha Aggarwal, Deputy Director, Women and Child Development, Ms. Rita Singh, Member, DCPCR, Dr. Jyoti Dogra Sood, Associate Professor, ILI and Advocate Vikram Srivastava, Founder, Independent Thought.



*Professor (Dr.) Manoj Kumar Sinha delivering the welcome address*

The consultation programme provided a platform for experts to discuss the various issues on strengthening legal and institutional mechanism to end Child Marriages in Delhi. Dr. Jyoti Dogra Sood, Associate Professor, Indian Law Institute coordinated the Consultation programme.



*Participants of the consultation programme on child rights*

## **Intensive Course on 'Business and Human Rights' (July 8-12, 2019)**

The Indian Law Institute, in collaboration with Human Rights Business Academy (HURBA) and Oxfam India conducted a week-long intensive course on "Business and Human Rights" at the Institute from July 8-12, 2019 at the Institute. Eminent persons from all around the globe renowned for their work in Business and Human Rights (BHR) were the resource persons of the course. The course intended to expose law/business/ management students, lawyers, civil society representatives, policy makers and corporate executives to international and comparative perspectives in the field of business and human rights with the objective of developing an informed understanding of the issues and challenges involved.

The course was inaugurated by Professor (Dr.) Manoj Kumar Sinha, Director, Indian Law Institute, Dr. Surya Deva, Associate Professor, the School of Law of City University of Hong Kong/ Member of the UN Working Group on Business and Human Rights, Dr. Tara Van Ho, Director, Human Rights Clinic, University of Essex, Mr. Namit Aggarwal and Mr. Triranjana Radhakrishnan from Oxfam India.

Dr. Surya Deva, deliberated on the 'basics of BHR, understanding business and human rights' and in the post lunch session, Mr. Namit Agarwal, lead specialist in the private sector engagement at Oxfam India spoke about 'BHR and sustainable development goals'.

During the course, Dr. Tara Van Ho spoke on the 'UN Guiding Principles on Business and Human Rights' which was followed by an interactive session by Dr. Surya Deva on one of the most riveting agendas, gender dimension of BHR. The other speakers Lara Jesani, Independent Law Practitioner at Bombay High Court, Justine Nolan, faculty of law at UNSW Sydney, Professor Leila Choukroune, Professor of International law and director of the University of Portsmouth, Dr. Usha Ramanathan and Mr. Ranjit Singh, Joint Secretary, NHRC.





*Inaugural session of the conference on 'Business and Human Rights'*



*Participants of the certificate course on Business and Human Rights*

The course provided an exhaustive introduction to the nature and extent of the human rights responsibilities of business enterprises, how companies could discharge their human rights responsibilities and resolve dilemmas in their day-to-day operations, and various remedial tools available to the victims to seek access to justice in cases involving human rights abuses by business. The seminar-style interactive course was taught, on a *pro bono* basis, by a team of leading scholars and practitioners.

After the intensive course, there was the conference on “Promoting responsible business conduct: Analyzing regulatory tools employed by states” witnessed by several legal luminaries.

### **Two Day International Seminar on “Challenges and Prospects of Alternate Dispute Resolution” (June 14-15, 2019)**

The Indian Law Institute along with Rajiv Gandhi

National University of Law, Punjab, Maharashtra, National Law University -Nagpur, Himachal Pradesh, National Law University, Shimla in collaboration with Law Mantra organized a two day international seminar on “Challenges and Prospects of Alternate Dispute Resolution” on June 14-15, 2019 at the Institute.

The dignitaries on the dais included Professor (Dr.) Manoj Kumar Sinha, Director, Indian Law Institute, New Delhi. Professor (Dr.) Paramjit S. Jaswal, Vice-Chancellor, Rajiv Gandhi National University of Law, Punjab. Professor (Dr.) Vijender Kumar, Vice-Chancellor, Maharashtra National Law University, Nagpur and Professor (Dr.) Nishtha Jaswal, Vice-Chancellor, Himachal Pradesh National Law University, Shimla.



*Professor (Dr.) Nishtha Jaswal, lighting the lamp*

The objectives of the seminar was to empower students with the practical understanding of Alternative Dispute Resolution (ADR) techniques and its immense significance at a time when law suits are increasing and courts are facing a vast backlog of cases.



*Participants at the programme.*



The court through the traditional method of litigation is often burdened with countless number of matrimonial and other civil matters. Since conflict is inherent in the development of any society, conflict resolution is equally important to the survival of that society. In such a scenario ADR is becoming a fact of life.

### **Workshop on “Methodology of Muslim Law Reform and the Role of Islamic Jurist” (May 1, 2019)**

The Indian Law Institute organised a workshop on “Methodology of Muslim Law Reform and the Role of Islamic Jurist” on May 1, 2019 at the Institute. The inaugural address was delivered by the chief guest for the occasion, Hon’ble Mr. Justice B.D. Ahmed, Former Chief Justice, High Court of Jammu and Kashmir followed by the welcome address by Professor (Dr.) Manoj Kumar Sinha, Director, Indian Law Institute, New Delhi. Professor Werner Menski, Emeritus Professor, School of Oriental and African Studies, University of London could not physically participate in the workshop but his participation was by way of a speech which was circulated among the audience and was formally read out from the dais. Professor Menski’s speech highlighted the politics which often accompanies Muslim personal law reforms and although he urged that there should be talk of reforms but there should be genuineness and credibility in such debates and talks.



*Participants of the Workshop*

Professor Upendra Baxi, Emeritus Professor of Law and other legal luminaries like Professor (Dr.) M.P. Singh, Visiting Professor, National Law University Delhi, Professor (Dr.) Afzal Wani, Professor of Law Guru Gobind Singh Indraprastha University and Professor (Dr.) Ved Kumari Dean and Head Faculty of Law, Delhi University engaged in critical talks on the issue and methodology of Muslim Law reforms.

### **One day seminar on “Media, Law and Elections” (April 5, 2019)**

The Indian Law Institute organized a One day Seminar on “*Media, Law and Elections*” in collaboration with IMS Law College Noida, on Friday, April 5, 2019 at the the Institute.

The IMS Law College, Noida ushered in its maiden collaborative voyage of holding the first ever seminar, jointly with the Indian Law Institute and the seminar received an overwhelming attention of judiciary, Election Commission of India, Bar, Journalists and other legal luminaries, particularly in view of the ensuing National Election of the members to the House of People *viz.* the Lok Sabha.



*Inaugural session of the seminar*

The seminar was presided by the Hon’ble Mr. Justice S.N Shrivastava, former Judge Allahabad, High Court of Judicature; and Chief Lokayukt, Chhattisgarh and addressed by a number of distinguished speakers who contributed towards insightful deliberations of the august gathering and the budding lawyers of tomorrow, the students of the IMS Law College, Noida.

## B. TRAINING PROGRAMMES

### I. The Indian Law Institute in collaboration with National Human Rights Commission have organized the following Training Programmes:

#### Two Day Training Programme for Judicial Officers on “Human Rights: Issues and Challenges” (March 14-15, 2020)

The Indian Law Institute in collaboration with the National Human Rights Commission organised a Two Days training Programme for Judicial Officers on “Judicial Officers and Human Rights: Issues and Challenges” at the Plenary Hall of the Institute.



*Views from the inaugural session of the training programme*

The training programme was inaugurated by Hon'ble Mr. Justice Anirudha Bose, Judge, Supreme Court of India. While delivering the inaugural address, His Lordship highlighted

the importance of organising the training programme for the judicial officers on issues and challenges on Human Rights. The Chief Guest of the function was Smt. Jyotika Kalra, Member, NHRC also addressed the participants of the training programme.

The programme was designed for judicial officers to bring a clear understanding about human rights violations and adopt an approach towards effective implementation of human rights issues. The participants were addressed by experts in the field of Human Rights and Justice Delivery System. During the Training Programme eminent speakers delivered lectures and interacted with the participants in different sessions.

The first day of the training programme consisted of four technical sessions on different aspects of Criminal Justice and Human Rights. Dr. Sanjay Dubey, Former Director, NHRC interacted with the participants on “Role of NHRC in Promotion and Protection of Human Rights”. Professor B.T.Kaul, Former Chairperson, Delhi Judicial Academy delivered a lecture on the topic “Criminal Justice and Human Rights of Accused” and Ms. Anju Mangla, Deputy Secretary, Delhi Secretariat interacted with the audience on the topic “Judiciary and Prison Reforms”. Mr. Sudhanshu Ranjan, TVANC, Doordarshan News spoke on “Role of Judiciary and Media”.



*Participants of the training programme along with Director, Faculty of ILI*

On the second day of the training programme, Dr. Jyoti Dogra Sood, Associate Professor, ILI delivered a lecture on “Criminal Justice and

Human Rights” and Dr. Anurag Deep, Associate Professor, ILI delivered a lecture on “Law of Sedition in India and Human Rights Concerns”.

### **Two Day Training Programme for Prison Officials on “Human Rights: Issues and Challenges”(February 15-16, 2020)**

The Indian Law Institute in collaboration with the National Human Rights Commission organised a Two Days Training Programme for Prison Officials on “Human Rights: Issues and Challenges”. Professor (Dr.) Ranbir Singh, Vice Chancellor, National Law University, Delhi inaugurated the training programme and presided over the function. Mrs. Jyotika Kalra, Member, NHRC was the Chief Guest at the function.



*Mrs. Jyotika Kalra and Professor (Dr.) Ranbir Singh inaugurating the training programme*



*Participants of the training programme along with dignitaries*

The first day of the programme consisted of five interactive technical sessions on different themes namely:

- Initiatives of the National Human Rights Commission in improving the conditions of the Indian prisons
- National Policy on Prison Reforms and Correctional Administration
- Indian prisons and issues related with overcrowding
- Rehabilitation and Aftercare service of Juveniles and youthful offenders

The speakers included Dr. Sanjay Dubey, Former Director, NHRC, Mr. Sunil Gupta, Former Law Officer, Tihar Jail, Mr. Arun Gupta, OSD and Ex-officio, DG & IG, Correctional Services, West Bengal and Mr. Vikram Srivastava, I-Thought, Noida.

On second day of the programme important topics like, Protection of Human Rights of Juveniles in Remand Home, Correctional Home with Special Reference to new Juvenile Justice Act, Role of Media in Indian Judiciary in Protection of Under Trial Prisoners, Gender Sensitization of Prison Officials, Corruption and Criminal Justice System: Rights of Prisoners. The important speakers of the session included Mr. Shanshank Shekhar, Former Member, DCPCR, Ms. Anju Mangla, Deputy Secretary, Delhi Secretariat, Mr. Sudhanshu Ranjan, TVANC, Doordarshan News and Mr. Amit Vashist, RPFC, EPFO. The programme was concluded with the distribution of certificates to all the 28 participants.

### **Two Day Training Programme for Police Personnel on “Police and Human Rights: Issues and Challenges” (November 23-24, 2019)**

The Indian Law Institute in collaboration with the National Human Rights Commission organised Two Days Training Programme for Police Personnel on “Police and Human Rights: Issues and Challenges” on November 23-24, 2019 at the Plenary Hall of the Institute.





*Hon'ble (Dr.) Justice Arijit Pasayat inaugurated the programme by lighting the lamp*

Hon'ble (Dr.) Justice Arijit Pasayat, Former Judge Supreme Court of India, inaugurated the training programme while delivering the inaugural address his Lordship emphasised about the need for organising such training programme for Police Personnel on the issues of human rights. Shri Dilip Kumar, Joint Secretary & Web Information Manager, LOKPAL addressed the audience and Professor V.P.Nanda, Emiratus Professor, University of Denver, USA delivered the special address.

The training programme consisted of four technical sessions on various themes of Human Rights. Dr. Sanjay Dubey, Director (Admn. & Policy Research, NHRC) deliberated on 'Role of NHRC in protecting human rights' and Mrs. Manzil Saini, IPS, Senior Superintendent of Police, NHRC spoke on 'Human Rights and Police Investigation: Issues and Challenges' in the first and second sessions of the training programme. Mr. Amod K. Kanth, Former DGP and Chairperson, DCPCR, General Secretary, Prayas Juvenile Aid Centre Society, Delhi spoke on 'Human Rights, Terrorism, National Security and Role of Police' and Mr. Sunil Gupta, Former Law Officer, Tihar Jail deliberated on 'Role of Police Personnel in Functioning of Prison' in the third and fourth sessions of the training programme .

Smt. Rakesh Maheshwari, Sr. Director/ Scientist G, Group Coordinator (Cyber Law & E-Security), M/o Electronics and Information Technology delivered a lecture on 'Role of Police

Officers in Investigating Cyber Crimes' and Mr. Vikram, I-Thought, Noida spoke on 'Role of Police in implementing laws related to Children' in the fifth and sixth sessions of the training programme. Dr.Anurag Deep, Associate Professor, ILI addressed the audience in the seventh session of the programme on 'Constitutional Rights of Persons in Custody' and Mr.Sudhanshu Ranjan, Journalist, Doordarshan deliberated on 'Impact of Media During Police Investigation' in the final technical session of the training programme.



*Hon'ble Mr. Justice Swatanter Kumar delivering the valedictory address*

Hon'ble Mr. Justice Swatanter Kumar, Former Judge, Supreme Court of India & Former Chairperson, NGT was the chief guest for the valedictory function. While delivering the valedictory address His Lordship appreciated the ILI for organising such training programme. Special address was delivered by Mr. P.K. Malhotra, Former Secretary, Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice. Welcome address was delivered by Professor (Dr.) Manoj Kumar Sinha, Director, ILI and Shri Shreenibas Chandra Prusty, Registrar, ILI proposed the vote of thanks. Approximately thirty six judicial officers participated in the training programme and certificates of participation were distributed to them.

### **Two Days Training Programme for First Class Judicial Magistrates on "Human Rights: Issues and Challenges"(September 21-22, 2019)**

The Indian Law Institute in collaboration with the National Human Rights Commission organised

Two Days Training Programme for First Class Judicial Magistrates on “Human Rights: Issues and Challenges” on September 21-22, 2019 at the Institute. Hon’ble Mr. Justice Arun Mishra Judge, Supreme Court of India inaugurated the training programme and presided over the function. While delivering the inaugural address His Lordship emphasised on the important issues and Challenges of the Human Rights.



*Hon'ble Mr. Justice Arun Mishra inaugurating the training programme*

The training programme consisted of four technical sessions on various themes of Human Rights. Dr. Sanjay Dubey, Director (Admn. & Policy Research, NHRC) deliberated on ‘Role of NHRC in protecting human rights violations of vulnerable groups’ and Ms. Geeta Luthra, Advocate, Supreme Court of India spoke on ‘Exercising discretion in bail cases and Human Rights of victim and accused’ in the first and second sessions of the training programme. Mr. Prashant Padmanabhan, Advocate-on-Record, Supreme Court of India deliberated on ‘Appreciation of Evidence’ and Dr. Anurag Deep, Associate Professor, ILI spoke on ‘Criminal Justice & Human Rights with special reference to burden and standard of proof’ in the third and fourth sessions of the training programme.

### **One Day Training Programme for Officials working in Juvenile Homes, Old Age Homes & Health Sector on “Human Rights: Issues and Challenges”( August 10,2019)**

The Indian Law Institute in collaboration with the

National Human Rights Commission organised a One Day Training Programme for officials working in Juvenile Homes, Old Age Homes & Health Sector on “Human Rights: Issues and Challenges” on August 10, 2019 at the Institute.

Shri Ramesh Negi, Chairperson, DCPCR inaugurated the training programme and presided over the function. While delivering the inaugural address he emphasised on the role of NHRC in protecting human rights violations of the vulnerable groups. Dr. Sanjay Dubey, Director (Admn. & Policy Research, NHRC) delivered the Special address.



*Shri Ramesh Negi inaugurating the training programme by lighting the lamp*

The programme consisted of four technical sessions on different themes on Human Rights. Dr. Sanjay Dubey, Director (Admn. & Policy Research, NHRC) deliberated on ‘Role of NHRC in protecting Human Rights violations of vulnerable groups’ in the first technical session of the training programme. Dr. Jyoti Dogra Sood, Associate Professor, ILI spoke on ‘Rights of the Juveniles: Issues and Challenges’ and Ms. Razia Ismail, India Alliance for Child Rights spoke on ‘Securing the Rights of Children in need of care and protection’ in the second and third technical sessions respectively. Ms. Anupama Datta, Director, Help Age India, New Delhi addressed the audience in the last session of the programme on ‘Role of functionaries & health officials in protecting Human Rights of Old Age Persons’. Certificate of participation were distributed to forty eight participants of the programme.



*Participants of the training programme*

### **Training Programme for Officer-Trainee of Indian Economic Services (January 28-31, 2020)**

The Indian Law Institute organised a One Week Probationary Training Programme for Officer-Trainees of Indian Economic Services 2018 batch on “International and National Economic and political Laws, RTI and Rule of Law” on January 28-31, 2020 at the Indian Law Institute.

The One-week training programme deliberated on the topics included “New International Economic Order, WTO, Economic Nationalisation, IPR, RBI, Insolvency and Bankruptcy Code, Law and Economic Crimes in India, RTI, Ease of Doing Business, Media Law, Banking Law, ADR, Banking Fraud, Cyber Crimes, Socio-Economic Crimes, Money Laundering and the Supreme Court and The Indian Constitution”. Experts like Dr. Vinai Singh, Assistant Professor and Deputy Director, ISIL, Mr. M.K. Rao, Secretary General, ISIL, Dr. Deepa Kharb, Assistant Professor, ILI, Dr.K.S. Kardam, Former Deputy Controller of IP, Prof. (Dr.) G. Mallikarjun Professor, Lloyd Law College, Noida, Dr. Lisa P. Lukose, Associate Professor, GGSIPU, Dr. Risham Garg, Associate Professor, NLUD, Mr. Amit Vashist, Regional PF Commissioner, Dr. Vikrant Narayan Vasudeva, Advocate, Supreme Court of India, Prof.(Dr.) M. Sridhar Acharyulu, Former CIC Commissioner, Dean, Benett University, Dr. G.R. Raghvendra Joint Secretary (National Mission for Justice Delivery & Legal Reforms), Prof. (Dr.) S. Sivakumar, Professor, ILI, Dr. Susmitha P.

Mallaya, Assistant Professor, Delhi University, Mr. Sanjay Diwakar, Advocate, Supreme Court of India, Mr. Neeraj Aarora, Advocate, Supreme Court of India, Mrs. Arya A. Kumar, Assistant Professor, ILI, Dr. Anurag Deep, Associate Professor, ILI and Prof. (Dr.)S.N. Singh, Former Dean, Delhi University.



*Participants of the training programme*

### **Observation visit of the officers of the Attorney General of Nepal (August 25-28, 2019)**

The Indian Law Institute organised a programme for the officials from office of the Attorney General of Nepal to India from August, 25-28, 2019 for upgrading their knowledge on Attorney System in Indian Legal System. Twelve officials from the office of the Attorney visited the Institute. The visit was designed to cover wider aspects relating to:

- Relationship between the Attorney General at the union level and the Advocate General at the state level in India;
- To observe the functioning of the Attorney General and Advocates General including the handling of lawsuits concerning the government;
- To observe the case hearing mechanism in trial courts and High Courts and to study conviction and sentencing under the criminal justice system in India.





*Prof. (Dr.) G. Mohan Gopal addressing the participants*

The Programme was comprised of talks and interaction with senior advocates and Constitutional experts to provide an overview of the Indian Legal System. The speakers included Professor (Dr.) G. Mohan Gopal, Former Director, National Judicial Academy, Bhopal & NLSIU, Bangalore, Shri Rakesh Munjal, Senior Advocate, Supreme Court of India, Dr. Rajeev Mani, Joint Secretary & Legal Adviser, Ministry of Law & Justice and Mr. Ved Prakash Sharma, Member, Bar Council of India.



*Group photograph of the Delegation with Director, ILI*

### C. SPECIAL LECTURES

- Talk on “Indian Constitution” by Professor. M.P Singh on January 23, 2020 at Indian Law Institute.
- As part of the celebrations of seventy years of adoption of the Indian Constitution, a talk is being organised on Indian Constitutional Law by Professor (Dr.) G. Mohan Gopal, Former Director of National Judicial Academy on February

27, 2020 at the ILI.



- The Institute organized a special lecture by Dr. Ramesh C. Gaur, Dean and Director (Library & Information) & Head - Kala Nidhi Division at Indira Gandhi National Centre for the Arts (IGNCA), New Delhi, Ministry of Culture, Government of India on Research Ethics and Plagiarism for faculty, staff, Ph.D and LL.M. students of Institute on January 22, 2020.



- The Institute organized a Special Lecture by Professor Ved P. Nanda, Distinguished University Professor, Director, The Ved Nanda Centre for International & Comparative Law, University of Denver Sturm College of Law on the topic “Higher Legal Education in the US” on November 22, 2019.



- The Institute organized special lectures on “Ethno nationalism, Pluralism and Practice” by Professor Upendra Baxi, Emeritus Professor of Law, University of Delhi & University of Warwick, UK and on “Legal Pluralism and Indian Laws in a global age” by Professor Werner F. Menski, Emeritus Professor, SOAS University of London, UK on November 6, 2019.
- The Indian Law Institute organized a Special Lecture by Professor Emeritus (Dr.) Virendra Kumar, Founding Director (Academics), Chandigarh Judicial Academy on the topic “Socio-religious Reforms through Judicial Intervention: Its limit and limitation under the Constitution [A critique of the 5-Judge Constitution Bench decision of the Supreme Court in *Sabrimala Temple* case(2018)] on October 11, 2019.

#### D. VISIT OF STUDENTS

- Students of Central Indian College of Law, Nagpur visited Indian Law Institute on February 19, 2020.
- Students of Indian Institute of Legal Studies, Siliguri, Darjeeling, and West Bengal visited Indian Law Institute on February 14, 2020.
- Students of Pendekanti Law College, Chikkadapally, and Hyderabad visited Indian Law Institute on February 12,

2020.

- Students of Surendranath Law College, Kolkata visited Indian Law Institute on February 02, 2020.
- Students of K R Mangalam University, Gurugram visited Indian Law Institute on January 27, 2020.
- Students of Kashmir law College, Srinagar visited Indian Law Institute on January 17, 2020.
- Students from University School of Law, Gujarat University, visited the Institute on December 17, 2019.
- Students from Sureswar Dutta Law College, Howrah, West Bengal visited the Institute on December 5, 2019.
- Students from GLS Law College, Ellis bridge, Ahmedabad, visited the Institute on December 3, 2019.
- Law Students from Kazi Nazrul University, Asansol, West Bengal visited the Institute on November 26, 2019.
- Students from Law College Durgapur, West Bengal visited the Institute on November 19, 2019.
- Students from Bengal Law College, Santiniketan, Doranda visited the Institute on October 15, 2019
- Law Students from Mody University of Science & Technology, Lakshamangarh, Rajasthan visited the Institute on October 1, 2019.
- Foreign Parliamentary Officials from 20 countries along with officers from Bureau of Parliamentary Studies and Training, Lok Sabha Secretariat visited the Indian Law Institute on September 30, 2019.





- Students of Modern College, Mohan Nagar, Ghaziabad visited the institute on September 25, 2019.
- Students of Mody University of Science and Technology, Rajasthan visited the institute on September 25, 2019.
- Civil Judges (Jr. Division) 2016 batch Uttarakhand visited the institute on August 7, 2019.
- Students of George School of Law, Kolkata, visited the Institute on July 18, 2019.
- Hon'ble Mr. Justice Amreshwar Pratap Sahi, Chief Justice, Patna High Court visited the Indian Law Institute on June 4, 2019.
- Students from K.C Law College, Mumbai, visited the institute on April 4, 2019.
- Law Department, Gauhati University, Assam visited the library and a brief introduction was given to them about the various print as well as E-resources available in the library.

### E. Internship

The Institute offered internship opportunities to the law students from various universities during April, 2019 - March, 2020. Around 60 internees participated from different universities *viz.*, Banaras Hindu University, Varanasi, National Law University, Ranchi, Mody University of Science and Technology, Amity University, Delhi Metropolitan Education, Noida, Vivekanand Institute of Professional Studies, Department of Law, Prestige Institute of Management and Research, Indore, Galgotia University, O.P.Jindal University, Indore Institute of Law, MNLU, Nagpur and Jitendra Chauhan College of Law, Mumbai, Symbiosis Law School, Pune & Symbiosis Law School, Noida.

## F. E-LEARNING CERTIFICATE COURSE

### (i) IPR

E-Learning Certificate Course on IPRs was initiated by the Institute as an alternative and a complement to traditional training methods in order to make course materials accessible to large audiences throughout India. It offers new teaching methodologies, specially designed course materials, evaluation tools, tailored means of delivery, and greater accessibility. Teaching would take place in the virtual environment of the Institute's website. A network of tutors on the panel of ILI is available to guide the students. Students and teachers can interact as often as necessary during the course, because communication takes place through email.

Anyone who has access to computer and the internet can benefit from the Institute's e-learning programme. The syllabus is divided into four components: (i) Patents; (ii) Copyright and Neighbouring Rights; (iii) Trademarks, Geographical Indications and Domain Names; (iv) Management of IPRs. The duration of the course is three months. During the period under report, the 38<sup>th</sup> to 40<sup>th</sup> Batches (three batches) were conducted and a total number of candidates enrolled were as under:

44 <sup>th</sup> Batch	31 candidates
45 <sup>th</sup> Batch	53 candidates
46 <sup>th</sup> Batch	51 candidates

Dr. Deepa Kharb, Assistant Professor was the Coordinator of the programme.

### (ii) Cyber Laws

On the lines of the e-learning course on IPR, an e-learning course of three months duration Cyber Law was introduced in the year 2008-2009. The syllabus is divided into four components: (i) Introduction to Cyber World; (ii) Legal Regime; (iii) Cyber Crime and (iv) E- Commerce and IPR in Cyber Law. During the period of the report,

the 27<sup>th</sup> to 29<sup>th</sup> Batches (three batches) were conducted. The numbers of candidates enrolled for each batch were as under:

33 <sup>rd</sup> Batch	54 candidates
34 <sup>th</sup> Batch	96 candidates
35 <sup>th</sup> Batch	84 candidates

Ms. Arya A. Kumar, Assistant Professor was the Coordinator of the programme.

## G. STATE UNIT ACTIVITIES

### Colloquium on “Evolution of Due Process norm under American Law: Lessons for Indian Judiciary”, March 6, 2020



The Kerala State Unit, ILI & Kerala High Court Advocates Association jointly organised a Colloquium on “Evolution of Due Process norm under American Law: Lessons for Indian Judiciary” in the High Court Auditorium on March 6, 2020. The esteemed panellists included Hon’ble Mr. Justice Matthew F. Cooper, Judge, New York State Supreme Court, Honble Mrs. Justice Anu Sivaraman, Judge, High Court of Kerala and Professor (Dr.) C. Rajkumar, Vice Chancellor, O.P Jindal Global University.

Hon’ble Mr. Justice Cooper elaborated on the 14<sup>th</sup> Amendment of the US Constitution, which contains the “due process” and “equal protection” clauses, and opined that it was necessary to expand the scope of basic rights to earlier disenfranchised people, how the due process clause has since been used to expand the scope of rights on several issues including the rights against self-incrimination,

reproductive autonomy and gay marriage.



*Hon’ble Mr. Justice Cooper addressing the audience*

### Women’s Day Celebrations, March 9, 2020

The State Unit of the Indian Law Institute jointly with Kerala Federation of Women Lawyers organized Women’s Day 2020 on March 9, 2020 at the Kerala High Court Auditorium. Hon’ble Sri. Justice S. Manikumar, Chief Justice of Kerala delivered the Women’s Day message. In his speech Hon’ble the Chief Justice made a clarion call for Gender and Generational Equality in tune with the UN Women’s new multi-generational campaign.



Smt. S.K.Devi, President, Kerala Federation of Women Lawyers delivered the introductory address and Sri. R.Lakshmi Narayanan, President, Kerala High Court Advocates’ Association offered felicitations. Women lawyers were honoured by

the Hon'ble Chief Justice for their exemplary achievements in social and legal spheres. This was followed by a deeply insightful panel discussion on the topic "Enforcement of Women's rights: Challenges and Remedies". The panelists were Hon'ble Smt. Justice K.K. Usha, Former Chief Justice of Kerala; Hon'ble Smt. Justice K. Hema, Former Judge, High Court of Kerala and Smt. Parvathi Menon, Advocate who also was the moderator of the discussion.

### **Training Programme on Deciphering Cyber Laws and Enforcement (January 18, 2020)**

The ILI State unit, Chandigarh Chapter in collaboration with High Court Legal Services Committee organised a training programme on "Deciphering Cyber Laws and Enforcement" on January 18, 2020 at Chandigarh Judicial Academy, Chandigarh. The training programme was organised with an objective to enhance the skills of the legal aid panel lawyers. Under the able guidance of Hon'ble Mrs. Justice Daya Chaudhary, Executive Chairperson, ILI State Unit experts like Ms. Reema Bhandari and Mr. Manish Manocha of New Delhi interacted with the participants of the training programme.

### **Law Lecture on "The Freedom to Express Dissent: A Jurisprudential Approach" (November 30, 2019)**



The Kerala State unit of the Indian Law Institute organized a Law Lecture, as the first in a series of lectures, aimed to promote continued legal education and discourse. The Lecture was delivered by Hon'ble (Mr.) Justice L. Nageswara Rao, Judge Supreme Court of India on November 30, 2019 at the Kerala High Court Auditorium on the pertinent topic "The Freedom to Express Dissent: A Jurisprudential Approach".

Hon'ble Justice L. Nageswara Rao built an engaging narrative by historically tracing the development of the jurisprudence of free speech and the freedom to dissent, from a comparative perspective. He highlighted the concept of the "marketplace of ideas" in understanding the free speech discourse and traced the path taken by the American Supreme Court in developing standards for protection of speech or dissent. Hon'ble Sri Justice S. Manikumar, Chief Justice, High Court of Kerala who is also President of Kerala State Unit of ILI delivered the introductory address. The event was concluded by an address delivered by Hon'ble Sri Justice A.K. Jayasankaran Nambiar, Judge, High Court of Kerala and Executive Council Member, Indian Law Institute, Kerala State Unit.

### **Constitution Day Celebrations (November 26, 2019)**

The Kerala State Unit of the Indian Law Institute in collaboration Kerala State Legal Services Authority (KeLSA) celebrated the Constitution Day on November 26, 2019 at the Kerala High Court Auditorium. Hon'ble Sri Justice



S. Manikumar, Chief Justice High Court of Kerala who is also the Patron-in-Chief of KeLSA delivered the Constitution Day Message. His Lordship's message centred on the vitality and significance of the Preamble and enduring wisdom of our Constitution.



The event was presided over by Hon'ble (Mr.)

Justice C.K. Abdul Rehim who is also the Executive Chairman of KeLSA. The Presidential Address emphasized the role of Bar and Bench in upholding the principles that are imbibed in our Constitution. Hon'ble Sri Justice A.M. Shaffique, Executive Chairman, Indian Law Institute, Kerala State Unit delivered the Key Note Address. In his address his Lordship warned of the various threats that our Constitution faces in contemporary India.

Sri C.P. Sudhara Prasad, Advocate-General of Kerala, Sri Sunil Jacob Jose, President, Kerala High Court Advocates Association, Smt S.K. Devi, President, Kerala Federation of Women Lawyers, Senior Advocate Sri George Cherian, Executive Council Member and Sri Nisar Ahammed K.T, District Judge and Member Secretary, KeLSA also spoke at the event.

### XIII. SPECIAL EVENTS

#### Constitution Day Celebrations (November 26, 2019)



The Indian Law Institute celebrated the Constitution Day on November 26, 2019 at the Plenary Hall of the Institute. The Fundamental Right and Fundamental Duties in the Constitution were also presented by the LL.M students on this occasion.

#### Swachhata Campus Ranking- 2019

As part of the Swachhata drive of the Government,

the Swachhata Rankings of Higher Educational Institutions was conducted by the Ministry of Human Resource Development. The University Grants Commission was entrusted with the responsibility of physical verification of Higher Educational Institutions and as part of this programme, the UGC Inspection team visited the Institute on September 2, 2019 examined and verified the infrastructural facilities and the hygiene parameters of the Institute.



The UGC Inspection team consists of Professor Satyaketu, Department of Hindi, Dr. Ambedkar University, Kashmere Gate, Delhi, Professor

K.K.Saxena and Dr. Kishore Singh, Assistant Head Operation (Medical), Institute of Liver and Biliary Sciences, Vasant Kunj, Delhi. The team inspected the overall cleanliness and the general upkeep of the ILI campus.



*UGC Inspection team interacting with the ILI students*

As part of the Swachhata Ranking programme, a committee consisting Dr. Ajay Kumar Verma, Deputy Registrar, ILI Mr. Deepak Parashar, LLM Student, Mr. Nitin Bansal, Library Assistant, Mr. Pradeep Sharma, UDC, Mr. Gopal, Mr. Tilak Ram, MTS, ILI visited the village Sirsa in District, Greater Noida on September 16, 2019. They met the local members of the village i.e Choudhary Prakash Bhati in respect of cleanliness, literacy and infrastructure and health facilities, drinking water, power, roads, gender issues, environmental issues etc Shri Pradhan Mr. Choudhary Prakash welcomed the team in his residence where fruitful discussion was held.



*The committee along with the villagers*

### Yoga Day Celebrations

The International Yoga Day was celebrated at the Indian Law Institute on June 21, 2019. A Yoga practice session was organised under the guidance of Director, ILI, Professor Manoj Kumar Sinha in which the employees of the Institute participated and practiced Yoga activities.



*International Yoga day celebrations held at ILI*

## XIV. FACULTY ACTIVITIES

### Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha, Director, ILI

- Professor (Dr.) Manoj Kumar Sinha, Director, ILI** was invited as the Guest of Honour to deliver special address in the Inaugural function of the Virtual Law School, organised by Virtual Law School on March 27, 2020.
- He delivered a talk on “Research Design: Formation, Components and Structure” to the participants of One week workshop on Research Methodology in Law, organised by Faculty of Law, Maharshi Dayanand University, Rohtak on March 3, 2020.
- Delivered a talk on “Access to Justice” to

interns of NALSA, organised by NALSA, New Delhi on December 23, 2019

- Invited as a chief guest to deliver the inaugural address on Research Methodology on Domestic and International Perspectives, organised by the Indian Society of International Law on December 20, 2019.
- Delivered a talk on “Legal Research in contemporary Area”, organised by JEMTEC School of Law, Greater Noida on December 18, 2019.



*Professor (Dr.) Manoj Kumar Sinha, was felicitated by the BAI*

- The Bar Association of India (BAI) celebrated Sixty Years of its existence on December 3, 2019. The BAI annually celebrates December 3, 2019 as “Lawyers of India Day.” On this occasion, Professor (Dr.) Manoj Kumar Sinha, Director, Indian Law Institute was felicitated by the BAI, recognising his significant contribution in the field of legal education and human rights fields.
- Invited as a keynote speaker to deliver a talk on, “Women Empowerment, Gender Justice and the Role of Law- Inequalities Re-examined (an Indian Perspective), organised by Mody University, Lakshmangarh, Rajasthan on November 29, 2019.
- He delivered a talk on, “International Initiatives & Cyber Cooperation

Mechanisms in Regulating Cyber crimes” in an International Conference on Cyber law, Cyber Crime & Cyber security, organised by Cyber laws and Pavan Duggal Associates, New Delhi on November 22, 2019.

- Invited as chief guest to deliver inaugural address to the participants of the Eight ILNU National Students Conference on International Humanitarian and Refugee Laws, Nirma University, Ahmadabad on November 13, 2019.
- Invited as the Guest of Honour to deliver a talk on “Water Wisdom: Issues and Challenges” organised by Rule of Law Society, New Delhi on September 14, 2019.
- Invited as a Guest of Honour in the valedictory function of 2<sup>nd</sup> Moot Court Competition organised by the Noida International University, Greater Noida on September 13, 2019.
- Invited as a Guest of Honour to deliver a talk on ‘Abrogation of Article 370: Issues and Challenges’ organised by Nawada Vidhi Mahavidyalaya, Nawada on September 7, 2019.
- Invited as a Guest of Honour in the inaugural function of 3<sup>rd</sup> World Conference on Human Rights and IPR organised by Knowledge steez on August 4, 2019.
- Invited as a Guest of Honour to address in the inaugural function of new academic session of the Department of Law, Karnavati University, Ahmadabad, July 29, 2019.
- Invited as a Chief Guest to deliver valedictory address to the participants of Faculty Development Programme, organised by Sharda University on July 20, 2019.





- Manoj Kumar Sinha, Director, ILI was invited as a chief guest to inaugurate the training programme of Judicial and Police officers organised by LNJN National Institute of Criminology and Forensic Sciences, New Delhi on July 15, 2019.
- Invited to deliver a talk on Research Methodology to the participants of Capacity Development Programme on Applied Research Methodology, organised by National Law University, Delhi on May 23 2019.
- Invited as Guest of Honour in the Inaugural function of first Nirmala Devi Bam Memorial Moot Court Competition organised by Indore Institute of Law, Indore on May 10, 2019.
- Invited as Chief Guest to Release the book titled, “Research at DME 2018” organised by DME College, Noida on April 29, 2019.
- Invited as Key note speaker Guest in the Inaugural function of two day International Conference on “The Global Refugee Crisis: A Multi Disciplinary Humanitarian Approach” organised by University Law College, Utkal University, Bhubaneswar on April 27-28, 2019.
- Invited as Chief Guest in the Inaugural function of two day Regional Workshop on Biological Diversity Laws in India, organised by UNDP in collaboration with School of Law, Benett University and National Law School of India University, Bengaluru, on April 25-26, 2019.
- Invited to deliver a talk on “Role & Relationship of International Law with Diplomacy” to Diplomats from Morocco and Senegal, at Foreign Service Institute, Ministry of External Affairs, New Delhi on April 25, 2019.
- Invited as Guest of Honour to address in

Felicitation function hosted in Honour of Justice A.K. Sikri, organised by Professor Ronald Dworkin Study Circle, New Delhi, on April 16, 2019.

- Invited as Guest of Honour to 1<sup>st</sup> National Seminar on Human Rights and Administration of Justice, organised by Amity Law School, Kolkata on April 13, 2019.
- Invited as Guest of Honour to 3rd Ansal Moot Court Competition organised by School of Law, Ansal University, Gurugram on April 6, 2019.
- Invited as Chief Guest for the Annual Prize Distribution function of Rajdhani College, New Delhi on April 5, 2019.
- Manoj Kumar Sinha, Director, ILI was invited to judge the Final round of the Moot Court Competition jointly organised by INMANTEC and Subharti University, Ghaziabad on April 1, 2019.

#### **Prof. (Dr.) S. Sivakumar, Professor of Law**

- **Professor (Dr.) S. Sivakumar, Professor, ILI** has participated in the 15<sup>th</sup> Korea Legislation Research Institute (KLRI) - ALIN General Meeting & International Conference during August 27-29, 2019 organised at Chulalongkorn University Faculty of Law, Thailand and he spoke about strengthening ALIN through participation of all member organizations. He has contributed ‘legislative news on five recent developments on law pertaining to India’. The General meeting decided to entrust the Indian Law Institute to organize the 2022 ALIN General Meeting & International Conference at New Delhi, India.



*Prof (Dr.) Sivakumar along with the participants of KLRI - ALIN General Meeting*

- He has presented a paper on “Need for a Comprehensive Policy Framework for Sustainable Socio-economic Transformation in Asia” in International Conference – Sustainable Asia, Sustainable World on August 29, 2019 at Chulalongkorn University Faculty of Law, Thailand organized by Asia Legal Information Network (ALIN), Chulalongkorn University Faculty of Law (LawChula), and Korea Legislation Research Institute (KLRI).
- He has presented a paper on ‘Revisiting Curriculum and Pedagogy of Post Graduate Law Courses : In the Era of Internationalization of Legal Education’ in the session Legal Education – Professional Uber Specialization and the Role of Post-Graduate Qualifications at Commonwealth Lawyers Conference 2019 organised by Commonwealth Lawyers Association in Livingston, Zambia from April 8-12, 2019.
- He presented a paper on ‘Comparative Constitutional and Public Law : Need for Pedagogical Tools for Ensuring Good Governance’ at the Commonwealth Legal Education Association (CLEA) Conference hosted by the Zambia Institute of Advanced Legal Education (ZIALE), Lusaka from April 3-5, 2019.

- He chaired the inaugural session and plenary session and presented paper on ‘Law Reform in Commonwealth Nations: Need for Commonwealth Cooperation in the Era of Globalization for an Effective Governance’ at the Commonwealth Legal Education Association (CLEA) Conference hosted by the Zambia Institute of Advanced Legal Education (ZIALE), Lusaka from April 3-5, 2019.



- Prof. S. Sivakumar greeting the HE Edggar Lungu President of Zambia in the Commonwealth Law Conference 2019 at Livingston, Zambia in presence of HE Patricia Scotland, Secretary General, Commonwealth of Nations and Mr. Santhankrishnan, president, Commonwealth legal Education Association.

### **Prof. Furqan Ahmad, Professor of Law**

- **Furqan Ahmed, Professor, ILI** delivered a lecture in Delhi Judicial Academy on “Core Competence Conference on Strengthening of Justice Delivery system through Integration of Knowledge, Skill and Attitude in Adjudication” on April 6, 2019 and the inputs were highly appreciated by the organizers and participants.

### **Dr. Anurag Deep, Associate Professor**

- **Anurag Deep, Associate Professor, ILI** delivered a lecture on ‘Criminal Justice & Human Rights with special reference





to burden and standard of proof' in the Two Days Training Programme jointly organized by ILI and NHRC for First Class Judicial Magistrates on "Human Rights: Issues and Challenges" on September 22, 2019.

- He also delivered two lectures on the topics 'Law of Sedition in India and Free Speech' and 'Law of Sedition and Comparative Common Law Jurisdiction' on July 16, 2019 and July 22, 2019 at the Centre for Professional Development in Higher Education (CPDHE), UGC-HRDC, University of Delhi.
- He also participated as panel of experts at Symbiosis University, Noida on May 25 & 27, 2019.
- He also presented a paper on "Criminalization of membership of Terrorist Organization and the Indian Supreme Court : Can the USA model be applicable?" in 48<sup>th</sup> Annual Conference of Indian Society of International Law, New Delhi held on May 4-5, 2019.

#### **Dr. Jyoti Dogra Sood, Associate Professor**

- Dr. Jyoti Dogra Sood, Associate Professor, ILI addressed judicial officers on the topic "Criminal Justice and Human Rights" in a Two day Sensitization programme for judicial officers on Human Rights: Issues and Challenges on March 15, 2020 at ILI.
- She also coordinated a One-week programme on legal awareness organised by the Indian Law Institute in collaboration with Delhi State Legal Services Authority from December 12- 18, 2019 at Sanjay Colony, Chanakyapuri.
- She was invited as a resource person in the State Consultation on Care Reforms Effective Implementation of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 with focus on Quality Care and

Linkages with Family based Alternative Care organized by Patna High Court Juvenile Justice Committee supported by UNICEF at the Bihar Judicial Academy on November 30, 2019.

- She delivered a special lecture on "Human Rights and Juvenile Justice" to LL.B. students of RV Institute of Legal Studies, Bengaluru and also delivered a special lecture on "Criminal Law and Juvenile Justice" to LL.M. students at University Law College, Bangalore University on November 18, 2019. She also delivered a special lecture on "Criminal Law in Forensic Science" to the students of the Department of Forensic Science, Bangalore University on November 19, 2019. She also addressed participants on "Juvenile Justice: International and Domestic framework" in a Conference for Principal Magistrates, JJB and Capacity Building of other stakeholders on November 22, 2019 at the Delhi Judicial Academy.
- She coordinated two programmes namely 'State Consultation -Strengthening Legal and Institutional Mechanism to end Child Marriages in Delhi on September 19, 2019 and a National Seminar on 'Exploring Disability Rights Paradigm' on September 28, 2019 at ILI.
- She has also delivered a lecture on 'Protection of Human Rights of the juveniles *vis-a-vis* the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 in the Two Days Training Programme jointly organized by ILI and NHRC for First Class Judicial Magistrates on "Human Rights: Issues and Challenges" on September 22, 2019.
- She delivered a lecture on 'Overview of the functioning of NDPS Act, 1985 in Two day Seminar on 'Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985' in the Bihar Judicial Academy, Patna on

September 7, 2019.

- She also delivered a lecture on 'Rights of the Juveniles: Issues and Challenges' in the One Day Training Programme for officials working in Juvenile Homes, Old Age Homes & Health Sector on "Human Rights: Issues and Challenges" jointly organized by ILI and NHRC on August 10, 2019.
- She also gave a special lecture to judicial officers on "Jurisdiction of Special Children Court" in a Conference on Integration of Knowledge, Skill and Perspective Development organized by the Delhi Judicial Academy on May 3, 2019.

#### Dr. Deepa Kharb, Assistant Professor

- Dr. Deepa Kharb delivered a session on *Mentor-Mentee Relationship* in One day Legal Research Methodology workshop on 'Dissertation Writing' at Indian Law Institute on January 28, 2020.
- Her research paper titled *"Patent Provisions in Mega-Regional Preferential Trade Agreements: Public Health Implications for Developing Countries"* was published in ILILR Summer Issue, 2019.
- She was invited by Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) to undertake a research work for the issues related to privacy breach from mobile apps/devices in collaboration with CDAC. A research proposal titled *"Study and Analysis of Issues related to Malicious Content in Social Media and Proposing a Draft Legislation"* was finalized and submitted along with

the financial Statement to MeitY. The proposal was sent for approval to the Hon'ble CJI, Supreme Court.

- She delivered a lecture on *"FDI Policy, Acts and Regulations"* on September 30, 2019 at Haryana Institute of Public Administration (HIPA), Gurgaon in the Foundation Course organised for Officer Trainees of ITS & P & T BWS Group 'A' from Department of Telecommunications, Government of India from **July 29, 2019 to Nov. 8, 2019**.
- She was invited as Resource Person for a Two Day Workshop on 'Emerging Trends in Constitutional Law, Environmental Law, Criminal Law, Women & Law, Intellectual Property Rights, Family Law and International Trade Law' conducted on the December 19 & 20, 2019 at Faculty of Law, SGT University, Gurgaon. She delivered a two hour session on *"Emerging Trends on International Trade Law"* on December 19, 2019.
- She delivered 3 sessions on **5<sup>th</sup> July 2019** on *"Intellectual Property Rights in Digital Medium"* in 5-days course on "Cyber Laws" conducted at CBI Academy, Ghaziabad from May, 01-05, 2019 for Inspector to DIG and APP to ALA of CBI and State Police.
- She delivered a lecture on *"FDI Policy, Acts and Regulations"* on **10 July 2019** in the Foundation Course for Officer Trainees of ITS & P&T BWS Group 'A' from Department of Telecommunications, Government of India at Haryana Institute of Public Administration (HIPA), Gurgaon held from **April 8 – July 19, 2019**.



## XV. SUPERANNUATION

Professor Furqan Ahmed, superannuated on June 30, 2019 after successfully serving the Indian Law Institute for almost 31 years.

## XVI. FORTHCOMING ACTIVITIES

### LL.M and PG Diploma Examinations

The examinations for PG Diploma courses will start in the month of April 2020 and the semester end LL.M examinations are scheduled to commence from 20/07/2020.

### Publications on the Anvil

- *Journal of the Indian Law Institute (JILI)*
  - Vol. 62 (2) (April-June 2020)
  - Vol. 62 (3) (July-Sep. 2020)
  - Vol. 62 (4) (Oct-Dec 2020)
  - Vol. 63 (1) (Jan-Mar 2021)
- *ILI Newsletter*
  - Vol. XXII No. 2 (April – June 2020)
  - Vol. XXII No. 3 (July – Sept. 2020)
  - Vol. XXII No. 4 (Oct. – Dec. 2020)
  - Vol. XXIII No. 1 (Jan. - March 2021)
- *Annual Survey of India Law – 2019*
- *Index to Indian Legal Periodicals – 2017 & 2018*
- *Books:*
  - *Legal Research and Writing : New Perspectives*
  - *Human Rights of the Special Groups*

### Admissions

Admission process for Ph.D/LL.M./Post Graduate Diploma Courses (2020-2021 batches) will begin from 20/07/2020 onwards.

### Proposed Infrastructure Development

The Institute is planning the following infrastructure & IT development work :

- Renovation of Water Tanks, Server Room
- Installation of Fire Fighting System and Solar Energy System
- Procurement of Storage Area Network (SAN) and its assisted Devices.
- Procurement of Video Conferencing System and PA System for Plenary Hall.
- Restructuring of Institute LAN and Wi-Fi Network.
- Procurement of Software's (Windows Server 2019, Windows 10 and MS Office 2019).
- Proposal for Procurement of Customised Campus Management Software.
- Restructuring and Upgradation of Institute Website.

## LIST OF GOVERNING COUNCIL MEMBERS OF ILI (As on 31.03.2020)

### President

1. Hon'ble Mr. Justice Sharad Arvind Bobde  
Chief Justice of India  
Supreme Court of India  
New Delhi

### Vice President

2. Mr. Ravi Shankar Prasad  
Hon'ble Union Minister of Law & Justice  
Government of India  
Shastri Bhawan  
New Delhi

### Treasurer

3. Hon'ble Mr. Justice L. Nageswara Rao  
Judge,  
Supreme Court of India  
New Delhi

### Members

4. Hon'ble Mr. Justice Surya Kant  
Judge,  
Supreme Court of India  
New Delhi
5. Chairman,  
Law Commission of India  
New Delhi
6. Hon'ble Mr. Justice A.M.Sapre  
Former Judge  
Supreme Court of India
7. Attorney General for India  
Supreme Court  
New Delhi
8. Solicitor General of India  
Supreme Court  
New Delhi
9. Mr. Sanjay Jain  
Former Additional Solicitor General of India  
Supreme Court



- New Delhi
10. President  
Indian Society of International Law  
New Delhi
  11. Secretary  
University & Higher Education  
Ministry of Human Resource Development  
Government of India  
New Delhi
  12. Chairman  
University Grants Commission  
Bahadurshah Zafar Marg  
New Delhi
  13. Prof. Ranbir Singh  
Vice Chancellor  
National Law University of Delhi
  14. Prof. P. S. Jaswal  
Vice Chancellor  
National Law University  
Patiala  
Punjab
  15. Mr. E.C.Agrawal  
Advocate  
Supreme Court of India  
New Delhi
  16. Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha  
Director, ILI

### Secretary

17. Mr. Shreenibas Chandra Prusty  
Registrar, ILI

## MEMBERS – EXECUTIVE COMMITTEE (As on 31.03.2020)

### President

1. Hon'ble Mr. Justice Sharad Arvind Bobde  
Chief Justice of India  
Supreme Court of India  
New Delhi

### Vice President

2. Mr. Ravi Shankar Prasad  
Hon'ble Union Minister of Law  
& Justice  
Government of India  
Shastri Bhawan  
New Delhi

### Treasurer

3. Hon'ble Mr. Justice L.Nageswara Rao  
Judge,  
Supreme Court of India  
New Delhi

### Members

4. Hon'ble Mr. Justice Sanjay Kishan Kaul  
Judge  
Supreme Court of India  
New Delhi
5. Secretary, Department of Legal Affairs  
Ministry of Law & Justice,  
Government of India  
New Delhi
6. Secretary, Department of Expenditure  
Ministry of Finance,  
Government of India  
New Delhi
7. Chairman - or nominee of Chairman  
University Grants Commission,  
New Delhi
8. Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha  
Director, ILI

### Secretary

9. Mr. Shreenibas Chandra Prusty  
Registrar, ILI





## THE INDIAN LAW INSTITUTE, NEW DELHI

### LIST OF MEMBERS - FINANCE COMMITTEE

#### Chairman

1. Hon'ble Mr. Justice L. Nageswara Rao  
Judge, Supreme Court of India

#### Member

2. Nominee from Governing Council
3. Secretary, Ministry of Law and Justice
4. Secretary Ministry of Finance
5. A representative of the,  
University Grants Commission
6. Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha  
Director, ILI

#### Secretary

7. Sh. Shreenibas Chandra Prusty  
Registrar, ILI



## THE INDIAN LAW INSTITUTE, NEW DELHI (DEEMED UNIVERSITY)

### LIST OF MEMBERS – ACADEMIC COUNCIL

#### Chairman

1. Hon'ble Mr. Justice U. U. Lalit  
Judge, Supreme Court of India

#### Member

2. Prof. G. Mohan Gopal  
Former Director, NJA & NLSIU  
Chairman, NCMS Committee  
Supreme Court of India, New Delhi
3. Prof. Afzal M. Wani  
Professor, GGSIP University
4. Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha  
Director, ILI
5. Prof. (Dr.) S.Sivakumar  
Professor, ILI
6. Dr. Jyoti Dogra Sood  
Associate Professor, ILI
7. Dr. Deepa Kharb  
Assistant Professor, ILI

#### Secretary

8. Mr. Shreenibas Chandra Prusty  
Registrar, ILI



# THE INDIAN LAW INSTITUTE

## ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS FINANCIAL YEAR 2019-20

**Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co.**  
*Chartered Accountants*  
221-223 Deen Dayal Upadhyay Marg  
New Delhi-110002

**THAKUR, VAIDYANATH AIYAR & CO.**  
Chartered Accountants  
New Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai,  
Patna and Chandigarh

221-223, Deen Dayal Marg, New Delhi-110002  
Phones : 91-11-23236958-60, 23237772  
Fax : 91-11-23230831  
E-mail : tvandeca@gmail.com

## **Independent Auditor's Report**

**To the Governing Council  
The Indian Law Institute**

### **Report on the Audit of the Financial Statements**

#### **Opinion :**

We have audited the accompanying financial statements of **The Indian Law Institute**, which comprise the Balance Sheet as at March 31<sup>st</sup>, 2020, and the Statement of Income and Expenditure for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the accompanying financial statements of the Institute, read together with Accounting Policy and Notes to Accounts have been prepared in accordance with the applicable Laws, in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the other accounting principles generally accepted in India.

#### **Basis for Opinion :**

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the organization in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

#### **Responsibilities of Management for the Financial Statements:**

Management of the Institutes responsible for the preparation of these financial statements in accordance with applicable Laws and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statement that are free from material misstatement, whether due to fraud or error and that give a true and fair view of the financial position, financial performance in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the applicable Accounting Standards. In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the entity's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting





unless management either intends to liquidate the entity or to cease operation, or has no realistic alternative but to do so. Those charged with governance are responsible for overseeing the entity's financial reporting process.

#### **Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements:**

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error and to issue an Auditor's Report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identified and assessed the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtained an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control.
- Evaluated the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- We communicated with those charged with governance regarding, among other matter, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that way identified during our audit.

#### **Report on other Legal and Regulatory Requirements:**

- a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
- b. in our opinion, proper books of account as required by relevant laws have been kept by the Institute
- c. So far as it appears from our examination of those books including the returns / reports received from the regional offices not visited by us.



- d. The Balance Sheet and the Statement of Income and Expenditure, dealt with by this Report are in agreement with the books of account and returns received from the regional offices not visited by us.
- e. In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards to the extent applicable.

For Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co.  
Chartered Accountants  
FRN: 000038N



(Anil K. Thakur)  
Partner  
M. No. : 088722

UDIN : 20088722 NAAAB1480

Place: New Delhi

Date : 24 DEC 2020





## THE INDIAN LAW INSTITUTE

Bhagwandas Road, New Delhi

**BALANCE SHEET as at 31st March, 2020**

	Schedule	As at 31.03.2020 (Rs.)	As at 31.03.2019 (Rs.)
<b><u>SOURCES OF FUNDS</u></b>			
Capital Assets Fund	1	14,32,153	18,70,826
General Fund	2	1212,34,213	1251,94,323
Plan Grant from UGC	3	308,66,527	347,66,837
Specific Funds	4	210,93,652	193,55,690
Project Funds	5	-	5,86,084
Current Liabilities	6	123,61,846	88,13,522
<b>TOTAL</b>		<b>1869,88,390</b>	<b>1905,87,282</b>


**APPLICATION OF FUNDS**

<b>Fixed Assets</b>	7		
Gross Block		1157,29,063	1143,85,034
Less: Accumulated Depreciation		862,79,803	808,42,871
Net Block		294,49,260	335,42,163
Capital Work-in-Progress		-	-
Investments	8	1251,17,772	1212,11,308
Current Assets, Deposits and Advances	9	324,21,358	358,33,811
<b>TOTAL</b>		<b>1869,88,390</b>	<b>1905,87,282</b>

Significant Accounting Policies &amp; Notes to Accounts 22

Schedule Nos. 1 to 22 form an integral part of the Accounts

As per our report of even date attached  
for Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co.  
Chartered Accountants  
FRN: 000038N




Anil K. Thakur  
(Partner)  
M.No.058722  
UDIN:



Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha  
(Director)



Shreenibas Chandra Prusty  
(Registrar)



Dr. A. K. Verma  
(Dy. Registrar)



Ashish Bawa  
(Chief Accountant)

Place: New Delhi

Date: 24 DEC 2020





# THE INDIAN LAW INSTITUTE

Bhagwandas Road, New Delhi

## INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2020

	Schedule	Year Ended 31.03.2020 (Rs.)	Year Ended 31.03.2019 (Rs.)
<b>INCOME</b>			
Grant-in-aid	10	300,00,000	400,00,000
Rent	11	145,02,282	143,18,089
Fees	12	174,60,785	187,56,661
Project Grants	13	-	24,60,991
Interest	14	72,44,141	73,76,518
Sale of Journals and other publications	15	8,14,714	3,68,835
Miscellaneous Income	16	6,15,732	10,13,971
Old Liabilities Written Back		-	-
Closing Stock of Publication		16,79,023	14,68,409
<b>TOTAL (i)</b>		<b>723,16,677</b>	<b>857,63,574</b>
<b>EXPENDITURE</b>			
Salaries & Allowances	17	564,84,787	597,40,152
Administrative Expenses	18	127,22,315	102,18,637
Journal and Publication Expenses	19	22,12,842	23,64,842
Lectures, Seminars and Course Expenses	20	22,90,485	18,26,618
Project Expenses	21	-	24,60,991
Depreciation on Fixed Assets	7	10,97,949	9,98,014
Opening Stock of Publication		14,68,409	13,48,942
<b>Total (ii)</b>		<b>762,76,787</b>	<b>789,56,194</b>
Surplus/ (Deficit) for the year transferred to General Fund(i - ii)		<b>(39,60,110)</b>	<b>68,05,380</b>

Significant Accounting Policies & Notes to Accounts 22

Schedule Nos. 1 to 22 form an integral part of the Accounts

As per our report of even date attached  
for Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co.  
Chartered Accountants  
FRN: 000038N

*Anil K. Thakur*

Anil K. Thakur  
(Partner)  
M.No.068722  
UDIN:

*Manoj Kumar Sinha*

Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha  
(Director)

*Shreenibas Chandra Prusty*

Shreenibas Chandra Prusty  
(Registrar)

*Dr. A. K. Verma*

Dr. A. K. Verma  
(Dy. Registrar)

*Ashish Bawa*

Ashish Bawa  
(Chief Accountant)

Place: New Delhi

Date: 24 DEC 2020







## THE INDIAN LAW INSTITUTE

Bhagwandas Road, New Delhi

**RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2020**

		Year Ended 31.03.2020		Year Ended 31.03.2019
	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
<b>RECEIPT</b>				
Grant-in-aid from Ministry of Law & Justice		300,00,000		400,00,000
Grant from UGC		-		-
Rent		39,01,747		135,07,971
Fees		138,38,785		186,39,788
Interest		4,60,670		4,60,927
Sale of Journals and other publications		8,14,714		3,68,935
Miscellaneous Income		1,28,016		10,42,596
Specified Funds		3,26,204		55,000
Current Liabilities		67,25,030		22,08,849
Project Grants		2,95,400		17,79,211
Investments		244,95,136		205,88,503
Current Assets, Deposits and Advances		181,02,494		28,81,237
Opening Balances:				
Cash in hand	10,935		13,383	
Cash at Bank	189,26,515	189,37,450	100,22,977	100,36,360
<b>TOTAL</b>		<b>1160,25,646</b>		<b>1115,69,375</b>
<b>PAYMENT</b>				
Salaries & Allowances		409,27,185		440,10,432
Administrative Expenses		111,74,193		103,68,351
Journal and Publication Expenses		24,82,365		18,05,449
Lectures, Seminars and Course Expenses		17,99,381		13,56,079
Grant from UGC				37,28,946
Project Grants		6,40,876		13,98,507
Current Liabilities		192,15,727		176,81,597
Fixed Assets		13,40,554		24,08,810
Investments		200,00,000		30,00,000
Current Assets, Deposits and Advances		59,26,776		68,74,754
Closing Balances:				
Cash in hand	9,872		10,935	
Cash at Bank	125,08,957	125,16,629	189,26,515	189,37,450
<b>TOTAL</b>		<b>1160,25,646</b>		<b>1115,69,375</b>

for Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co.  
Chartered Accountants  
FRN: 000038N



Anil K. Thakur  
(Partner)  
M.No.088722  
UDIN:



Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha  
(Director)



Shreenibas Chandra Prusty  
(Registrar)



Dr. A. K. Verma  
(Dy. Registrar)



Ashish Sawu  
(Chief Accountant)

Place: New Delhi  
Date: 24 DEC 2020



	As At 31.03.2020	As At 31.03.2019
<b>SCHEDULE - 1</b>		
<b>CAPITAL ASSETS FUND</b>		
	(Rs.)	(Rs.)
Balance as on 01.04.2019	18,70,826	23,78,830
Less: Assets written off during the year	-	-
	18,70,826	23,78,830
Less: Transferred to Accumulated Depreciation	4,38,673	5,08,004
	<b>14,32,153</b>	<b>18,70,826</b>

	As At 31.03.2020	As At 31.03.2019
<b>SCHEDULE - 2</b>		
<b>GENERAL FUND</b>		
	(Rs.)	(Rs.)
Balance as on 01.04.2019	1251,94,323	1183,88,943
Add: Amount transferred from Income & Expenditure Account	(39,60,110)	68,05,380
	<b>1212,34,213</b>	<b>1251,94,323</b>

	As At 31.03.2020	As At 31.03.2019
<b>SCHEDULE - 3</b>		
<b>PLAN GRANT FROM UGC</b>		
	(Rs.)	(Rs.)
Balance as on 01.04.2019	347,66,837	439,45,515
ADD: Grant received during the year	-	-
ADD: Interest on unutilized Grant	-	-
LESS: Plan Expenditure incurred during the year		
- Payment to Guest Faculty	-	14,40,331
- Digitization of Publications	-	47,200
- Meeting & Seminar Expenses	-	1,00,000
- Repair & Maintenance Expenses	-	7,33,802
- Subscription of Online Journals/Database	-	17,79,661
- Depreciation on Fixed Assets (Plan)	39,00,310	50,77,684
	<b>** 308,66,527</b>	<b>** 347,66,837</b>

\*\*

Represented by:

Balance in Fixed Assets/Net Book Value

Advances (Refer Schedule 9-E)

Balance Available invested in FDRs (Excess amount spent)

225,84,324

84,17,152

(1,34,949)

**308,66,527**

264,84,634

84,17,152

(1,34,949)

**347,66,837**


	<u>As At</u> <u>31.03.2020</u>	<u>As At</u> <u>31.03.2019</u>
<b>SCHEDULE - 4</b>		
<b>SPECIFIED FUNDS</b>		
	<b>(Rs.)</b>	<b>(Rs.)</b>
<b>Life Membership Fund</b>		
Balance as on 01.04.2019	154,21,981	139,68,388
Add: Interest/ Dividend on the investment of the fund	11,26,595	10,22,343
Add: Fee received during the year	3,26,204	4,31,250
Less: Amount refunded during the year	-	-
<b>Sub-Total (A)</b>	<b>168,74,781</b>	<b>154,21,981</b>
<b>Sulakhna Devi Fund</b>		
Balance as on 01.04.2019	5,54,678	5,18,219
Add: Interest for the year on the investment of the fund	39,273	36,459
<b>Sub-Total (B)</b>	<b>5,93,951</b>	<b>5,54,678</b>
<b>Gold Medal Fund</b>		
Balance as on 01.04.2019	33,79,031	31,48,830
Add: Received during the year	-	-
Add: Interest for the year on the investment of the fund	2,45,889	2,30,201
Less: Gold Medal Expenses during the year	-	-
<b>Sub-Total (C)</b>	<b>36,24,920</b>	<b>33,79,031</b>
<b>Grand Total (A+B+C)</b>	<b>210,93,652</b>	<b>193,55,690</b>

	<u>As At</u> <u>31.03.2020</u>	<u>As At</u> <u>31.03.2019</u>
<b>SCHEDULE - 5</b>		
<b>PROJECT FUNDS</b>		
	<b>(Rs.)</b>	<b>(Rs.)</b>
Project - Ministry of Social Justice	-	75,000
Project - Ministry of External Affairs	-	5,11,084
	<b>-</b>	<b>5,86,084</b>

	<u>As At</u> <u>31.03.2020</u>	<u>As At</u> <u>31.03.2019</u>
<b>SCHEDULE - 6</b>		
<b>CURRENT LIABILITIES</b>		
	<b>(Rs.)</b>	<b>(Rs.)</b>
Expenses Payable	84,83,642	60,60,533
Security Deposit	16,44,908	14,97,186
Earnest Money Deposit	1,36,500	1,21,500
Other Liabilities	20,96,795	11,34,303
	<b>123,61,845</b>	<b>88,13,522</b>



# SCHEDULE I

## FIXED ASSETS

Particulars	Rate of Dep.	SALIENT BLOCK										NET BALANCE			
		As on 31.03.2019										As on 31.03.2018			
		UGC Plan Grant (Rs.)	Other Grants/ Open Funds (Rs.)	UGC Plan Grant (Rs.)	Other Grants/ Open Funds (Rs.)	UGC Plan Grant (Rs.)	Other Grants/ Open Funds (Rs.)	UGC Plan Grant (Rs.)	Other Grants/ Open Funds (Rs.)	UGC Plan Grant (Rs.)	Other Grants/ Open Funds (Rs.)	UGC Plan Grant (Rs.)	Other Grants/ Open Funds (Rs.)	UGC Plan Grant (Rs.)	Other Grants/ Open Funds (Rs.)
Land/Plot/Land		-	67,894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,894	-
Building	10%	190,11,830	55,13,771	47,36,703	27,16,100	13,27,427	2,71,567	80,64,170	29,87,633	119,46,868	25,16,546	122,34,073	27,36,005	27,36,005	-
Approach Road	10%	-	5,000	-	5,000	-	194	-	3,257	-	-	3,257	-	3,257	-
Electrical Equipments	10%	91,08,865	25,03,364	52,11,575	16,35,568	9,84,866	1,29,214	67,86,810	17,68,772	33,13,023	7,32,212	36,87,708	6,61,429	6,61,429	-
Furniture & Fixtures	10%	68,87,572	12,01,484	37,42,662	7,42,889	5,15,532	63,525	42,56,164	8,12,214	46,39,526	6,44,420	51,60,008	4,58,575	4,58,575	-
Office Equipments	10%	3,56,264	14,87,168	19,50,762	11,66,755	30,206	63,531	4,44,787	12,41,206	1,14,487	6,86,490	1,54,067	3,28,435	3,28,435	-
Library Books	40%	171,15,869	299,48,554	273,56,269	255,74,815	7,86,776	7,86,776	106,76,162	281,63,122	11,40,777	11,35,140	16,01,206	16,14,589	16,14,589	-
Computers	40%	90,82,027	34,33,270	75,03,263	34,23,871	9,58,750	63,960	81,61,963	34,24,831	8,88,044	1,54,439	14,80,744	5,339	5,339	-
Library Equipments	15%	25,16,428	24,75,876	18,02,162	16,84,693	62,442	62,067	10,84,800	16,82,660	5,23,629	4,92,666	6,16,368	5,79,285	5,79,285	-
Sports Equipments	50%	-	-	-	13,471	-	1,525	-	16,570	-	-	-	11,549	11,549	-
Staff Car	18%	-	5,15,000	-	3,55,719	-	17,892	-	4,71,610	-	-	1,31,340	-	1,31,340	-
<b>Sub-TOTAL (A)</b>		<b>852,71,547</b>	<b>481,87,762</b>	<b>486,13,771</b>	<b>411,86,519</b>	<b>38,89,422</b>	<b>1,02,631</b>	<b>426,94,706</b>	<b>438,28,032</b>	<b>225,76,336</b>	<b>66,38,739</b>	<b>264,78,162</b>	<b>87,38,233</b>	<b>87,38,233</b>	-
Fixed Assets of Director's Residence	10%	-	-	-	-	-	11,467	-	2,64,541	-	-	-	-	-	-
Electrical Equipments	10%	-	3,29,890	-	2,63,490	-	-	-	-	-	-	64,940	-	64,940	-
Furniture & Fixtures	10%	22,869	4,53,560	14,037	2,77,864	667	17,573	14,814	2,88,427	7,866	1,38,152	6,072	1,25,226	1,25,226	-
Office Equipments	10%	-	50,795	-	23,639	-	1,066	-	24,708	-	-	6,207	-	6,207	-
Computers	40%	-	1,08,111	-	1,26,147	-	26	-	1,26,073	-	-	-	-	-	-
<b>Sub-TOTAL (B)</b>		<b>22,869</b>	<b>6,33,346</b>	<b>14,037</b>	<b>6,64,035</b>	<b>667</b>	<b>10,125</b>	<b>14,814</b>	<b>6,64,148</b>	<b>7,866</b>	<b>2,28,137</b>	<b>8,072</b>	<b>2,38,335</b>	<b>2,38,335</b>	-
<b>TOTAL COST (A+B)</b>		<b>875,53,416</b>	<b>545,21,108</b>	<b>500,27,808</b>	<b>418,50,554</b>	<b>39,56,119</b>	<b>11,56,632</b>	<b>441,89,420</b>	<b>444,92,180</b>	<b>233,63,172</b>	<b>68,66,876</b>	<b>272,86,234</b>	<b>89,76,568</b>	<b>89,76,568</b>	<b>70,57,529</b>





**SCHEDULE - 8**  
**INVESTMENTS**

Name of the Fund	With Scheduled Banks			With UTI	Total	
	Canara Bank (Rs.)	Uco Bank (Rs.)	Bank of Baroda (Rs.)		As at 31.03.2020 (Rs.)	As at 31.03.2019 (Rs.)
<b>(a) General Fund</b>						
In Fixed Deposits	-	809,87,410	220,17,595	-	1030,05,005	1005,58,327
In Flexi Deposits	-	-	-	-	-	-
<b>(b) Specified Funds</b>						
Life Membership Fund	-	173,70,211	-	3,00,300	176,70,511	164,94,366
Sulakhna Devi Fund	1,18,396	4,84,063	-	-	6,02,449	5,63,839
Gold Medal Fund	-	38,39,807	-	-	38,39,807	35,94,776
<b>TOTAL</b>	<b>1,18,396</b>	<b>1026,81,491</b>		<b>3,00,300</b>	<b>1251,17,772</b>	<b>1212,11,308</b>



	As At 31.03.2020	As At 31.03.2019
<b>SCHEDULE - 9</b>		
<b>CURRENT ASSETS, DEPOSITS &amp; ADVANCES</b>		
	(Rs.)	(Rs.)
<b>(A) CASH AND BANK BALANCES</b>		
Cash in Hand	4,300	6,493
Postage Imprest	5,372	4,442
<u>Saving Bank Accounts:</u>		
Uco Bank A/c No.9792	19,91,099	5,14,725
Uco Bank A/c No.257036	74,39,373	180,71,484
Bank of Baroda A/c No.13830100006557	30,74,611	3,27,860
Canara Bank A/c No.2417101021884	1,000	1,000
Uco Bank A/c No.88227	2,874	11,445
	<b>125,18,629</b>	<b>189,37,449</b>
<b>(B) CLOSING STOCK OF PUBLICATIONS</b>	<b>16,79,023</b>	<b>14,68,409</b>
<b>(C) INTEREST ACCRUED ON INVESTMENT</b>		
General Fund	21,24,087	23,26,491
Sukhama Devi Fund	13,985	13,322
Life Membership Fund	4,89,528	5,39,077
Gold Medal Fund	65,703	64,845
	<b>26,93,303</b>	<b>29,43,735</b>
<b>(D) AMOUNTS RECEIVABLE</b>		
Ministry of Law & Justice	42,08,034	17,05,603
Ministry of External Affairs	1,19,635	-
Ministry of Finance	2,57,298	-
National Human Rights Commission	1,78,873	-
Project Grant Receivable	4,07,266	4,99,651
Interest Receivable	38,985	-
Input Tax Credit (ITC)	34,965	-
Tax Deducted At Source (GST)	12,920	-
TDS Recoverable	11,90,934	11,85,087
Electricity charges from Staff	912	687
Canteen Contractor	11,221	22,671
	<b>64,61,023</b>	<b>34,13,679</b>
<b>(E) DEPOSITS AND ADVANCES</b>		
Advances to CPWD		
Plan Funds	84,17,152	84,17,152
Non-Plan Funds	31,919	31,919
	84,49,071	84,49,071
Advances to Staff	24,404	1,500
Advances to Others		
Plan Funds	-	-
Non-Plan Funds	3,500	3,500
	3,500	3,500
Deposits	60,670	60,670
Prepaid Expenses	5,31,735	5,55,798
	<b>90,69,380</b>	<b>90,70,539</b>
<b>GRAND TOTAL (A+B+C+D+E)</b>	<b>324,21,358</b>	<b>358,33,811</b>



	<u>Year Ended</u> <u>31.03.2020</u>	<u>Year Ended</u> <u>31.03.2019</u>
<b>Schedule - 10</b>		
<b>Grant-in-aid</b>		
<u>S.No.</u>	<u>(Rs.)</u>	<u>(Rs.)</u>
1 Grant received from M/o Law & Justice	300,00,000	400,00,000
	<u>300,00,000</u>	<u>400,00,000</u>

<b>Schedule - 11</b>		
<b>Rental Income</b>		
<u>S.No.</u>	<u>(Rs.)</u>	<u>(Rs.)</u>
1 O/L Wing - M/o Law & Justice	51,19,320	51,19,320
2 Cental Agencies - M/o Law & Justice	77,52,192	77,52,192
3 Canteen	1,64,042	1,31,102
4 Annexe & Meeting Rooms	14,46,728	13,15,475
	<u>145,02,282</u>	<u>143,18,089</u>

<b>Schedule - 12</b>		
<b>Fees &amp; Subscription</b>		
<u>S.No.</u>	<u>(Rs.)</u>	<u>(Rs.)</u>
1 PG Diploma Courses	73,18,175	82,80,580
2 LL.M. Course	32,30,750	32,93,300
3 Ph.D. Course	3,61,000	4,37,500
4 Admission Process Fee (Diploma/ LL.M/ Ph.D.)	36,22,000	36,00,000
4 Online IPR Course	8,60,350	11,13,400
5 Online Cyber Law Course	17,84,150	14,15,200
6 Library Fees	74,272	1,10,346
7 Recruitment Application Fee	87,041	1,79,460
8 Membership Fee - Ordinary Members	1,23,047	3,26,875
	<u>174,60,785</u>	<u>187,56,661</u>

<b>Schedule - 13</b>		
<b>Project Income</b>		
<u>S.No.</u>	<u>(Rs.)</u>	<u>(Rs.)</u>
1 Project Grant - Ministry of External Affairs	-	11,13,127
2 Training Programme - DCPCR	-	92,385
3 Training Programme - NHRC	-	5,95,979
4 Project - Waqf Board	-	80,000
5 Project - CIC	-	5,79,500
	-	<u>24,60,991</u>



	<u>Year Ended</u> <u>31.03.2020</u>	<u>Year Ended</u> <u>31.03.2019</u>
<b>Schedule - 14</b>		
<b><u>Interest Received</u></b>		
<u>S.No.</u>	<u>(Rs.)</u>	<u>(Rs.)</u>
1 Interest on General Fund Investments	67,44,505	69,15,572
2 Interest on Saving Bank Accounts	4,99,636	4,60,946
	<u>72,44,141</u>	<u>73,76,518</u>

<b>Schedule - 15</b>		
<b><u>Sale of Journal &amp; Other Publication</u></b>		
<u>S.No.</u>	<u>(Rs.)</u>	<u>(Rs.)</u>
1 Annual Survey	1,20,620	1,43,950
2 Journal Income	5,42,917	1,48,240
3 Publication Income	1,51,037	76,285
4 Newsletter Income	140	460
	<u>8,14,714</u>	<u>3,68,935</u>

<b>Schedule - 16</b>		
<b><u>Miscellaneous Income</u></b>		
<u>S.No.</u>	<u>(Rs.)</u>	<u>(Rs.)</u>
1 Photostat/ Computer Printing Charges	83,869	1,42,759
2 Royalty	17,924	7,794
3 Project Administration Charges	4,86,944	6,97,786
4 Diploma Certificate Charges	12,000	15,800
5 Membership I-Card Charges	6,180	5,200
6 Sale of Tender Form	-	36,000
7 Others	8,815	1,08,632
	<u>6,15,732</u>	<u>10,13,971</u>





	<u>Year Ended</u> <u>31.03.2020</u>	<u>Year Ended</u> <u>31.03.2019</u>
<b>Schedule - 17</b>		
<b><u>Salaries &amp; Allowances</u></b>		
<u>S.No.</u>	<u>(Rs.)</u>	<u>(Rs.)</u>
1 Salaries & Allowances	461,07,221	447,21,869
2 Contribution to Provident Fund	45,84,025	43,27,104
3 Gratuity Expenses paid to LIC	22,72,197	46,37,212
4 Leave Encashment Expenses paid to LIC	10,01,420	26,70,513
5 Leave Encashment with LTC	50,000	1,92,692
6 DA Arrears	4,62,478	3,16,258
7 LTC /HTC Expenses	77,222	10,26,665
8 Group Mediciam Premium	8,37,465	6,48,839
9 Medical Expenses	3,059	-
10 Honorarium to Staff	9,700	60,500
11 Children Education Allowance	10,80,000	11,38,500
	<b>584,84,787</b>	<b>597,40,152</b>

<b>Schedule - 18</b>		
<b><u>Administrative Expenses</u></b>		
<u>S.No.</u>	<u>(Rs.)</u>	<u>(Rs.)</u>
1 Travelling & Conveyance	2,31,746	4,57,490
2 Security Services	25,77,718	23,23,015
3 Housekeeping and Outsourcing Expenses	33,33,413	22,76,227
4 Electricity & Water	21,31,001	17,45,775
5 Telephone & Fax	1,04,880	1,11,529
6 Photostat, Printing & Stationary	5,79,611	5,75,194
7 Postage & Stamps	1,56,986	2,81,949
8 Insurance	2,97,830	84,518
9 Refreshment	1,05,187	1,61,384
10 Statutory Auditor's Remuneration	60,000	60,000
11 Internal Auditors's Remuneration	2,30,000	2,00,000
12 Legal & Professional	26,800	37,700
13 Membership & Subscription	86,580	85,580
14 Repair & Maintenance	18,33,684	7,60,454
15 Liveries to Staff	60,000	60,000
16 Staff Car Expenses	58,771	52,796
17 Newspaper Reimbursement Expenses	1,62,150	1,73,050
18 Telephone Reimbursement Expenses	1,29,036	1,61,393
19 Recruitment Expenses	2,82,428	2,07,989
20 Staff Training Expenses	84,179	2,27,362
21 Library Book Binding Charges	36,805	29,322
22 Miscellaneous	1,53,510	1,45,910
	<b>127,22,315</b>	<b>102,18,637</b>



	<u>Year Ended</u> <u>31.03.2020</u>	<u>Year Ended</u> <u>31.03.2019</u>
<b>Schedule - 19</b>		
<b><u>Journal/ Publication Expenses</u></b>		
<b>S.No.</b>	<b>(Rs.)</b>	<b>(Rs.)</b>
1 Journal Expenses	4,37,422	6,43,957
2 Publication/ Annual Survey/ Digitization Expenses	5,41,418	6,80,693
3 Newsletter Expenses	1,23,153	2,63,599
4 Subscription of Journals/ Database	11,10,849	7,56,593
	<u>22,12,842</u>	<u>23,64,842</u>

<b>Schedule - 20</b>		
<b><u>Lecture, Seminar &amp; Course Expenses</u></b>		
<b>S.No.</b>	<b>(Rs.)</b>	<b>(Rs.)</b>
1 Diploma Course Expenses	9,64,437	1,84,300
2 Ph.D. Expenses	63,000	61,715
3 LLM Course Expenses	5,78,034	1,28,296
4 Online IPR Course	24,000	88,226
5 Online Cyber Law Course	24,000	1,10,725
6 Meeting & Seminar Expenses	5,37,014	6,32,209
7 Summer Course & Conferences	-	4,71,145
8 Scholarship	1,00,000	1,50,000
	<u>22,90,485</u>	<u>18,26,616</u>

<b>Schedule - 21</b>		
<b><u>Project Expenses</u></b>		
<b>S.No.</b>	<b>(Rs.)</b>	<b>(Rs.)</b>
1 Project Grant - Ministry of External Affairs	-	11,13,127
2 Training Programme - DCPCR	-	92,385
3 Training Programme - NHRC	-	5,95,979
4 Project - Waqf Board	-	80,000
5 Project - CIC	-	5,79,500
	<u>-</u>	<u>24,60,991</u>



## THE INDIAN LAW INSTITUTE

### SCHEDULE – 22

#### SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS

(A) **Accounting Convention:**

- i. These Financial Statements have been prepared on going concern concept on accrual basis under historical cost convention, and are in compliance with generally accepted accounting principles and the applicable Accounting Standards.
- ii. The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles in India requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosures of contingent liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting period. Differences between the actual results and estimates are recognized in the year in which results are known materialized.

(B) **ACCOUNTING POLICIES**

1.
  - (a) Income from Grants for Specific Projects is accounted for to the extent expenses for the projects are incurred. However, unspent amount of grant is appropriated as income on completion of the projects unless the unspent amount is refundable. Other grants are accounted for as income on receipt basis.
  - (b) Amount overspent, in case of a project, is shown as recoverable.
  - (c) Income from Fees, Annex Rent and Rent from halls is accounted for on cash basis. However, fee received in advance is carried forward to be adjusted in future.
  - (d) Journals purchased for the library and Ordinary Membership Subscription received during the year is accounted for on cash basis.
  - (e) Other items of Income and Expenditure Account of the Institute are accounted for on accrual basis.
  - (f) Interest in investments relating to specified funds is credited to the respective funds.
  - (g) Gratuity and Leave Encashment policies have been taken from Life Insurance Corporation of India and the annual contributions are accounted for as expense, in the relevant year.
  - (h) Life Membership fees and Ordinary Membership fees received and pending for grant of membership is treated as liability.





2. (a) Depreciation was not provided on Fixed Assets upto 31.03.2010 and an amount equal to the cost of fixed assets acquired during the year was appropriated out of surplus for the year and credited to Capital Assets Fund. However, as per the decision of the Executive Committee, annual depreciation was since been calculated on Fixed Assets of the Institute as per the rates prescribed in the Income Tax Act, 1961 for the year ended 31<sup>st</sup> March 2011. As decided, annual depreciation on Fixed Assets procured prior to 31.3.2010 amounting to Rs.2,30,74,958 is being adjusted against the Capital Assets Fund and the same practice will be followed till the Assets are fully depreciated and Capital Assets Fund is exhausted.
- (b) Assets acquired out of one time UGC Grant have also been capitalised as Fixed Assets. Depreciation on Fixed Assets procured out of Plan Grant received from UGC is adjusted against 'Plan Grant from UGC' (Refer Schedule-3).
3. Cost of Library Books and other publications intended to be kept as reference material in the library is capitalized.
4. The cost of books and Annual Survey published after 1.4.2004 and remaining unsold at the year end is included in the Closing Stock of Publications.

(C) **NOTES TO ACCOUNTS**

1. The Indian Law Institute is registered u/s 12A of the Income Tax Act 1961, vide letter no. JE-3(34)/62/8250 dated 9<sup>th</sup> July 1974 issued by the office of The Commissioner of Income Tax, New Delhi.
2. The Institute is approved u/s 10(23C)(vi)(via) of the Income Tax Act 1961 vide Order No. F.No. DGIT(E)/10(23C)(VI)/2010-11/1579 dated 29<sup>th</sup> March 2011 issued by Director General of Income Tax(Exemption), Ministry of Finance, Government of India.  
  
Further the Institute is also approved u/s 35(l)(iii) of the Income Tax Act 1961 vide Letter No. F.No.203/75/2009/ITA-II dated 28<sup>th</sup> January 2010 through Notification No. 5/2010.
3. Demand for Property Tax raised by New Delhi Municipal Council (NDMC) amounting Rs.4,55,89,578/- for the years 2001-2002 to 2019-20 are contested by the Institute, in Delhi High Court including Rs.23,13,750/- for the year 2019-20. No provision has been made on this account in Income & Expenditure Account, hence there is Contingent Liability for the same.
4. The Institute has taken Insurance policy for Leave Encashment and Group Gratuity from Life Insurance Corporation of India. The contributions made and/ or amount determined to be payable to the respective funds are accounted for as an expense.
5. The GST is applicable on the Rental Income and membership subscription of the Institute and accordingly the Institute got registered with the GST Department on 28<sup>th</sup> May, 2019. The Institute started to charge GST on its rental services and membership subscription with effect from July 2019 onwards and accordingly thereafter started to






deposit the GST and file GST Returns on monthly basis as per the provisions of the GST Act.

6. As on 31.03.2020, a sum of Rs.84,17,152 (Plan Funds) and Rs.31,919 (Non-Plan Funds) is appearing as Advance given to CPWD by the Institute for renovation of building.
7. Management has assessed the impact of COVID-19 on its Financials and there is no material impact on the same.
8. Previous year's figures have been rearranged/ regrouped wherever necessary.

  
(Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha)  
Director

  
(Shreenibas Chandra Prusty)  
Registrar

  
(Dr. A. K. Verma)  
Dy. Registrar

  
(Ashish Bawa)  
Chief Accountant

Place: New Delhi

Date : 24 DEC 2020





---

# 63वीं वार्षिक रिपोर्ट (2019-2020)



## भारतीय विधि संस्थान

(मानित विश्वविद्यालय)

भगवान दास रोड, नई दिल्ली - 110001

01-04-2019 से 31-03-2020

फोन : 23387526, 23382190

23386321, 23389429

फैक्स : 011 - 23386321/23782140

ई-मेल : [ili@ili.ac.in](mailto:ili@ili.ac.in)

वेबसाइट : <http://www.ili.ac.in>

---





## I. भारतीय विधि संस्थान

### संस्थान

मुख्यतः कानूनी अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 1956 में भारतीय विधि संस्थान (आई. एल. आई.) की स्थापना की गई थी। कई वर्षों से अग्रणी न्यायविदों के प्रयासों के परिणामस्वरूप इसकी स्थापना की गई थी। यह सामान्योक्ति है कि बेहतर कानूनी व्यवस्था लोकतांत्रिक समाज का आधार है क्योंकि कानून एक ऐसा प्रमुख साधन है जिससे समाज समृद्ध और विकसित हो सकता है। राष्ट्रीय विधि अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के कई महत्वपूर्ण कारण थे। पहला, कानून के रूप में विधिक अनुसंधान को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता थी क्योंकि भारत में स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद विधिक अनुसंधान और विधिक शिक्षा उपेक्षित क्षेत्र थे। दूसरा, सतत संस्थागत अनुसंधान की आवश्यकता थी जिसमें ऐसी परियोजनाओं को शामिल करना आवश्यक था जिसमें क्षेत्र अध्ययनों और सामूहिक विचार अपेक्षित था। तीसरा, विधिक व्यवसाय की भिन्न-भिन्न शाखाओं को एक ही मंच पर लाना अनिवार्य था जैसे न्यायाधीश, वकील और विधि के अध्यापक ताकि समाज में कानून के प्रति एक समन्वित दृष्टिकोण विकसित किया जा सके।

संस्थान के उद्देश्यों में विधि विज्ञान का पोषण करना, भारत के लोगों की सामाजिक, आर्थिक और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानून में विकसित अध्ययन और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, कानून व्यवस्था को प्रोत्साहित करना, कानूनी और संबद्ध क्षेत्रों में जांच-कार्य को प्रोत्साहित करना एवं संचालन करना, कानूनी शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, कानूनी संबंधी अनुदेश देना और अध्ययन सामग्री, पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकाएं आदि प्रकाशित करना शामिल हैं।

संस्थान, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्वायत्त निकाय है। संस्थान की स्वायत्ता और उसकी स्वतंत्रता उसके उद्देश्यों और सार्थक अनुसंधान कार्य करने के लिए अपेक्षित शैक्षणिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। संस्थान को

निधि मुख्यतः भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय से और सदस्यता शुल्क से तथा प्रकाशनों की बिक्री से प्राप्त होती है। वर्तमान में, कानूनी अध्ययन और कानून के संवर्धन में रुचि लेने वाले व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहे संस्थान के सदस्यों की संख्या लगभग तीन हजार चार सौ बत्तीस है।

भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश संस्थान के पदेन अध्यक्ष हैं। भारत सरकार के कानून मंत्री और भारत के अटर्नी जनरल इसके पदेन उपाध्यक्ष हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, वकील, सरकारी अधिकारी, कुलपति, विधि के संकायाध्यक्ष और प्रोफेसर संस्थान की शासी परिषद के सदस्य हैं।

### मानित विश्वविद्यालय

भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तारीख 29-10-2004 की अधिसूचना सं. एफ9-9/2001-यू.3 के द्वारा वर्ष 2004 में भारतीय विधि संस्थान को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। संस्थान को एनएएसी द्वारा मार्च, 2017 में 'ए' ग्रेड (4.00 में से 3.35 सीजीपीए) के साथ प्रत्यायित किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति द्वारा किए गए दौर और पुनर्विलोकन के पश्चात्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जून, 2018 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12ख के अधीन भारतीय विधि संस्थान के समावेश को अनुमोदित किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भारतीय विधि संस्थान को प्राप्तांक प्रत्यायित के आधार पर ग्रेड 2 की स्वायत्तता प्रदान की गई थी।

वर्ष 2004 में भारतीय विधि संस्थान को मानित विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा के बाद संस्थान ने अनुसंधान-परक एलएल.एम.-2 वर्षीय (पूर्णकालिक) तथा पीएच.डी कार्यक्रम शुरू किए। वर्ष 2009-2010 में संस्थान ने एलएल.एम.-3 वर्षीय (सायंकालीन) कार्यक्रम शुरू किया। संस्थान ने शैक्षणिक सत्र 2013-2014 के लिए फ्लैगशिप एलएल.एम - 1 वर्ष

(पूर्णकालिक) कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम को इस रूप में तैयार किया गया है कि विद्यार्थी संपूर्ण विश्व की विधिक प्रणाली और न्याय की संकल्पना को तुलनात्मक रूप से समझ सकें। संस्थान विधिक क्षेत्र में अनुसंधान के साथ मानव संसाधन विकसित करने में विश्वास करता है जो कि जब वे वकालत, न्यायपालिका या शैक्षिक क्षेत्र में पदार्पण करें तो वे विश्वव्यापी प्रक्रियाओं से जुड़ी नई संकल्पनाएं और व्याख्याएं प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। एलएल.एम कार्यक्रम में महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून, बौद्धिक संपदा अधिकार कानून, मानव अधिकार एवं न्यायिक प्रशासन सम्मिलित हैं। भारतीय विधि संस्थान के एलएल.एम पाठ्यक्रम की विलक्षणता कार्यक्रम की एक आवश्यकता के रूप में छात्रों के द्वारा शोध पेपर लिखने में हैं। छात्रों को एक साथ शोध करने एवं शिक्षण में पर्याप्त निपुणता प्राप्त करने में सहायता करने का विचार है ताकि भविष्य में विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों/स्कूलों के लिए श्रेष्ठ विधि शिक्षकों को तैयार किया जा सके।

संस्थान का एक पीएच.डी कार्यक्रम है जिसमें अभी फिलहाल यहां 26 शोधकर्ता विधि के विभिन्न क्षेत्रों में उच्चतर शोध कर रहे हैं। विनियमावली को इस तरह से बनाया गया है कि असाधारण योग्यता वाला व्यक्ति ही भारतीय विधि संस्थान से पीएच.डी की डिग्री प्राप्त कर सकता है।

संस्थान, कॉर्पोरेट लॉ एवं प्रबंधन, साइबर कानून, वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआरएस), श्रम कानून, कर कानून, बौद्धिक संपदा अधिकार कानून आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा इत्यादि पाठ्यक्रमों का संचालन करता है। स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम समाज के विभिन्न वर्गों के छात्रों को आकर्षित कर रहा है। कॉर्पोरेट लॉ में डिप्लोमा पाठ्यक्रम को दो करोड़ रुपये से कम की शेरर पूंजी वाली कंपनियों में कंपनी सचिव के रूप में नौकरियों के लिए भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। अन्य डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि डिप्लोमा करने वाले व्यवसायकर्ता/सलाहकार के रूप में कार्य कर सकते हैं। इन

पाठ्यक्रमों को नवीनतम तकनीक तथा पद्धति से पढ़ाया जाता है। संबंधित क्षेत्रों में पाठ्यक्रम सिद्धांत एवं अभ्यास छात्रों को पर्याप्त जानकारी हासिल करने में सहायता करते हैं। यह उन्हें अत्यधिक प्रतिस्पर्धी एवं कार्यकुशल बनाता है। स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में दाखिले हेतु न्यूनतम निर्धारित योग्यता किसी मान्यताप्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि है।

संस्थान इंटरनेट ऐज में “आईपीआर और इंफार्मेशन टेक्नालॉजी” और “साइबर लाज़” में तीन माह की अवधि का ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम भी कराता है।

### भवन

वर्ष 1962 तक भारतीय विधि संस्थान सर्वोच्च न्यायालय भवन में स्थित था। बाद में डेढ़ एकड़ भूमि पर भगवान दास रोड, नई दिल्ली पर सर्वोच्च न्यायालय के सामने इसने स्वयं के भवन का निर्माण कराया। भवन एक अद्वितीय अवसंरचना है, जिसमें चार तल हैं। भूतल पर संस्थान का पुस्तकालय, पुस्तकों के लिए भंडारण कक्ष, कान्फ्रेंस हॉल, सेमिनार तथा कक्षाएं और फैंकल्टी, शोध और प्रशासकीय स्टाफ के लिए कार्यालय हैं। सभी कक्षाओं और लेक्चर हॉल का नवीनीकरण कराया गया था। संस्थान में कक्षाओं और हॉल में सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए आवश्यक आधुनिक श्रव्य साधन लगाए गए हैं और प्रकाश व्यवस्था की गई है।

### पुस्तकालय

भारतीय विधि संस्थान का पुस्तकालय भारत में अग्रणी विधि पुस्तकालयों में से एक है और इसमें लगभग 82500 अंक हैं। यह सीरियल प्रकाशनों सहित लगभग 190 नई विधि पत्रिकाएं प्राप्त करता है। पुस्तकालय सुबह 9.00 बजे से सायं 8.00 बजे तक सभी कार्य दिवसों पर तथा शनिवार को सुबह 10.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक तथा रविवार को सुबह 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक खुला रहता है। पुस्तकालय राष्ट्रीय एवं राजपत्रित अवकाश पर बंद

रहता है ।

स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा एलएल.एम. पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए पुस्तकालय की एक अलग विंग पुस्तकें जारी करती है । भारतीय विधि संस्थान का पुस्तकालय पुस्तकों, जर्नलों, आयोगों और समिति की रिपोर्टें तथा अन्य प्रकाशनों तक ओपाक और वेब ओपाक की सहायता से पहुंच प्रदान करने के लिए इसकी संपूर्ण सूची को कम्प्यूटरीकृत किया गया है । पांच हजार पुस्तकों का एक अलग संग्रहण विधिक विद्वानों द्वारा दान किए गए पुस्तकालय के मुख्य हाल के मध्यम तल पर रखा गया है । पुस्तकालय आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रैस, कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रैस, हार्ट पब्लिशिंग और एलगर ऑनलाइन जैसे विभिन्न प्रख्यात प्रकाशनों की ई-पुस्तकों के संग्रहण से समृद्ध है ।

पुस्तकालय में प्रख्यात डाटाबेस अर्थात् वेस्ट लॉ इंडिया, लेक्सिस इंडिया, जेएसटीओर, केन ऑनलाइन, एससीसी ऑनलाइन, मनुपात्रा, इकोनामिक और पोलिटिकल वीकली ऑनलाइन, दि लॉज, टैक्समेन. काम, वर्ल्ड ई-बुक लाइब्रेरी और साउथ एशिया आरचिव इत्यादि का अंशदान करती है ।

संस्थान यूजीसी-शोधगंगा में अपनी पीएच.डी थिसिज को भी जमा करती है । शोधगंगा डाटाबेस से संस्थान की थिसिज तक पहुंच की जा सकती है । संस्थान भारत के राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय का भी भाग है और संस्थान के डिजिटाइज्ड कलेक्शन तक भारत के राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय के द्वारा भी पहुंचा जा सकता है ।

पुस्तकालय दृष्टिहीन छात्रों की सुविधा के लिए जेएडब्ल्यूएस (जॉक्स) टाकिंग सॉफ्टवेयर, पियरल इंस्टैंट रीडर और ऐंजल प्रो टाकिंग डिजिटल पाकेट डेसी प्लेयर, ई-बुक रीडर, म्यूजिक प्लेयर, रेडियो कम वाइस रिकार्डर-आल इनवन से भी सुसज्जित है ।

पुस्तकालय की अपने सब्सक्राइब्ड ई-रिसोर्सेज के लिए आफ कैम्पस पहुंच है जो पुस्तकालय के केवल प्राधिकृत प्रयोक्ताओं को प्रदान की जाती है । प्राधिकृत प्रयोक्ताओं को दूर-दराज के स्थानों से ई-रिसोर्सिज की पहुंच के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्रदान किए जाते हैं । पुस्तकालय के पास वाई-फाई ट

ैक्नालॉजी है । यह सुविधा कैम्पस इंटरनेट सिस्टम के माध्यम से लैपटाप रखने वाले हमारे छात्रों को प्रदान की जाती है । एलएल.एम और संस्थान द्वारा कराए जाने वाले विभिन्न डिप्लोमा के लिए पूर्व वर्ष के प्रश्नपत्र वेबसाइट के माध्यम से पहुंच के भीतर हैं ।

पुस्तकालय अनुसंधान प्रबंधन सॉफ्टवेयर और टूल्स, रिसर्च एथिक्स और साहित्य चोरी, सामग्री विकास, पुस्तकालय डाटोबस और सेवाएं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है ।

## विधिक सूचना संसाधन केन्द्र (एल आई आर सी)

भारतीय विधि संस्थान ने आधुनिकतम कंप्यूटर और हैवी-ड्यूटी प्रिंटर तथा वाई-फाई तकनीक के साथ विधिक सूचना संसाधन केन्द्र की स्थापना की है । कंप्यूटर, सभी प्रख्यात विधिक डाटाबेस तक पहुंच के लिए सुविधाओं से सज्जित हैं । विधिक सूचना, जिसकी इस केन्द्र द्वारा पूर्ति की जाती है वह केस लाज़, संविधान, विधान, नियम और विनियम, संसदीय बहस, आयोगों और समितियों की रिपोर्टें, लीगल आर्टिकल्स और दुर्लभ दस्तावेज से संबंधित है । पाठकों को यह सूचना प्रिंटआउट और ई-मेल के जरिए उपलब्ध कराई जाती है । साहित्य चोरी को रोकने के लिए और असली अनुसंधान को बढ़ाने और सहायता करने के लिए स्टरनीटिन- सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध है ।

## भारतीय विधि संस्थान के प्रकाशनों और दुर्लभ दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन

भारतीय विधि संस्थान ने संस्थान के प्रकाशनों और पुस्तकालय के दुर्लभ दस्तावेजों को डिजिटाइज्ड किया है । संस्थान ने अपने प्रकाशनों, दुर्लभ दस्तावेजों, लॉ रिपोर्टों को वेबसाइट पर निशुल्क व्यापकतम पहुंच तक जारी किया है । वेबसाइट पर उपलब्ध डिजिटाइज्ड सामग्री में 1958 से 2019 तक के भारतीय विधि संस्थान के जर्नल (वाल्यूम 1 से 60), भारतीय विधि का 1965 से 2018 तक का वार्षिक सर्वेक्षण (वाल्यूम 1 से 54), भारतीय विधिक पत्रिकाओं की 1963 से 2016 तक की सूची (वाल्यूम 1 से 54), आयोग और समिति की विभिन्न रिपोर्टें, भारतीय विधि

संस्थान के प्रकाशन, दुर्लभ दस्तावेज, फेडरल न्यायालय की रिपोर्टें, भारतीय विधि की रिपोर्टें- इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता, लाहौर, लखनऊ, मद्रास, पटना और रंगून की 1876 से 1940 तक की रिपोर्ट, 1868 से 1875 तक की बंगाल विधि रिपोर्टें, विकली रिपोर्टर-1887 से 1893 तक सुदरलैंड, भारतीय उच्च न्यायालय की रिपोर्टें-1862-1875 तक की कलकत्ता, बम्बई उच्च न्यायालय की रिपोर्टें और 1862-1875 तक की मद्रास उच्च न्यायालय की 1862-1875 तक की रिपोर्टें सम्मिलित हैं। इन डिजिटल संग्रहों तक पहुंच का लिंक <http://http:14.139.60.114:8080/jspui> है।

### प्रकाशन

भारतीय विधि संस्थान पुस्तकों, रिपोर्टों और अपनी शोध परियोजनाओं के अध्ययन के प्रकाशन के अलावा, संस्थान वर्तमान महत्व के विषयों पर शोध लेखों के जर्नल आफ दि इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट (आईएसएसएन सं. 00019 5713) का तिमाही जर्नल प्रकाशित कर रहा है। यह अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा का बहुत उच्च स्तर का जर्नल है। यह 117 से अधिक भारतीय और विदेशी पत्रिकाओं का आदान प्रदान करता है। इसके अलावा संस्थान प्रतिवर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकाशन-एनुअल सर्वे ऑफ इंडियन लॉ (आईएसएसएन सं. 0570 2666) प्रकाशित करता है जिसमें कानून के प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय में नूतन प्रवृत्तियों का संग्रह कर प्रस्तुत किया गया है एवं कानून के प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय में अद्यतन प्रवृत्तियों का संग्रह कर प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय विधि संस्थान ने आईएलआई विधि समीक्षा पत्रिका (ऑनलाइन तिमाही पत्रिका) भी शुरू की है जिसमें

विद्यार्थियों के लेखों को प्रकाशित करने पर भी विचार किया जाता है। यह पत्रिका रजिस्ट्रीकृत है और इसे आईएसएसएन (ऑनलाइन) नंबर आईएसएसएन 0976-1489 आईएलआई लॉ रिव्यू आंबटित किया गया है।

भारतीय विधि संस्थान प्रत्येक तिमाही में एक समाचार-पत्रक प्रकाशित करता है। संस्थान की सभी गतिविधियों पर सूचनाओं के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारीयां नियमित रूप से संस्थान/विधिक समुदाय के सदस्यों के लाभ के लिए प्रकाशित की जाती है।

### राष्ट्रीय शैक्षणिक धरोहर

भारतीय विधि संस्थान एनएसडीएल डाटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड के माध्यम से मार्च, 2018 में शैक्षणिक पुरस्कारों के लाजिंग, रिट्रीविंग, एंथेनटिकेशन और आनलाइन वेरिफिकेशन के प्रयोजन के लिए एनएडी में डिजिटल धरोहर (डिपाजिटरी) में सम्मिलित हुआ है।

### अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन / कार्यशालाएं, ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण कार्यक्रम और परियोजना अध्ययन

संस्थान समय-समय पर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सेमिनार, सम्मेलन, ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम, संगोष्ठियां, विचार-गोष्ठी और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। संस्थान कानून के महत्वपूर्ण विषयों पर विभिन्न सरकारी विभागों के परियोजना अध्ययनों को भी कराता है।

## II. अध्यक्ष

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, संस्थान भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति रंजन गोगोई (01.04.2019 से 17.11.2019 तक) और उसके बाद माननीय न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे (18.11.2019 से 31.03.2020 तक) संस्थान के अध्यक्ष के रूप में पदेन प्रास्थिति में अध्यक्षता से सम्मानित हुआ है।

## III. निदेशक

प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा, रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान संस्थान के निदेशक रहे।



## IV. रजिस्ट्रार

श्री श्रीनिवास चंद्र प्रुष्टी रिपोर्टधीन अवधि के दौरान संस्थान के रजिस्ट्रार रहे ।

## V. समिति की बैठकें

संस्थान के कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए भारतीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों की अध्यक्षता में गठित की गई विभिन्न समितियां इस प्रकार हैं -

क्रम सं.	समिति का नाम	समिति के अध्यक्ष
1.	शैक्षणिक परिषद	माननीय न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे (01.04.2019 से 18.11. 2019) माननीय न्यायमूर्ति यू.यू. ललित (03.12.2019 से 31.03.2020)
2.	वित्त समिति	माननीय न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव
3.	पुस्तकालय समिति	माननीय न्यायमूर्ति एन. वी. रमना (01.04.2019 से 01.02.2020) माननीय न्यायमूर्ति अशोक भूषण (03.02.2020 से 31.03.2020)
4.	भवन समिति	माननीय न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा
5.	सदस्यता समिति	माननीय न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर

रिपोर्टधीन अवधि के दौरान संस्थान की विभिन्न समितियों की निम्नलिखित तारीखों पर बैठकें हुई : -

1.	शासी परिषद्	26. 8.2019
2.	वित्त समिति	06.12.2019
3.	पुस्तकालय समिति	25.04. 2019
4.	सदस्यता समिति	14.09. 2019
5.	भवन समिति	03.02.2020

## VI. सदस्यता

क्रम संख्या	सदस्यता का प्रकार	31-3-2020 को सदस्यों की संख्या
1.	संस्थापक	30
2.	आजीवन	2766
3.	सामान्य	92
4.	कार्पोरेट	140
5.	मानद	20
6.	पदेन	241
	कुल	3289

## VII. भारतीय विधि संस्थान की राज्य ईकाइयां

वर्तमान में निम्नलिखित भा. वि. सं. की राज्य ईकाइयां हैं :

1. भारतीय विधि संस्थान की इलाहाबाद राज्य ईकाई,  
इलाहाबाद उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद - 211 001
2. भारतीय विधि संस्थान की आंध्र प्रदेश राज्य ईकाई  
हैदराबाद उच्च न्यायालय,  
हैदराबाद - 500 034
3. भारतीय विधि संस्थान की असम राज्य ईकाई  
गुवाहाटी उच्च न्यायालय,  
गुवाहाटी, असम - 781 001.
4. भारतीय विधि संस्थान की छत्तीसगढ़ ईकाई  
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय  
बिलासपुर, छत्तीसगढ़ - 495 220
5. भारतीय विधि संस्थान की गुजरात राज्य ईकाई  
गुजरात उच्च न्यायालय,  
अहमदाबाद, गुजरात - 380 060
6. भारतीय विधि संस्थान की हिमाचल प्रदेश राज्य ईकाई  
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय,  
शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171 001
7. भारतीय विधि संस्थान की जम्मू और कश्मीर ईकाई  
जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय, श्रीनगर,  
जम्मू और कश्मीर - 190 001
8. भारतीय विधि संस्थान की कर्नाटक राज्य ईकाई  
कर्नाटक उच्च न्यायालय,  
बंगलूरु,  
कर्नाटक - 560 001
9. भारतीय विधि संस्थान की केरल राज्य ईकाई  
केरल उच्च न्यायालय,  
कोच्चि, केरल - 682 031
10. भारतीय विधि संस्थान की महाराष्ट्र राज्य ईकाई  
बम्बई उच्च न्यायालय,  
मुम्बई, महाराष्ट्र- 400 032
11. भारतीय विधि संस्थान की उड़ीसा राज्य ईकाई  
उड़ीसा उच्च न्यायालय,  
कटक, उड़ीसा - 753 0002
12. भारतीय विधि संस्थान की पंजाब और हरियाणा राज्य ईकाई  
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय,  
चंडीगढ़- 160 001
13. भारतीय विधि संस्थान की राजस्थान राज्य ईकाई  
राजस्थान उच्च न्यायालय,  
जोधपुर, राजस्थान - 342 005
14. भारतीय विधि संस्थान की सिक्किम राज्य ईकाई  
सिक्किम उच्च न्यायालय,  
गंगटोक, सिक्किम - 737 101
15. भारतीय विधि संस्थान की तमिलनाडु ईकाई  
मद्रास उच्च न्यायालय,  
चेन्नई, तमिलनाडु - 600 104
16. भारतीय विधि संस्थान की उत्तराखंड ईकाई  
उत्तराखंड उच्च न्यायालय  
नैनीताल, उत्तराखंड - 263 002
17. भारतीय विधि संस्थान की पश्चिमी बंगाल ईकाई  
कलकत्ता उच्च न्यायालय,  
कोलकाता, (पश्चिम बंगाल) -700 001

## VIII. प्रतिष्ठित फैलोज

भारतीय विधि संस्थान निम्नलिखित प्रख्यात व्यक्तियों के संस्थान के प्रतिष्ठित फैलोज होने पर सम्मान

महसूस करता है -

\* माननीय न्यायमूर्ति एम. एन. वेंकटचलैय्या

## IX. मानद प्रोफेसर

संस्थान निम्नलिखित विद्वानों के संबद्ध होने से गौरवान्वित हुआ है, जिन्होंने भारतीय विधि संस्थान और तृतीय वैश्विक सामाजिक-विधिक विकास में अत्यंत रुचि दिखाई है :

\* डा. राजीव धवन, वरिष्ठ अधिवक्ता, भारतीय उच्चतम न्यायालय, युनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन के भूतपूर्व प्रोफेसर ।

\* प्रोफेसर क्लॉरेंस जे. डायस, इंटरनेशनल सेंटर फॉर लॉ इन डेवलेपमेंट, न्यू यार्क ।

\* प्रोफेसर यश घई, प्रोफेसर ऑफ पब्लिक लॉ, युनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग ।

\* प्रोफेसर ए. आर. ब्लेकशील्ड, लॉ ट्रोब युनिवर्सिटी, आस्ट्रेलिया ।

### मानद प्रोफेसर का दौरा



प्रोफेसर ब्लेकशील्ड पहली बार भारत में (1963 में) विधिशास्त्र के शिक्षण पर (माउंट आबू, राजस्थान में) एक सेमिनार के लिए आए थे । बाद में उनके दूसरे दौरों में भारतीय विधि संस्थान में दो अवधियों का कार्य सम्मिलित है - 1965 में फोर्ड फाउंडेशन कंसलटेंट और 1997 में उनका दूसरा दौरा जब उन्हें भारतीय विधि संस्थान के मानद प्रोफेसर की उपाधि दी गई और तब से लेकर वे भारतीय विधि संस्थान से संबद्ध रहे हैं और भारतीय विधि संस्थान के शैक्षणिक कार्यकलापों में रुचि लेते रहे हैं । भारतीय विधि संस्थान के जर्नल में उनके सहयोग के अतिरिक्त

“फेंडामेंटल राइट्स एंड दि इंस्टिट्यूशनल वायबिलेटी आफ दि इंडियन सुप्रीम कोर्ट” (मूल अधिकार और भारत के उच्चतम न्यायालय की संस्थागत व्यवहार्यता) वर्ष 1966 में और केपिटल पनिशमेंट इन इंडिया (भारत में मृत्युदंड) पर (वर्ष 1979 में) उनके लेख विशिष्ट रूप से प्रभावशाली थे । माधव खोसला के अनुसार, इंडियन कांस्टिट्यूशन (आक्सफोर्ड, 2012, पृष्ठ 182), 1966 का लेख और 1968 में इसका परिणाम भारत के मूल अधिकारों के शुरुआती विकास के “अपरिहार्य कारण” रहे।

उन्हें 2014 में, विधिक शिक्षा और छात्रवृत्ति के लिए शिक्षाविद् के रूप में विशिष्ट सेवा देने के लिए आफिसर आफ दि आर्डर आफ आस्ट्रेलिया के रूप में नियुक्त किया गया। 2020 में, प्रोफेसर टोनी ब्लेकशिल्ड और उनकी पत्नी प्रोफेसर रोजमैरी ह्यूसमन हैदराबाद के निकट एनएलएसएआर यूनिवर्सिटी आफ लॉ में

विशिष्ट स्थानीय विद्वान् थे, जहां प्रोफेसर ब्लेकशिल्ड ने संयुक्त राज्य, कनाडा, आस्ट्रेलिया, भारत और दक्षिण अफ्रीका के न्यायिक विनिश्चयों की तुलना करते हुए तुलनात्मक सांविधानिक विधि पर पाठ्यक्रम पढ़ाया।

## X. प्रकाशन

### अनुसंधान प्रकाशनों का विमोचन

#### i. जर्नल आफ इंडियन ला इंस्टीट्यूट

भारतीय विधि संस्थान त्रैमासिक पत्रिका के रूप में जर्नल आफ इंडियन ला इंस्टीट्यूट (जेआईएलआई) का प्रकाशन करता है। इसमें वर्तमान महत्व के विषयों पर शोध लेख होते हैं। इसको अंतरराष्ट्रीय ख्याति की पत्रिका के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान पत्रिका के निम्नलिखित अंकों को प्रकाशित किया गया है :-

खंड 61 सं. 2 (अप्रैल-जून, 2019)

संपादक : प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा

खंड 61 सं. 3 (जुलाई-सितम्बर, 2019)

संपादक : प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा

खंड 61 सं. 4 (अक्टूबर-दिसम्बर, 2019)

संपादक : प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा

खंड 62 सं. 1 (जनवरी-मार्च, 2020)

संपादक : प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा

भारतीय विधि संस्थान के 1958 से 2019, वाल्यूम 1 से 62 डिजिटाइज्ड संस्करण भारतीय विधि संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

#### ii आई एल आई रिव्यू

आई. एल. आई. लॉ रिव्यू 2019 ( ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अंक) -ई जर्नल एवं 2020 के ग्रीष्मकालीन अंक भारतीय विधि संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

#### iii पुस्तक समीक्षा

संस्थान के निम्नलिखित संकाय सदस्य ने जर्नल के अंकों में पुस्तक समीक्षा में योगदान दिया है :

आर्य ए. कुमार, रजत बैजल, घरेलू हिंसा से स्त्रियों का संरक्षण विधि (लॉ आफ प्रोटेक्शन आफ वूमेन फ्राम डोमेस्टिक वायलेंस) (2016) - जेआईएलआई वाल्यूम 61 सं. 4 (अक्टूबर-दिसम्बर, 2019)

#### iv ऐनुअल सर्वे आफ इंडियन लॉ (2018)- (वाल्यूम : LIV)

संपादक : प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा

उपरोक्त सर्वेक्षण में समाविष्ट किए गए क्षेत्र निम्न हैं : सिविल प्रक्रिया, कंपनी विधि, प्रतिस्पर्धा विधि, विधियों का संघर्ष, सांविधानिक विधि-1, सांविधानिक विधि-II, उपभोक्ता संरक्षण विधि, दांडिक विधि, दांडिक प्रक्रिया, साइबर विधि, निर्वाचन विधि, पर्यावरण विधि, फोरेंसिक विधि, हिंदू विधि, बौद्धिक संपदा विधि, अंतरराष्ट्रीय विधि, प्रबंधन संबंध विधि, वाणिज्य विधि, मुस्लिम विधि, सामाजिक सुरक्षा विधि, अपकृत्य विधि, महिला और विधि, केन्द्रीय विधान, संपत्ति विधि और सामाजिक-आर्थिक अपराध।

भारतीय विधि संस्थान स्टाफ के निम्नलिखित सदस्यों ने ऐनुअल सर्वे आफ इंडियन ला - 2018 में योगदान दिया है :

1. प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा  
अंतरराष्ट्रीय विधि



2. प्रो. (डा.) एस. शिवकुमार  
केन्द्रीय विधान
3. प्रो. (डा.) फुरकान अहमद  
मुस्लिम विधि
4. डा. अनुराग दीप  
सामाजिक-आर्थिक अपराध
5. डा. ज्योति डोगरा सूद  
दांडिक विधि
6. श्रीमती आर्य ए. कुमार  
कंपनी विधि
7. डा. दीपा खरब  
साइबर विधि
8. डा. लतिका वशिष्ठ  
महिला तथा विधि

#### “ऐनुअल सर्वे आफ इंडियन लॉ (1965-2018) के डिजिटल वर्जन” को अद्यतन करना

वर्ष 1965 से प्रकाशित एएसआईएल “ऐनुअल सर्वे आफ इंडियन लॉ (1965-2013) के डिजिटल वर्जन” को अद्यतन किया गया है। इसमें 1965 से 2018 तक के 54 खंड हैं। एएसआईएल का डिजिटल वर्जन पीडीएफ फॉर्म में है। एक डीवीडी में डिजिटल वर्जन उपयोक्ता के अनुकूल है। डीवीडी के सर्च इंजन में मेगाडाटा सर्च उपलब्ध है (लेखक, शीर्षक और संयुग्म) ; पूर्ण टेक्स्ट सर्च और डाक्यूमेंट विकल्प में सर्च उपलब्ध है।

#### v . भारतीय विधि संस्थान सूचना-पत्र

भारतीय विधि संस्थान त्रैमासिक ‘भा. वि. सं. सूचनापत्र’ का प्रकाशन करता है। सूचना-पत्र में तिमाही के दौरान संस्थान द्वारा किए गए कार्यकलापों और आगामी गतिविधियों का ब्यौरा शामिल होता है। इसमें तिमाही के दौरान उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित महत्वपूर्ण मामलों पर भा. वि. सं. संकाय द्वारा लिखित टिप्पणियों को भी लिया गया है। सूचना-पत्र के निम्नलिखित अंकों को अवधि (अप्रैल 2019-मार्च 2020) के दौरान प्रकाशित किया गया था:

- खंड XXI सं. 2 (अप्रैल-जून, 2019)  
खंड XXI सं. 3 (जुलाई-सितम्बर, 2019)  
खंड XXI सं. 4 (अक्टूबर-दिसम्बर, 2019)  
खंड XXI सं.1 (जनवरी-मार्च, 2020)

#### vi. डिस्पेलिंग रिटोरिक्स लॉ आफ डायवोर्स एंड जेंडर इनइक्वेलिटी इन इस्लाम पर पुस्तक

संपादक - प्रो. (डा. ) मनोज कुमार सिन्हा, प्रो. फुरकान अहमद

मुस्लिम विधि में सुधार के बारे में राष्ट्र की कल्पना को तब परिग्रहण किया गया जब भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 22 अगस्त, 2017 को शायरा बानो बनाम भारत संघ के मामले में अपना निर्णय दिया। तथापि, देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त याचिका पर अपना निर्णय देने से कुछ माह पूर्व, भारतीय विधि संस्थान ने एक एक-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें न केवल अग्रणी शिक्षाविदों, अधिवक्ताओं, आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधियों और भारत से छात्रों अपितु हमारे पड़ोसी बंगलादेश से भी छात्रों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में मुस्लिम विधि में सुधार पर राजनीति को किनारे रखा गया और सही शिक्षण भावना से इस मुद्दे पर चर्चा और विचार-विमर्श के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। इस कार्यशाला और भली-भांति शोधात्मक दस्तावेजों के परिणामस्वरूप, जो इस कार्यशाला में प्रस्तुत किए गए, यह आवश्यकता महसूस की गई कि इन्हें एक पुस्तक में रूपांतरित किया जाए।

#### vii. बेल- लॉ एंड प्रेक्टिस इन इंडिया पर पुस्तक

संपादक - प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा, डा. अनुराग दीप

यह पुस्तक भारत में जमानत विधिशास्त्र के व्यापक पहलुओं को कवर करती है। उन सांविधानिक सिद्धांतों और कानूनी उपबंधों (धारा 436, 437, 437क, 438, 439, 167 आदि) पर, जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन जमानत के संबंध में हैं, नौ अध्यायों में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है। कुछेक विशेष विधानों के अधीन जमानत के उपबंधों का भी विश्लेषण किया गया है। इस पुस्तक में विदेशी

अधिकारिताओं से संबंधित उपबंधों, जहां कहीं वांछनीय हो, की भी संवीक्षा की गई है। अध्यायों में जमानत पर उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के विनिश्चयों के द्वारा, जुलाई 2019 तक के विकास सहित, न्यायिक चित्रण की परिवर्तित रूपरेखा और उनकी समालोचनात्मक संवीक्षा सामान्य बात है। भारत के विधि आयोग की विभिन्न रिपोर्टों में की गई सिफारिशों को स्थान देते हुए वर्ष 2017 में प्रस्तुत की गई जमानत पर 268वीं रिपोर्ट का एक समालोचनात्मक अध्ययन किया गया है। इस कृति में जमानत से संबंधित विधि में इसे और अधिक व्यवहार्य प्रकृति का बनाने के लिए सुधार भी सुझाए गए हैं। यह पुस्तक अधिवक्ताओं, शिक्षाविदों, प्रवर्तनकारी अभिकरणों, लोक अभियोजकों, पत्रकारों, न्यायाधीशों, शोधकर्ताओं

और विद्यार्थियों आदि के लिए उपयोग सिद्ध होगी।

### viii . रि-थिंकिंग लॉ एंड वायलेंस पर पुस्तक

संपादक- डा. लतिका वशिष्ठ, डा. ज्योति डोगरा सूद

इस पुस्तक में उदार तथा समालोचनात्मक दृष्टिकोण, दोनों के ताने-बाने से बाहर संकल्पना करते हुए, विरोधाभासों और ध्रुवीकरणों की गवेषणा करके हिंसा के साथ इसके संबंध के संदर्भ में विधि की पुनःकल्पना की गई है। इसमें एक ओर, मृत्यु दंड, सामुदायिक बल, राज्य प्रभूसत्ता से भिन्न प्रसंगों और विचारों को सम्मिलित और समाहित किया गया है तो दूसरी ओर, पशु संबंधी अधिकारों, लैंगिक सम्मति, बालकों से संबंधित अभिकरणों और एलजीबीटी अधिकारों को सम्मिलित किया गया है।

## XI. शैक्षणिक कार्यक्रम

### शैक्षणिक सत्र 2019-2020 के लिए दाखिले

एल.एल. एम. - 1 वर्षीय कार्यक्रम संचालित करने की स्कीम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनायी गई है। शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित अनुसूची के अनुसार एलएल.एम. (पूर्ण अवधि 1 वर्ष) और स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू की गई थी। एलएल.एम पाठ्यक्रम के लिए अखिल भारतीय सामान्य प्रवेश परीक्षा, 08.06.2019 को दिल्ली में भारतीय विधि संस्थान भवन में आयोजित की गई थी। एलएल.एम.- 1 वर्ष के लिए 773 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे। अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार अखिल भारतीय सामान्य प्रवेश परीक्षा परिणाम 28.06.2019 को अधिसूचित किया गया था। शैक्षणिक सत्र 2019-2020 के लिए दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या निम्नानुसार है :—

पीएच.डी.	04 छात्र
एलएल.एम. (1 वर्ष)	36 छात्र
स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम	265 छात्र
दाखिला लेने वाले छात्रों की कुल सं.:	305 छात्र

एलएल.एम 1 वर्ष एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए कक्षाएं 5 अगस्त, 2019 से शुरू की गईं।

### पीएच.डी. पाठ्यक्रम में दाखिले — 2019

दिनांक 2-3 सितम्बर, 2019 को प्रो. (डा.) रणबीर सिंह की अध्यक्षता में पीएच.डी. कार्यक्रम -2019 में प्रवेश हेतु चुने गए 77 अभ्यर्थियों (68 छूट प्राप्त और 09 योग्यता के अनुसार) की मौखिक परीक्षा/प्रस्तुतीकरण लिया गया। समिति ने पूर्णकालिक आधार पर पीएच.डी. - 2019 कार्यक्रम में दाखिला देने के लिए योग्यतानुसार 04 अभ्यर्थियों को चुना। पीएच.डी. पाठ्यक्रम के लिए कक्षाएं 04 नवम्बर, 2019 से आरंभ हुई थीं।

### परीक्षा — 2019 - 2020

- पीएच.डी. और एलएल.एम. के लिए प्रवेश परीक्षा
- एलएल.एम. (एक वर्ष) और पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए अखिल भारतीय सामान्य प्रवेश परीक्षा-2019 भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली में दिनांक 08.6.2019 को आयोजित की गई। एलएल.एम. और पीएच.

- डी. प्रवेश परीक्षा के लिए कुल 820 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे। अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा और पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा का परिणाम अनुमोदित अनुसूची के अनुसार अधिसूचित किया गया।
- एलएल.एम. 1 वर्ष कार्यक्रम 2019-2020 में प्रवेश के लिए मौखिक वार्तालाप 3, 4 और 5 जुलाई, 2019 को आयोजित किया गया। 164 अभ्यर्थियों में से कुल 115 अभ्यर्थी हाजिर हुए। योग्यता अनुसार परिणाम दिनांक 9 जुलाई, 2019 को घोषित किए गए।
  - छूटप्राप्त और गैर-छूटप्राप्त छात्रों के लिए पीएच.डी. 2019 के दाखिले के लिए साक्षात्कार/प्रस्तुतिकरण दिनांक 2-3 सितम्बर, 2019 को आयोजित किए गए। छूटप्राप्त प्रवर्ग के 68 अभ्यर्थी और गैर-छूटप्राप्त प्रवर्ग से 9 अभ्यर्थी (योग्यता के अनुसार) साक्षात्कार के लिए बुलाए गए। पीएच.डी., 2019 में दाखिले का परिणाम दिनांक 25 सितम्बर, 2019 को घोषित किया गया।
- पीएच.डी. कोर्स वर्क परीक्षा
- पीएच.डी. कोर्स वर्क परीक्षाएं -2019 (पेपर 1 और 2) दिनांक 30 मई और 03 जून, 2019 को आयोजित की गईं।
- समेस्टर परीक्षा - एलएल.एम.
- एलएल.एम. एक वर्ष (द्वितीय समेस्टर) की परीक्षा दिनांक 14-24 मई, 2019 के दौरान आयोजित की गई और शोध प्रबंध मौखिक वार्तालाप/प्रस्तुतिकरण माह जुलाई, 2019 में आयोजित किया गया। इसका परिणाम 08 अगस्त, 2019 को घोषित किया गया।
  - एलएल. एम. एक वर्षीय छात्रों की अनुपूरक परीक्षा 07-14 अक्टूबर, 2019 में आयोजित की गई।
  - एलएल. एम. एक वर्षीय (प्रथम समेस्टर) की परीक्षा 11-20 दिसम्बर, 2019 में आयोजित की गई और इसका परिणाम माह फरवरी, 2020 में घोषित किया गया।
- स्नातकोत्तर डिप्लोमा परीक्षा
- स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (सत्र 2019-2020) की वार्षिक परीक्षा -2019 दिनांक 12 अप्रैल, से 03 मई, 2019 के दौरान सफलतापूर्वक आयोजित की गई। इसका परिणाम माह जून, 2019 में घोषित किया गया।
  - स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए अनुपूरक परीक्षा माह सितम्बर-अक्टूबर, 2019 में आयोजित की गई और इसका परिणाम माह अक्टूबर, 2019 में घोषित किया गया।

## XII. संस्थान के कार्यकलाप

### क. अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन/कार्यशालाएं/सेमिनार/सर्टिफिकेट कोर्स/सेमिनार कोर्स

किशोर न्याय के हितधारकों के लिए उनकी भूमिका और उत्तरदायित्व पर दिल्ली में एक-दिवसीय मंत्रणा (20 फरवरी, 2020)

भारतीय विधि संस्थान ने बाल अधिकार अनुसंधान और समर्थन तथा दिव्यांगजन केंद्र (सीआरएसीआर एंड पीडी) और दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग

(डीसीपीसीआर) के सहयोग से दिल्ली में दिनांक 20 फरवरी, 2020 को किशोर न्याय के हितधारकों के लिए उनकी भूमिका और उत्तरदायित्व पर एक-दिवसीय मंत्रणा का आयोजन किया। प्रतिभागियों में स्पेशल ज्यूनाईल पुलिस यूनिट्स (एसजेपीयू) के पदधारी, परिवीक्षा अधिकारी - एलपीओ, डीसीपीओ, पीओ-आईसी, सामाजिक कार्यकर्ता और डीसीपीयू तथा सीडब्ल्यू में सलाहकार सम्मिलित थे। इस मंत्रणा का उद्देश्य सभी हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) के साथ

उनकी भूमिका, उत्तरदायित्व और बालकों की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने के संबंध में सार्थक संयोजन करना था। उद्घाटन सत्र में श्री रमेश नेगी, अध्यक्ष, डीसीपीसीआर, डा. ज्योति डोगरा सूद, एसोसिएट प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान, सुश्री रीट सिंह, सदस्य, डीसीपीसीआर, श्री शंशाक शेखर, अधिवक्ता, भूतपूर्व सदस्य, डीसीपीसीआर एवं संस्थापक सदस्य, सीआरएसीआर एंड पीडी, श्री शंशाक, आईएस, निदेशक, महिला और बाल विकास द्वारा संबोधन किया गया।



दिल्ली में किशोर न्याय के हितधारकों के लिए एक-दिवसीय मंत्रणा के दृश्य

### “एमओओसीएस: डिजाइन, डेवलेपमेंट एंड डिलीवर” विषय पर एक-दिवसीय कार्यशाला (19 फरवरी, 2020)

भारतीय विधि संस्थान ने एमओओसीएस अध्यापन और मुक्त स्रोत से परिचय कराने के लिए संस्थान में “एमओओसीएस, डिजाइन, डेवलेपमेंट एंड डिलीवर” विषय पर दिनांक 19 फरवरी, 2020 को एक-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।



डा. (श्रीमती) पंकज मित्तल कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डा. (श्रीमती) पंकज मित्तल, सफ्रेटरी जनरल, भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अध्यापन और शिक्षा-प्राप्ति (टिचिंग एंड लर्निंग) प्रक्रिया में एकीकरण करने और नवीनतम तकनीकियों को ग्रहण करके शिक्षकों की कुशलता में वृद्धि करने के लिए यह आवश्यक है कि ई-टिचिंग के लिए सहायक यंत्रों और तकनीकियों से उन्हें अद्ययनीकृत किया जाए।



प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ

इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य यह था कि एमओओसीएस को नवीनतम शिक्षा प्रक्रिया के साथ कैसे सृजित किया जाए और पढ़ाया जाए, ऑनलाइन और एमओओसाएस पाठ्यक्रमों के डिजाइन और डिलीवरी में अंतर्वर्तित विभिन्न उपायों, ऑनलाइन प्लेटफार्म तथा एमओओसीज की सर्वोत्तम पारिपाटियों की प्रबलता और कमजोरी की जांच करना भी था। प्रतिष्ठित अतिथि प्रोफेसर के. श्रीनिवास, मुखिया, आईसीटी और पीएमयू, शैक्षणिक योजना और प्रशासन राष्ट्रीय संस्थान (एनआईपीए), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली इस



कार्यशाला के उपाय-कुशल व्यक्ति (रिसार्स पर्सन) थे।

### अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी विधि की परिवर्तित रूपरेखा और भारत में स्थिति पर एक-दिवसीय सम्मेलन (01 फरवरी, 2020)

भारतीय विधि संस्थान ने “चेंजिंग कंटूरस आफ इंटरनेशनल रिफ्यूजी लॉ एंड दि इंडियन पोजिसन” विषय पर संस्थान में दिनांक 01 फरवरी, 2020 को एक-दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में शरणार्थियों की दुर्दशा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।



माननीय न्यायमूर्ति के. जी. बालकृष्णन कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए

माननीय न्यायमूर्ति के. जी. बालकृष्णन, भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायमूर्ति/अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रोफेसर (डा.) मनोज कुमार सिन्हा, निदेशक, भारतीय विधि संस्थान ने प्रतिभागियों का स्वागत किया।



डा. ज्योति डी. सूद प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए

वक्ताओं और प्रतिभागियों ने शरणार्थियों की प्रास्थिति, राष्ट्रीय राज्यक्षेत्र में प्रवेश, आगामी संरक्षण और विधिक अधिकार, राज्यों के कर्तव्य आदि के विषय पर विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को कवर करते हुए समालोचनात्मक वाद-विवाद किया। वक्ताओं में श्री नरिन्द्र सिंह, भूतपूर्व अध्यक्ष, इंटरनेशनल लॉ कमीशन (युनाइटेड नेशन्स), श्री हर्ष मंदर, निदेशक, सेंटर फार इक्विटी स्टडीज साहित आइसीआरसी, यूएनएचसीआर से वक्ताओं में सम्मिलित थे। शिक्षा-जगत के सदस्यों और अन्य शोधकर्ताओं ने सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन का समन्वय डा. ज्योति डोगरा सूद, एसोसिएट प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान द्वारा किया गया और छात्र समन्वयक भारतीय विधि संस्थान के रिसर्च स्कालर श्री सेतू गुप्ता और सुश्री अवस्थी मधुकुमार थे।

### “डिस्सर्टेशन राइटिंग” (शोध-प्रबंध लेखन) पर एक-दिवसीय लीगल रिसर्च मेथाडॉलजि कार्यशाला (28 जनवरी, 2020)

भारतीय विधि संस्थान ने दिनांक 28 जनवरी, 2020 को संस्थान में पीएच.डी. और एलएल.एम. के छात्रों के लिए “डिस्सर्टेशन राइटिंग” विषय पर एक-दिवसीय लीगल रिसर्च मेथाडॉलजि (विधिक शोध विधि-तंत्र) कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का आयोजन एलएल.एम. के लर्नर्स और पीएच.डी. के रिसर्च स्कालर को प्राथमिक तौर यह आउट-लुक देना था कि अपने शोध और पीएच.डी. के शोध-प्रबंध लेखन को कैसे आरंभ करे। अन्य उद्देश्य लर्नर्स को रिसर्च डिजाइन, रिसर्च में आचार-व्यवहार (एथिक्स) की आवश्यकता, प्राथमिक और द्वितीयक रिसर्च में भिन्नता, परामर्शदाता-परामर्श ग्रहणकर्ता (मेंटर-मेंटी) के संबंध के महत्व, युक्तिवाक्य में तर्क का अर्थ और अतिमंतः थिसिस या शोध प्रबंध के मूल्यांकन पर जागरूक करना था।

इस कार्यशाला का संचालन प्रो. (डा.) शिवकुमार, प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान द्वारा किया गया और वक्ता प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा, निदेशक, भारतीय विधि संस्थान, प्रो. कामेश्वरी, प्रोफेसर, लायड लॉ कालेज, सुश्री आर्या कुमार, डा. दीपा खरब, सहायक प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान, डा. टी. के.

विश्वनाथन, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता एवं 15वीं लोकसभा के सक्नेटरी जनरल, डा. लिसा पी. लुकोस, एसोसिएट प्रोफेसर, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली और प्रो. (डा.) एस. शिवकुमार, प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान थे ।



एक-दिवसीय कार्यशाला के दृश्य

### मानव अधिकार और दिव्यांगजन (ह्यूमन राइट्स एंड पर्सनल्स विद डिसेबिलिटी) विषय पर एक-दिवसीय सेमिनार (11 जनवरी, 2020)

भारतीय विधि संस्थान ने लॉ मंत्रा, महाराष्ट्र नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, नागपुर, नेशनल लॉ युनिवर्सिटी एंड ज्युडिशियल एकेडमी, असम के सहयोग से मानव अधिकार और दिव्यांगजन (ह्यूमन राइट्स एंड पर्सनल्स विद डिसेबिलिटी) विषय पर संस्थान में दिनांक 11 जनवरी, 2020 को एक-दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया ।



सेमिनार का उद्घाटन सत्र

सेमिनार का उद्घाटन प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा, निदेशक, भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली, प्रो. (डा.) विजेन्द्र कुमार, कुलाधिपति, महाराष्ट्र नेशनल लॉ कालेज युनिवर्सिटी, नागपुर, प्रो. (डा.) जे. एस. पाटिल, कुलाधिपति, नेशनल लॉ युनिवर्सिटी एंड ज्युडिशियल एकेडमी, असम, डा. अदिश सी. अग्रवाल, ज्येष्ठ अधिवक्ता एवं अध्यक्ष, इंटरनेशनल काउंसिल आफ ज्यूरिस्ट्स, लंदन, श्री खलील अहमद, उप रजिस्ट्रार (विधि), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और श्री किशोर कुमार मिश्रा, अध्यक्ष, लॉ मंत्रा की भव्य मौजूदगी में किया गया ।

### विधिक जागरूकता पर एक-दिवसीय कार्यक्रम (12-18 दिसम्बर, 2019)



श्री चन्द्र जीत सिंह, सचिव, नई दिल्ली विधिक सेवाएं प्राधिकरण कार्यक्रम के प्रतिभागियों से सहभागिता करते हुए

भारतीय विधि संस्थान ने दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सहयोग से संजय कालोनी, चाणक्यपुरी में दिनांक 12-18 दिसम्बर, 2019 के दौरान विधिक

जागरूकता पर एक-दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, किशोर न्याय अधिनियम, पोसको, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम और न्याय प्रशासन के विषय सम्मिलित किए गए। कार्यक्रम का समन्वय डा. ज्योति डोगरा सूद, एसोसिएट प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान और श्री चन्द्र जीत सिंह, सचिव, नई दिल्ली जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा किया गया। सत्रों का संचालन भारतीय विधि संस्थान के पीएच.डी. स्कालर्स और एलएल.एम. के छात्रों द्वारा किया गया।

### मध्यस्थता (मिडिएशन) विषय में सर्टिफिकेट कोर्स (22-24 नवम्बर, 2019 और 06-08 दिसम्बर, 2019)

भारतीय विधि संस्थान ने माध्यम (एमएएडीएचवाईएम) (काउंसिल फार कंफ्लिक्ट रिसोल्यूशन) और एसएएआरसी लॉ (इंडिया चेप्टर) के सहयोग से भारतीय विधि संस्थान में मध्यस्थता में इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट कोर्स का दिनांक 22-24 नवम्बर, 2019 (प्रथम चरण) और 06-08 दिसम्बर, 2019 (द्वितीय चरण) में आयोजन किया।



इस पाठ्यक्रम का उद्घाटन भारत के उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर ने किया। माननीय मुख्य न्यायाधीश (श्रीमती) गीता मित्तल, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय उद्घाटन समारोह में सम्माननीय अतिथि थीं।



माननीय न्यायमूर्ति श्री मदन बी. लोकुर और माननीय मुख्य न्यायाधीश (श्रीमती) गीता मित्तल प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए

इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को मध्यस्थता संबंधी उन तकनीकियों की धारणाओं की विस्तृत समझ-बूझ अर्जित करने में समर्थ बनाना था, जिन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 की अपेक्षाओं और विवाद समाधान के प्रभावी उपाय के रूप में मध्यस्थता की अपेक्षा करने वाली अन्य कानूनी अधिनियमितियों को ध्यान में रखते हुए प्रयुक्त किए जाने की आवश्यकता है।



भारतीय विधि संस्थान के निदेशक तथा रजिस्ट्रार के साथ कार्यक्रम के प्रतिभागी



## युवा विधि शिक्षकों और रिसर्च स्कालर्स के लिए अध्यापन तकनीक और रिसर्च पर प्रो. एन. आर. मेनन कार्यशाला (6-12 नवम्बर, 2019)

ऐसे सक्षम, प्रतिबद्ध और उत्साही विधि शिक्षक और शोधकर्ता सृजित करने के प्रयास में, जो अध्यापन और शोध कार्य में साधन-संपन्न हों जिससे कि विधि के छात्रों को अपेक्षित ज्ञान, कुशलता और आचार-व्यवहार प्रदान किया जा सके, मेनन इंस्टिट्यूट आफ लीगल एडवोकेसी एंड ट्रेनिंग और कामनवेल्थ लीगल एसोसिएशन ने भारतीय विधि संस्थान तथा लायड लॉ कालेज के साथ मिलकर टिचिंग टेक्नीक एंड रिसर्च विषय पर सप्ताह-भर की एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य “विधि के छात्रों को विधि व्यवसाय के लिए तैयार बनाने के लिए विधि के शिक्षकों को अध्यापन संबंधी तकनीकियों से साधन-संपन्न करना था”।



माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए और संबोधित करते हुए

यह कार्यशाला दिनांक 6-12 नवम्बर, 2019 के दौरान आयोजित की गई। सात-दिवसीय यह कार्यशाला विशेषज्ञों और पेशेवर व्यक्तियों द्वारा विधि के अध्यापन और शोध कार्य में सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए पूर्णतः स्थानीय और आमने-सामने के पारस्परिक संवात्मक प्रशिक्षण के लिए भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली और लायड लॉ कालेज, ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई। बावन युवा सक्षम शिक्षकों और रिसर्च स्कालर्स को भारतीय विधि संस्थान में दिनांक 6-9 नवम्बर, 2019 के दौरान और दिनांक 10-12 नवम्बर, 2019 के दौरान लायड लॉ कालेज, ग्रेटर नोएडा में मेहमान बनाया गया। इनमें न केवल देश के समस्त भागों से अपितु बंगलादेश से भी, जहां से कार्यशाला में चार प्रतिभागियों ने भाग लिया, युवा शिक्षक और शोधकर्मी सम्मिलित हुए।

कार्यशाला का उद्घाटन दिनांक 6 नवम्बर, 2019 को भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली में भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने किया। उन्होंने अपने मूल्यवान अनुभव सांझा किए और अपने कालेज के दिनों का एक किस्सा सुनाया, जिसमें उन्होंने बताया कि उसके शिक्षकों ने किस गंभीरता से उसके जीवन पर प्रभाव डाला और उसके व्यक्तित्व को संवारने में उन्होंने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अध्यापन के पेशे में केवल उन्हीं व्यक्तियों के आने की बात पर बल दिया जो वास्तव में समर्पित और उत्साहपूर्ण हों।

दिनांक 10-12 नवम्बर, 2019 के दौरान लायड लॉ कालेज में सभी प्रतिभागियों द्वारा एक लघु प्राख्यान की विडियो रिकार्डिंग के द्वारा एक व्यवहारिक अध्यापन कुशलता के प्रदर्शन में भाग लिया गया। यह कार्यशाला गहन, पूरी तरह से परस्पर संवादात्मक पहल वाली थी जिसके द्वारा प्रतिभागियों ने न केवल अपने अनुभव, सरोकार और सुझाव सांझा किए, अपितु लायड लॉ कालेज की विधिक सेवाएं, लोकहित वाद संबंधी कार्यकलापों, एसएएआरसी मूट कोर्ट प्रतिस्पर्धा, विचारण में वकालती कवायद आदि जैसी शिक्षण और लर्निंग को छात्रों के लिए सक्रिय रूप से मनमोहक, प्रभावी और सामाजिक रूप से सुसंगत विभिन्न पहलों के बारे में भी जानकारी हासिल की।





माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार दवे कार्यशाला के विदाई सत्र में

विदाई समारोह दिनांक 12 नवम्बर, 2019 को लायड लॉ कालेज के सेमिनार हाल में आयोजित किया गया। माननीय न्यायमूर्ति अनिल आर. दवे, भारत के उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश मुख्य अतिथि थे। उन्होंने बार, न्यायालय और समस्त समाज के लिए प्रबल, साधन-संपन्न और उत्साही विधिक पेशेवर बनाने में विधि के शिक्षकों और शोधकर्ताओं की कुशलताओं में वृद्धि करने के लिए ऐसी पहल के महत्व को रेखांकित किया।



कार्यशाला के प्रतिभागी

**“लीगल कपेसिटी बिल्डिंग/कपेसिटी बिल्डिंग आफ पर्सनस विड इंटेल्क्च्यूअल एंड डेवलेपमेंट ल डिसेबिलिटिज” (बौद्धिक और विकास संबंधी निःशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियों की**

## विधिक समर्थता का निर्माण/समर्थता निर्माण वि'ग्य पर राष्ट्रीय कार्यशाला (23 अक्टूबर, 2019)

भारतीय विधि संस्थान ने आत्म-विमोह (आटिजम), प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदबुद्धि एवं बहुविध निःशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय न्यास के साथ संयुक्त रूप से बौद्धिक और विकास संबंधी निःशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियों की विधिक समर्थता का निर्माण विषय पर बौद्धिक और विकास संबंधी निःशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए भारतीय विधि संस्थान के प्लेनरी हाल में दिनांक 23 अक्टूबर, 2019 को एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।



माननीय न्यायमूर्ति के. जी. बालकृष्णन कार्यशाला का शुभारम्भ करते हुए

कार्यशाला का उद्घाटन माननीय न्यायमूर्ति के. जी. बालकृष्णन, भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश/अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने किया। अन्य गणमान्य व्यक्तियों में प्रोफेसर (डा.) मनोज कुमार सिन्हा, निदेशक, भारतीय विधि संस्थान, श्री निकुंज किशोर सुंदरे, संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास, सुश्री शकुंतला डी. गमलीन, अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास/सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी और श्री एस. सी. प्रुष्ठी, रजिस्ट्रार, भारतीय विधि संस्थान सम्मिलित थे। प्रोफेसर (डा.) मनोज कुमार सिन्हा ने अपने स्वागत संबोधन में डिस्सेम्बल्ड राइट्स ग्रुप बनाम यूनियन आफ इंडिया (2018) 2 एससीसी 397 वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में उठाए गए निःशक्त लोगों से संबंधित मुद्दों को

उजागर किया। मुख्य अतिथि, माननीय न्यायमूर्ति के. जी. बालकृष्णन ने उद्घाटन संबोधन करते हुए इस बात की सराहना की कि 'यह पहल अद्भूत है और बहुविध निःशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अनुज्ञात करती है'।

इस कार्यशाला के तीन तकनीकी सत्र थे, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों और सरकारी विभागों के दिग्गजों ने अनुसंधनात्मक विचार, राय और सिफारिशें प्रस्तुत कीं। कार्यशाला के प्रथम तकनीकी सत्र के वक्ताओं में प्रोफेसर शिफाली गुलाटी, विभागाध्यक्ष, बाल तंत्रिका तंत्र प्रभाग, बाल विभाग, एम्स, नई दिल्ली, डा. निमेश देसाई, निदेशक, मानव व्यवहार और संबद्ध विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, डा. गौरव गुप्ता, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और डा. मीनाक्षी बतरा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय संस्थान, दिव्यांगजन, नई दिल्ली सम्मिलित थे। वक्ताओं ने दिव्यांगजनों के विभिन्न परिप्रेक्ष्य में चिकित्सीय परिप्रेक्ष्य से लेकर सामाजिक मुद्दों पर विचार व्यक्त किए।



कार्यशाला के प्रतिभागी

### ‘एक्सप्लोरिंग डिसेबिलिटी राइट्स प्राडिगम’ (28 सितम्बर, 2019)

भारतीय विधि संस्थान ने ‘एक्सप्लोरिंग डिसेबिलिटी राइट्स प्राडिगम’ विषय पर संस्थान के प्लेनरी हाल में दिनांक 28 सितम्बर, 2019 को एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया।



माननीय न्यायमूर्ति (सुश्री) इंदिरा बनर्जी उद्घाटन सत्र में प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा, प्रो. (डा.) अमिता ढांडा और श्री मुरलीधरन की मौजूदगी में दीप प्रज्ज्वलित करते हुए

सेमिनार का उद्घाटन भारत के उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति (सुश्री) इंदिरा बनर्जी ने किया। माननीय न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और प्रोफेसर (डा.) मनोज कुमार सिन्हा, निदेशक, भारतीय विधि संस्थान ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। प्रो. (डा.) अमिता ढांडा, प्रोफेसर, एनएलएसएआर और डा. ज्योति डोगरा सूद, एसोसिएट प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान ने उद्घाटन सत्र में प्रतिभागियों को संबोधित किया।

स्मल्टीप्ल ऐक्सीज आफ वलर्नेबिलिटी, इनइक्वालिटी एंड डिसेबिलिटी- विषय पर प्रथम तकनीकी सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर (डा.) मनोज कुमार सिन्हा, निदेशक, भारतीय विधि संस्थान द्वारा की गई और पेनल द्वारा निःशक्तता के विभिन्न पहलुओं पर रोचक चर्चा की गई, जिसमें प्रो. (डा.) अमिता ढांडा, प्रोफेसर, एनएलएसएआर, प्रो. (डा.) अनिता घई, प्रोफेसर, अम्बेडकर विश्वविद्यालय और श्री मुरलीधरन विश्वनाथ, महासचिव, राष्ट्रीय मंच, दिव्यांगजन अधिकार थे।

‘एक्सेस टू राइट्स आफ डिसेबल इन इंडिया’ शीर्षक पर द्वितीय सत्र की अध्यक्षता प्रो. (डा.) अमिता ढांडा द्वारा की गई और पेनल में प्रो. (डा.) निलिका मेहरोत्रा, प्रोफेसर, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, डा. निमेश जी. देसाई, निदेशक, आईएचबीएस और श्री राजीव रतुरी, दिव्यांगजन के लिए नियोजन में संवर्द्धन के राष्ट्रीय केन्द्र में विधि और नीति के मुखिया सम्मिलित थे। श्री सुरेश चंद्र, सूचना आयुक्त, सीआईसी ने विदाई भाषण दिया।

दिल्ली में बाल विवाह की समाप्ति के लिए विधि और संस्थागत क्रिया-विधि को सुदृढ़ करने के लिए - राज्य मंत्रणा (19 सितम्बर, 2019)

भारतीय विधि संस्थान और दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) ने इंडीपेंडेंट थॉट (आई-थॉट) के साथ मिलकर दिल्ली में बाल विवाह की समाप्ति के लिए विधि और संस्थागत क्रिया-विधि को सुदृढ़ करने के लिए संस्थान में दिनांक 19 सितम्बर, 2019 को एक-दिवसीय मंत्रणा का आयोजन किया।

मंत्रणा कार्यक्रम का उद्घाटन श्री रमेश नेगी, अध्यक्ष, डीसीपीसीआर ने किया। प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा, निदेशक, भारतीय विधि संस्थान ने श्रोताओं को संबोधित किया और श्रीनिवास प्रुष्टी, रजिस्ट्रार, भारतीय विधि संस्थान ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तावित किया। कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र बाल विवाह पर विधि और इसका कार्यान्वयन के अंतर्गत आने वाले मुद्दों पर आधारित था और वक्ताओं में श्री चंद्रजीत सिंह, सचिव, डीएसएलएसए, डा. निशा अग्रवाल, उप निदेशक, महिला और बाल विकास, सुश्री रीटा सिंह, सदस्य, डीसीपीसीआर, डा. ज्योति डोगरा सूद, एसोसिएट प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान और अधिवक्ता श्री विक्रम श्रीवास्तव, संस्थापक, इंडिपेंडेंट थॉट सम्मिलित थे।



प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा स्वागत भाषण देते हुए

इस मंत्रणा कार्यक्रम ने दिल्ली में बाल विवाह की समाप्ति के लिए विधिक और संस्थागत क्रिया-विधि को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञों को एक मंच प्रदान किया। डा.

ज्योति डोगरा सूद, एसोसिएट प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान ने मंत्रणा कार्यक्रम का समन्वय किया।



बाल अधिकारों पर मंत्रणा कार्यक्रम में प्रतिभागी

### ‘बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स’ (कारबार और मानव अधिकार) विषय पर इनटेंसिव कोर्स (8-12 जुलाई, 2019)

भारतीय विधि संस्थान ने मानव अधिकार कारबार अकदमी (एचयूआरबीए) और आक्सफाम इंडिया के सहयोग से संस्थान में दिनांक 8-12 जुलाई, 2019 के दौरान कारबार और मानव अधिकार विषय पर सप्ताह-भर का एक इनटेंसिव कोर्स सघन पाठ्यक्रम) आयोजित किया। बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स में अपने कार्यों के लिए विख्यात विश्वभर से दिग्गज इस कोर्स के उपाय-कुशल व्यक्ति थे। इस कोर्स का आशय विधि/कारबार/प्रबंधन के छात्रों, वकीलों, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों, नीति-निर्माताओं और कारपोरेट एक्जीक्यूटिव को कारबार और मानव अधिकारों के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय और तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य से इसमें अंतर्वलित मुद्दों और चुनौतियों की अनुप्रमाणित समझ विकसित करने के उद्देश्य के साथ इस प्रदर्शित करना था।

इस पाठ्यक्रम का उद्घाटन प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा, निदेशक, भारतीय विधि संस्थान, डा. सूर्य देवा, एसोसिएट प्रोफेसर, स्कूल आफ लॉ आफ सिटी युनिवर्सिटी आफ हांग कांग/बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स पर यूएन वर्किंग ग्रुप के सदस्य, डा. तारा वान एचओ, डायरेक्टर, ह्यूमन राइट्स क्लिनिक, युनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स, आक्सफाम इंडिया से श्री नमित अग्रवाल और श्री त्रीरजंन राधाकृष्णन् ने किया।



डा. सूर्य देवा ने स्त्रेसिक्स आफ बीएचआर, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स- विषय पर विचार व्यक्त किए और मध्याह्न भोजन के पश्चात् के सत्र में आक्सफाम इंडिया से श्री नमित अग्रवाल ने बीएचआर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स- विषय पर प्राइवेट सेक्टर के विशेषज्ञों की अगुवाई करते हुए विचार व्यक्त किए ।

पाठ्यक्रम के दौरान, डा. तारा वान हो न स्नाइडिंग प्रिंसिपल्स आन बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स- विषय पर विचार व्यक्त किए और उसके पश्चात् डा. सूर्य देवा द्वारा बीएचआर के लैंगिक आयाम के अत्यंत दिलचस्प कार्यसूची में से एक पर पारस्परिक संवाद किया । अन्य वक्ता लारा जेसानी, स्वतंत्र विधि व्यवसायी, बम्बई उच्च न्यायालय, जस्टिन नोलन, फैकल्टी आफ लॉ, यूएसडब्ल्यू सिडनी, प्रोफेसर लीला चौकरॉन, इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर और पोट 'समाउड युनिवर्सिटी के निदेशक, डा. उषा रामनाथन और रंजीत सिंह, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग थे ।



कारबार और मानव अधिकार पर सम्मलेन का उद्घाटन सत्र



कारबार और मानव अधिकार पर सर्टीफिकेट कोर्स के प्रतिभागी

इस पाठ्यक्रम में मानव अधिकारों की प्रकृति और सीमा के प्रति कारबार समुत्थानों के उत्तरदायित्व, कंपनियां कैसे मानव अधिकार के अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन और अपने दिन-प्रति-दिन के प्रचालनों में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण कर सकती हैं, और कारबार में मानव अधिकारों के दुरुपयोग के मामलों में न्याय की पहुंच की ईप्सा करने वाले आहत व्यक्तियों के लिए उपलब्ध विभिन्न उपचारात्मक उपायों से विस्तारपूर्वक परिचय कराया गया । सेमिनार-शैली का परस्पर संवादात्मक कोर्स लोक हित आधार पर अग्रणी विद्वानों और विधि व्यवसायियों के एक दल द्वारा पढ़ाया गया ।

इस गहन कोर्स के पश्चात्, ‘प्रमोटिंग रिस्पोंसिबल बिजनेस कंडक्ट: एनालाईजिंग रेगुलेटरी टूल्स एम्पलाइड बाए स्टेटस’ विषय पर हुए सम्मेलन में विधि के क्षेत्र के कई दिग्गज साक्षी बने ।

**“चेलेंजिंग एंड प्रास्पेक्ट्स आफ आल्टर्नेट डिस्प्यूट रिजोलेशन” (आनुकल्पिक विवाद समाधान की चुनौतियां और संभावनाएं) विषय पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार (14-15 जून, 2019)**

भारतीय विधि संस्थान ने राजीव गांधी नेशनल युनिवर्सिटी आफ लॉ, पंजाब, महाराष्ट्र, नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, नागपुर, हिमाचल प्रदेश, नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, शिमला सहित लॉ मंत्रा के साथ मिलकर संस्थान में दिनांक 14-15 जून, 2019 के दौरान “चेलेंजिंग एंड प्रास्पेक्ट्स आफ आल्टर्नेट डिस्प्यूट रिजोलेशन” (आनुकल्पिक विवाद समाधान की चुनौतियां और संभावनाएं) विषय पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया ।

मंचासीन प्रतिष्ठित व्यक्तियों में प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा, निदेशक, भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली, प्रो. (डा.) परमजीत एस. जसवाल, कुलाधिपति, राजीव गांधी नेशनल युनिवर्सिटी आफ लॉ, पंजाब, प्रो. (डा.) बिजेन्द्र कुमार, कुलाधिपति, महाराष्ट्र नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, नागपुर और प्रो. (डा.) निष्ठा जसवाल, कुलाधिपति, हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, शिमला सम्मिलित थे ।





प्रो. (डा.) निठा जसवाल दीप प्रज्ज्वलित करते हुए

इस सेमिनार का उद्देश्य आनुकल्पिक विवाद समाधान (आल्टरेनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन) की तकनीकियों की व्यावहारिक समझ से और उनके उस समय अत्यधिक महत्व के बारे में छात्रों को सशक्त करना करना था, जब मुकदमों बढ़ते जा रहे हैं और न्यायालय बकाया पड़े मामलों के बोझ का सामना कर रहा है।



कार्यक्रम में प्रतिभागी

न्यायालय मुकदेबाजी की परम्परागत पद्धति के द्वारा प्रायः असंख्य वैवाहिक और अन्य सिविल मामलों से लदा रहता है। चूंकि किसी समाज के विकास में विवाद अंतर्निहित रहता है, इसलिए विवाद का समाधान उस समाज के बने रहने के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। ऐसे परिदृश्य में, आनुकल्पिक विवाद समाधान जीवन की वास्तविकता बन रहा है।

### “मेथाडालॉजि आफ मुस्लिम लॉ रिफार्म एंड रोल आफ इस्लामिक जूरिस्ट” विषय पर कार्यशाला (01 मई, 2019)

भारतीय विधि संस्थान ने “मेथाडालॉजि आफ मुस्लिम

लॉ रिफार्म एंड रोल आफ इस्लामिक जूरिस्ट” विषय पर संस्थान में दिनांक 01 मई, 2019 एक कार्यशाला का आयोजन किया। उद्घाटन भाषण इस अवसर के लिए मुख्य अतिथि, माननीय न्यायमूर्ति बी. डी. अहमद, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने दिया और उसके पश्चात् स्वागत भाषण प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा, निदेशक, भारतीय विधि संस्थान द्वारा दिया गया। प्रोफेसर वर्नर मेंस्की, एमेरिटस प्रोफेसर, स्कूल आफ ओरियंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, युनिवर्सिटी आफ लंदन ने इस कार्यशाला में व्यक्तिगत तौर पर भाग नहीं लिया किंतु उनकी सहभागिता एक भाषण के माध्यम से थी जिसे श्रोताओं में परिचालित किया गया और इसे मंच से औपचारिक तौर पर पढ़ा गया। प्रोफेसर मेंस्की के भाषण में उस राजनीति को रेखांकित किया गया जो अक्सर मुस्लिम पर्सनल लॉ सुंधारों में साथ-साथ चलती है और यद्यपि उन्होंने यह आग्रह किया कि इसमें सुधारों की बात होनी चाहिए किंतु ऐसी बहसों और चर्चाओं में असलियत और विश्वसनीयता होनी चाहिए।



कार्यक्रम में प्रतिभागी

### “मिडिया, लॉ एंड इलेक्शनस” विषय पर एक दिवसीय सेमिनार (05 अप्रैल, 2019)

भारतीय विधि संस्थान ने आईएमएस लॉ कालेज नोएडा के सहयोग से “मिडिया, लॉ एंड इलेक्शनस” विषय पर संस्थान में दिनांक 05 अप्रैल, 2019 को एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया।

आईएमएस लॉ कालेज, नोएडा ने भारतीय विधि

संस्थान के साथ संयुक्त रूप से पहली बार सेमिनार आयोजित करने की अपनी यात्रा आरंभ की और इस सेमिनार ने न्यायपालिका, भारत के निर्वाचन आयोग, बार, संवाददाताओं और विधि के क्षेत्र के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों का, विशिष्ट रूप से आगामी लोक सभा के सदस्यों के राष्ट्रीय निर्वाचन को देखते हुए, जबरदस्त रूप से ध्यान आकृष्ट किया ।



सेमिनार का उद्घाटन सत्र

सेमिनार की अध्यक्षता माननीय न्यायमूर्ति एस. एन. श्रीवास्तव, भूतपूर्व न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और मुख्य लोकायुक्त, छत्तीसगढ़ ने की और इसे अनेक विशिष्ट वक्ताओं द्वारा संबोधित किया गया, जिन्होंने भव्य जनसमूह और आने वाले कल के उदीयमान वकीलों, आईएमएस लॉ कालेज, नोएडा के छात्रों के साथ गहरी समझ-बूझ के साथ विचार-विमर्श करने में सहयोग दिया ।

## ख. प्रशिक्षण कार्यक्रम

### 1. भारतीय विधि संस्थान ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहयोग से निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए:-

न्यायिक अधिकारियों के लिए “मानव अधिकार: मुद्दे और चुनौतियां” विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (14-15 मार्च, 2020)

भारतीय विधि संस्थान ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहयोग से “मानव अधिकार मुद्दे और चुनौतियां” विषय पर भारतीय विधि संस्थान में दिनांक 14-15

मार्च, 2020 को न्यायिक अधिकारियों के लिए संस्थान के प्लेनरी हाल में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया ।



प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के दृश्य

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय ने किया । माननीय न्यायमूर्ति ने मानव अधिकारों के मुद्दों और चुनौतियों पर न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के महत्व को रेखांकित किया । समारोह की मुख्य अतिथि श्रीमती ज्योतिका कालरा, सदस्य, मानव अधिकार आयोग थीं और उन्होंने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित किया ।

यह कार्यक्रम न्यायिक अधिकारों के लिए मानव अधिकारों के अतिक्रमण और मानव अधिकारों के मुद्दों के प्रभावी क्रियान्वयन के प्रति एक दृष्टिकोण अपनाने के बारे में एक स्पष्ट समझ लाने के लिए डिजाइन किया गया था । प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिष्ठित वक्ताओं ने व्याख्यान दिए और विभिन्न सत्रों

में प्रतिभागियों के साथ विचार-विनिमय किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिन दांडिक न्याय और मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर चार तकनीकी सत्र थे। डा संजय दूबे, भूतपूर्व निदेशक, मानव अधिकार आयोग ने प्रतिभागियों के साथ “मानव अधिकारों के संवर्द्धन और संरक्षण में मानव अधिकार की भूमिका” (रोल आफ एनएचआरसी इन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन आफ ह्यूमन राइट्स) विषय पर विचार-विनिमय किया। प्रोफेसर बी. टी. कौल, भूतपूर्व अध्यक्ष, दिल्ली न्यायिक अकादमी ने “दांडिक न्याय और अभियुक्त के मानव अधिकार” (क्रिमिनल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स आफ अक्यूज्ड) विषय पर एक व्याख्यान दिया और सुश्री अंजू मंगला, उप सचिव, दिल्ली सचिवालय ने “न्यायपालिका और कारागार सुधार” (ज्यूडिशियरी एंड प्रिजन रिफार्मस) विषय पर श्रोताओं के साथ विचार-विनिमय किया। श्री सुधांशु रंजन, टीवीएनसी, दूरदर्शन न्यूज ने “न्यायपालिका की भूमिका और मिडिया” (रोल आफ ज्यूडिशियरी एंड मिडिया) विषय पर वक्तव्य दिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन डा. ज्योति डोगरा सूद, एसोसिएट प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान ने “दांडिक न्याय और मानव अधिकार” (क्रिमिनल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स) विषय पर एक व्याख्यान दिया और डा. अनुराग दीप, एसोसिएट प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान ने “भारत में राजद्रोह विधि और मानव अधिकार सरोकार” (लॉ आफ सेडिशन इन इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स कंसर्नस) विषय पर एक व्याख्यान दिया।



प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी भारतीय विधि संस्थान के निदेशक और फैकल्टी के साथ

## कारागार पदधारियों के लिए “मानव अधिकार: मुद्दे और चुनौतियां” विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (15-16 फरवरी, 2020)

भारतीय विधि संस्थान ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहयोग से कारागार पदधारियों के लिए “मानव अधिकार: मुद्दे और चुनौतियां” विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। प्रोफेसर (डा.) रणबीर सिंह, कुलाधिपति, नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, दिल्ली ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया और समारोह की अध्यक्षता की। श्रीमती ज्योतिका कालरा, सदस्य, मानव अधिकार आयोग समारोह में मुख्य अतिथि थीं।



श्रीमती ज्योतिका कालरा और प्रोफेसर (डा.) रणबीर सिंह प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए



गणमान्य व्यक्तियों के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी

कार्यक्रम के पहले दिन विभिन्न प्रसंगों पर पांच परस्पर संवादात्मक तकनीकी सत्र थे, अर्थात्-

- भारत के कारागारों की दशा सुधारने में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की पहल
- कारागार सुधार और सुधारात्मक प्रशासन पर राष्ट्रीय नीति



- भारत के कारागार और अत्यधिक बढ़ती भीड़ से संबंधित मुद्दे
- किशोरों और युवा अपराधियों का पुनर्वास और देखरेख संबंधी सेवा

वक्ताओं में डा. संजय दूबे, भूतपूर्व निदेशक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, श्री सुनील गुप्ता, भूतपूर्व विधि अधिकारी, तिहाड़ जेल, श्री अरुण गुप्ता, ओएसडी एवं पदेन सदस्य, डीजी एंड आईजी, सुधारात्मक सेवाएं, पश्चिमी बंगाल तथा श्री विक्रम श्रीवास्तव, आई-थॉट, नोएडा सम्मिलित थे।

कार्यक्रम के दूसरे दिन नए किशोर न्याय अधिनियम के प्रति विशेष रूप से निर्देश करते हुए सुधारालय में किशोरों के मानव अधिकार, विराणाधीन कैदियों के संरक्षण में मीडिया और भारतीय न्यायपालिका की भूमिका, कारागार के पदधारियों की लैंगिक संवेदनात्मकता, भ्रष्टाचार और दांडिक न्याय व्यवस्था : कैदियों के अधिकार जैसे महत्वपूर्ण विषय थे। इस सत्र के महत्वपूर्ण वक्ताओं में श्री शंशाक शेखर, भूतपूर्व सदस्य, डीसीपीसीआर, सुश्री अंजू मंगला, उप सचिव, दिल्ली सचिवालय, श्री सुधांशु रंजन, टीवीएनसी, दूरदर्शन न्यूज और श्री अमित वशिष्ठ, आरपीएफसी, ईपीएफओ सम्मिलित थे। कार्यक्रम का समापन सभी 28 प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र वितरण के साथ हुआ।

### पुलिस क्रमियों के लिए पुलिस और मानवाधिकार: मुद्दे और चुनौतियां (पुलिस एंड ह्यूमन राइट्स: इसूज एंड चैलेंजिज) विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (23-24 नवम्बर, 2019)

भारतीय विधि संस्थान ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहयोग से दिनांक 23-24 नवम्बर, 2019 को संस्थान के प्लेनरी हाल में “पुलिस और मानवाधिकार: मुद्दे और चुनौतियां (पुलिस एंड ह्यूमन राइट्स: इसूज एंड चैलेंजिज)” विषय पर पुलिस क्रमियों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।



माननीय न्यायमूर्ति (डा.) अरिजीत पसायत दीप प्रज्ज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुए

माननीय न्यायमूर्ति (डा.) अरिजीत पसायत, भारत के उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया और उद्घाटन संबोधन करते हुए माननीय न्यायमूर्ति ने पुलिस कर्मियों के लिए मानव अधिकार के मुद्दों पर ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री दिलीप कुमार, संयुक्त सचिव एवं वेब सूचना प्रबंधक, लोकपाल ने श्रोताओं को संबोधित किया और प्रोफेसर वी. पी. नंदा, एमेरिटस प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी आफ डेनवर, यूएसए ने विशेष संबोधन दिया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मानव अधिकारों के विभिन्न प्रसंगों पर चार तकनीकी सत्र थे। डा. संजय दूबे, निदेशक (प्रशासन और नीति अनुसंधान, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग) ने स्मानव अधिकारों के संरक्षण में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका- विषय पर विचार-विमर्श किया और श्रीमती मंजिल सैनी, आईपीएस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने स्मानव अधिकार और पुलिस अन्वेषण : मुद्दे और चुनौतियां- विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम और द्वितीय सत्र में वक्तव्य दिया। श्री अमोद के. कंठ, भूतपूर्व डीजीपी और अध्यक्ष, डीसीपीसीआर, महासचिव, प्रयास किशोर सहायता सेंटर सोसाइटी, दिल्ली ने स्मानव अधिकार, आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और पुलिस की भूमिका- (ह्यूमन राइट्स, टेरोरिज्म, नेशनल सिक्योरिटी एंड रोल आफ पुलिस) विषय पर वक्तव्य दिया और श्री सुनील गुप्ता, भूतपूर्व विधि अधिकारी, तिहाड़ जेल, ने



रुकारागार के कार्य में पुलिस कर्मियों की भूमिका- (रोल आफ पुलिस प्रसोनल इन फंशनिंग आफ परीजन) विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे और चौथे सत्र में विचार-विमर्श किया ।

श्रीमती राकेश महेश्वरी, वरिष्ठ निदेशक/वैज्ञानिक रूजी- (साइबर लॉ एंड ई-सिक्योरिटी), इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी ने रू साइबर अपराधों का अन्वेषण करने में पुलिस अधिकारियों की भूमिका- (रोल आफ पुलिस आफ पुलिस आफिसर्स इन इन्वेस्टि गेटिंग साइबर क्राइम्स) विषय पर एक व्याख्यान दिया और श्री विक्रम, आई-थॉट, नोएडा ने रूखालकों से संबंधित विधियों को कार्यान्वित करने में पुलिस की भूमिका- (रोल आफ पुलिस इन इम्प्लीमेंटिंग लॉज रिलेटिड टू चिल्ड्रन) विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के पांचवे और छठे सत्र में अपने विचार व्यक्त किए । डा. अनुराग दीपख एसोसिएट प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान ने कार्यक्रम के सातवें सत्र में श्रोताओं को रूअभिरक्षा में व्यक्तियों के सांविधानिक अधिकार- (कांस्टीट्यूशनल राइट्स आफ पर्सनस इन कस्टडी) विषय पर संबोधित किया और प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम सत्र में श्री सुधांशु रंजन, पत्रकार, दूरदर्शन ने रूमुलिस अन्वेषण के दौरान मीडिया का असर- (इम्पेक्ट आफ मीडिया डयूरिंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन) विषय पर विचार-विमर्श किया ।



माननीय न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार विदाई भाषण देते हुए

माननीय न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार, भूतपूर्व न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय और भूतपूर्व अध्यक्ष, एनजीटी विदाई समारोह में मुख्य अतिथि थे । विदाई भाषण देते हुए, माननीय न्यायमूर्ति ने ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भारतीय विधि

संस्थान की सराहना की । श्री पी. के. मल्होत्रा, भूतपूर्व सचिव, विधिक कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय ने विशेष संबोधन दिया । स्वागत संबोधन प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा, निदेशक, भारतीय विधि संस्थान ने दिया और श्री श्रीनिवास चंद्र प्रुष्टी, रजिस्ट्रार, भारतीय विधि संस्थान ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तावित किया । लगभग छत्तीस न्यायिक अधिकारियों ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया और उन्हें भाग लेने संबंधी प्रमाणपत्र वितरित किए गए ।

### “मानव अधिकार: मुद्दे और चुनौतिया” विषय पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (21-22 सितम्बर, 2019)

भारतीय विधि संस्थान ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सहयोग से प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए “मानव अधिकार : मुद्दे और चुनौतिया” (हयूमन राइट्स: इसूज एंड चेलेंजिज) विषय पर संस्थान में दिनांक 21-22 सितम्बर, 2019 को दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया । माननीय न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया और समारोह की अध्यक्षता की । उद्घाटन संबोधन करते हुए माननीय न्यायमूर्ति ने मानव अधिकारों के महत्वपूर्ण मुद्दों और चुनौतियों पर बल दिया ।



माननीय न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए

प्रशिक्षण कार्यक्रम में मानव अधिकारों के विभिन्न प्रसंगों पर चार तकनीकी सत्र थे । डा. संजय दूबे,

निदेशक (प्रशासन और नीति अनुसंधान, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग) ने रूअति संवेदनशील समूहों के मानव अधिकारों के अतिक्रमण के संरक्षण में राष्ट्रीय मानव अधिकार की भूमिका- विषय पर विचार-विमर्श किया और भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिवक्ता, सुश्री गीता लूथरा रूजमानत के मामलों में विवेकाधिकार का प्रयोग और आहत तथा अभियुक्त के मानव अधिकार- (एक्सरसाइजिंग डिस्क्रीशन इन बेल केसेज एंड हयूमन राइट्स आफ विक्टिम एंड अक्यूज्ड) विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम और द्वितीय सत्र में विचार व्यक्त किए। श्री प्रशांत पदमनाभन, एसोसिएट प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे और चौथे सत्र में रूअडिक न्याय और मानव अधिकार, सबूत के भार और मानक के प्रति विशेष निर्देश करते हुए- (क्रिमिनल जस्टिस एंड हयूमन राइट्स विद स्पेशल रिफेंश टू बर्डन एंड स्टेंडर्ड आफ प्रूफ) विषय पर विचार व्यक्त किए।

### किशोर गृहों, वृद्ध-आश्रमों और स्वास्थ्य सेक्टर में कार्यरत कर्मियों के लिए “मानव अधिकार: मुद्दे और चुनौतिया” विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (10 अगस्त, 2019)

भारतीय विधि संस्थान ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सहयोग से किशोर गृहों, वृद्ध-आश्रमों और स्वास्थ्य सेक्टर में कार्यरत कर्मियों के लिए “मानव अधिकार: मुद्दे और चुनौतिया” (हयूमन राइट्स: इसूज एंड चेलेंजिज) विषय पर संस्थान में दिनांक 10 अगस्त, 2019 को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

श्री रमेश नेगी, अध्यक्ष, डीसीपीसीआर ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया और समारोह की अध्यक्षता की। उद्घाटन संबोधन करते हुए उन्होंने अतिसंवेदनशील समूहों के मानव अधिकारों के अतिक्रमण का संरक्षण करने में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका पर बल दिया। डा. संजय दूबे, निदेशक (प्रशासन और नीति अनुसंधान, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग) ने विशेष संबोधन दिया।



श्री रमेश नेगी दीप प्रज्ज्वलित करके प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए

प्रशिक्षण कार्यक्रम में मानव अधिकारों के विभिन्न प्रसंगों पर चार तकनीकी सत्र थे। डा. संजय दूबे, निदेशक (प्रशासन और नीति अनुसंधान, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग) ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम तकनीकी सत्र में रूअति संवेदनशील समूहों के मानव अधिकारों के अतिक्रमण के संरक्षण में राष्ट्रीय मानव अधिकार की भूमिका- (रोल आफ एनएचआरसी इन प्रोटेक्टिंग हयूमन राइट्स वायलेशन आफ वलनरेबल ग्रुप्स) विषय पर विचार-विमर्श किया। डा. ज्योति डोगरा सूद, एसोसिएट प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान ने रूअिशारों के अधिकार: मुद्दे और चुनौतिया- (राइट्स आफ जुविनाइल्स: इसूज एंड चेलेंजिज) विषय पर विचार व्यक्त किए और सुश्री रजिया इस्माइल, इंडिया एलायंस फार चाइल्ड राइट्स ने रूसिक्योरिंग दि राइट्स आफ चिल्ड्रन इन नीड आफ केयर एकंड प्रोटेक्शन- (देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता में बालकों के अधिकार सुनिश्चित करना) विषय पर क्रमशः द्वितीय और तृतीय तकनीकी सत्र में विचार व्यक्त किए। सुश्री अनुपमा दत्ता, निदेशक, हेल्प ऐज इंडिया, नई दिल्ली ने कार्यक्रम के अंतिम सत्र में ‘वृद्ध व्यक्तियों के मानव अधिकारों का संरक्षण करने में पदाधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका’ (रोल आफ फंग्शनरिज एंड हेल्थ आफिसियल्स इन प्रोटेक्टिंग हयूमन राइट्स आफ ओल्ड ऐज पर्सनस) विषय पर श्रोताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अड़तालिस प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र वितरित किए गए।



प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी

### इंडियन इकोनामिक सर्विसेज के आफिसर-ट्रेनी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (28-31 जनवरी, 2020)

भारतीय विधि संस्थान ने दिनांक 28-31 जनवरी, 2020 को संस्थान में इंडियन इकोनामिक सर्विसेज, 2018 बैच के आफिसर-ट्रेनी के लिए “इंटरनेशनल एंड नेशनल इकोनामिक एंड पोलिटिकल लॉज, आर्टीआई एंड रूल आफ लॉ” विषय पर एक दिवसीय प्रोबेशनरी ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया।

इस एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया उनमें “न्यू इंटरनेशनल इकोनोमिक आर्डर, डब्ल्यूटीओ, इकोनोमिक नेशनलाइजेशन, आईपीआर, आरबीआई, इंसोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, लॉ एंड इकोनोमिक क्राइम्स इन इंडिया, आर्टीआई, ईज आफ डुईंग बिजनेस, मीडिया लॉ, बैंकिंग लॉ, एडीआर, बैंकिंग फ्राड, साइबर क्राइम्स, सोशियो-इकोनोमिक क्राइम्स, मनी लार्डिंग एंड दि सुप्रीम कोर्ट एंड दि इंडियन कांस्टीट्यूशन” सम्मिलित थे। डा. विनय सिंह, सहायक प्रोफेसर और उप निदेशक, आईएसआईएल, श्री एम. के. राव, सक्लेटरी जनरल, आईएसआईएल, डा. दीपा खरब, सहायक प्रोफेसर, आईएलआई, डा. के. एस. कर्दम, भूतपूर्व उप नियंत्रक, इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, प्रो. (डा.) जी. मल्लिकार्जुन प्रोफेसर लायड लॉ कालेज, नोएडा, डा. लिसा पी. लुकोस, एसोसिएट प्रोफेसर, जीजीएसआईपीयू, डा. ऋषम गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर, एनएलयूडी, श्री अमित वशिष्ठ, क्षेत्रीय पीएफ कमिशनर, डा. विक्रान्त नारायण वासुदेव, अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय, प्रो. (डा.) एम. श्रीधर आचर्युलु, भूतपूर्व सीआईसी कमिशनर, डीन, बेनेट युनिवर्सिटी, डा. जी.

आर. राघवेन्द्र, संयुक्त सचिव, नेशनल मिशन फार जस्टीस डिलीवरी एंड लीगत रिफार्मस, प्रो. (डा.) एस. शिवकुमार, प्रोफेसर, आईएलआई, डा. सुस्मिता पी. मल्लाय्या, सहायक प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय, श्री संजय दिवाकर, अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय, श्री नीरज अरोड़ा, अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय, श्रीमती आर्या ए. कुमार, सहायक प्रोफेसर, आईएलआई, डा. अनुराग दीप, एसोसिएट प्रोफेसर, आईएलआई और प्रो. (डा.) एस. एन. सिंह, भूतपूर्व डीन, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे विशेषज्ञ थे।



प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी

### नेपाल के अटर्नी जनरल कार्यालय के अधिकारियों की अवलोकन यात्रा (25-28 अगस्त, 2019)

भारतीय विधि संस्थान ने नेपाल के अटर्नी जनरल कार्यालय के पदधारियों के लिए भारत में दिनांक 25-28 अगस्त, 2019 को भारतीय विधिक व्यवस्था में अटर्नी व्यवस्था पर उनके ज्ञान को उन्तशील करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। अटर्नी कार्यालय के बारह पदधारियों ने संस्थान का दौरा किया। इस दौरे को निम्नलिखित से संबंधित व्यापक पहलुओं को कवर करने के लिए डिजाइन किया गया था -

- \* भारत में संघ के स्तर पर अटर्नी जनरल के बीच और राज्य के स्तर पर एडवोकेट जनरल के बीच संबंध;
- \* अटर्नी जनरल और एडवोकेट जनरलों की कार्य-प्रणाली का सरकार से संबंधित मुकदमों



को संभालने सहित अवलोकन ;

- \* विचारण न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में मामलों की सुनवाई की क्रियाविधि का अवलोकन और भारत में दांडिक न्याय व्यवस्था के अधीन दोषसिद्धि और दंडादेश का अध्ययन ।

इस कार्यक्रम में भारतीय विधिक व्यवस्था का सिंहावलोकन प्रदान करने के लिए ज्येष्ठ अधिवक्ताओं और संविधान विशेषज्ञों के साथ बातचीत और परस्पर संवाद समाविष्ट था । वक्ताओं में प्रो. (डा.) जी. मोहन गोपाल, भूतपूर्व निदेशक, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल एवं एनएलएसआईयू, बंगलोर, श्री राकेश मुंजाल, भारत के उच्चतम न्यायालय के ज्येष्ठ अधिवक्ता, डा. राजीव मणि, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहाकार, विधि और न्याय मंत्रालय तथा श्री वेद प्रकाश शर्मा, सदस्य, बार काउंसिल आफ इंडिया सम्मिलित थे ।



प्रो. (डा.) जी.मोहन गोपाल प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए



निदेशक, भारतीय विधि संस्थान के साथ समूह फोटोग्राफ

## ग. विशेष व्याख्यान



- प्रो. एम. पी. सिंह द्वारा भारतीय विधि संस्थान में दिनांक 23 जनवरी, 2020 को “भारत के संविधान” पर वार्ता ।
- भारत के संविधान को अंगीकार करने के सत्तर वर्ष पूर्ण होने के समारोह के भाग के रूप में भारतीय विधि संस्थान में दिनांक 27 फरवरी, 2020 को भारतीय सांविधानिक विधि (इंडियन कांस्टीट्यूशन लॉ) पर प्रो. (डा.) जी. मोहन गोपाल, भूतपूर्व निदेशक, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा एक वार्ता का आयोजन किया गया ।
- संस्थान ने डा. रमेश सी. गौर, डीन एवं निदेशक (पुस्तकालय और सूचना) तथा मुखिया
- कला निधि डिविजन, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फार दि आर्ट्स (आईजीएनसीए), नई दिल्ली, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संस्थान के फैकल्टी, स्टाफ, पीएच. डी और एलएल.एम छात्रों के लिए रिसर्च एथिक्स एंड प्लेजियारिज्म पर दिनांक 22 जनवरी, 2020 को एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया ।





- संस्थान ने दिनांक 22 नवम्बर, 2019 को प्रोफेसर वेद पी. नंदा, विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित प्रोफेसर, निदेशक, दि वेद नंदा सेंटर फार इंटरनेशनल एंड कम्परेटिव लॉ, युनिवर्सिटी आफ डेनवर स्टर्म कालेज आफ लॉ द्वारा “हायर लीगल एजुकेशन इन दि यूएस” विषय पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया।



- संस्थान ने दिनांक 6 नवम्बर, 2019 को प्रो. उपेन्द्र बख्शी, ऐमिरिटस प्रोफेसर आफ लॉ, दिल्ली युनिवर्सिटी और वरविक युनिवर्सिटी, यूके द्वारा “इथनो नेशनलिज्म, प्लुरालिज्म एंड प्रेक्टिस” विषय पर तथा प्रोफेसर वर्नर एफ. मेंस्की, ऐमिरिटस प्रोफेसर, एसओएसएस युनिवर्सिटी आफ लंदन, यूके द्वारा “लीगल प्लुरालिज्म एंड इंडियन लॉज इन लोबल एज” विषय पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन किया।
- भारतीय विधि संस्थान ने दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 को प्रोफेसर ऐमिरिटस (डा.) विरेन्द्र कुमार, संस्थापक निदेशक, (एकेडेमिक्स), चंडीगढ़ ज्यूडिशियल एकेडमी द्वारा “सोशियो-रिलिजियस रिफार्मस थ्रु ज्यूडिशियल इंटरवेंशन: इटस लिमिट एंड लिमिटेशन अंडर दि कास्टिट्यूशन [सबरीमाला मंदिर वाले मामले (2018) में उच्चतम न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की संविधान न्यायपीठ के विनिश्चय की समीक्षा]” विषय पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया।

## घ छात्रों का भ्रमण

- सेंट्रल इंडियन कालेज आफ लॉ, नागपुर के छात्रों ने दिनांक 19 फरवरी, 2020 को भारतीय विधि संस्थान का भ्रमण किया।
- इंडियन इंस्टीच्यूट आफ लीगल स्टडीज, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, पश्चिमी बंगाल के छात्रों ने दिनांक 14 फरवरी, 2020 को भारतीय विधि संस्थान का भ्रमण किया।
- पेंडेकांति लॉ कालेज, चिक्काडापल्ली, हैदराबाद के छात्रों ने दिनांक 12 फरवरी, 2020 को भारतीय विधि संस्थान का भ्रमण किया।
- सुरेन्द्रनाथ लॉ कालेज, कोलकाता के छात्रों ने दिनांक 02 फरवरी, 2020 को भारतीय विधि संस्थान का भ्रमण किया।
- के. आर. मंगलम युनिवर्सिटी, गुरुग्राम के छात्रों ने दिनांक 27 जनवरी, 2020 को भारतीय विधि संस्थान का भ्रमण किया।
- कश्मीर लॉ कालेज, श्रीनगर के छात्रों ने दिनांक 17 जनवरी, 2020 को भारतीय विधि संस्थान का भ्रमण किया।
- युनिवर्सिटी स्कूल आफ लॉ, गुजरात युनिवर्सिटी के छात्रों ने दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 को भारतीय विधि संस्थान का भ्रमण किया।
- सुरेश्वर दत्ता लॉ कालेज, हावड़ा, पश्चिमी बंगाल के छात्रों ने दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 को भारतीय विधि संस्थान का भ्रमण किया।
- जीएलएल लॉ कालेज, एल्लिस ब्रिज, अहमदाबाद के छात्रों ने दिनांक 03 दिसम्बर, 2019 को भारतीय विधि संस्थान का भ्रमण किया।
- काज़ी नज़रूल युनिवर्सिटी, अंसोल, पश्चिमी

- बंगाल के छात्रों ने दिनांक 26 नवम्बर, 2019 को भारतीय विधि संस्थान का भ्रमण किया ।
- लॉ कालेज दुर्गापुर, पश्चिमी बंगाल के छात्रों ने दिनांक 19 नवम्बर, 2019 को भारतीय विधि संस्थान का भ्रमण किया ।
  - बंगाल लॉ कालेज, शांतिनिकेतन, दोरांडा के छात्रों ने दिनांक 19 नवम्बर, 2019 को भारतीय विधि संस्थान का भ्रमण किया ।
  - मोदी युनिवर्सिटी आफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लक्ष्मणगढ़, राजस्थान के छात्रों ने दिनांक 1 अक्टूबर, 2019 को भारतीय विधि संस्थान का भ्रमण किया ।
  - 20 देशों से विदेशी संसदीय पदाधिकारियों ने ब्यूरो आफ पार्लियामेंटरी स्टडीज एंड ट्रेनिंग, लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों के साथ दिनांक 30 सितम्बर, 2019 को भारतीय विधि संस्थान का भ्रमण किया ।
  - मार्टन कालेज, मोहन नगर, गाजियाबाद के छात्रों ने दिनांक 25 सितम्बर, 2019 को भारतीय विधि संस्थान का भ्रमण किया ।
  - मोदी युनिवर्सिटी आफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राजस्थान के छात्रों ने दिनांक 25 सितम्बर, 2019 को भारतीय विधि संस्थान का भ्रमण किया ।
  - उत्तराखंड के सिविल न्यायाधीशों (कनिष्ठ प्रभाग) 2016 बैच ने दिनांक 07 अगस्त, 2019 को भारतीय विधि संस्थान का भ्रमण किया ।
  - जार्ज स्कूल आफ लॉ, कोलकाता के छात्रों ने दिनांक 18 जुलाई, 2019 को भारतीय विधि संस्थान का भ्रमण किया ।
  - माननीय न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप साही, मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय ने दिनांक 04 जून, 2019 को भारतीय विधि संस्थान का भ्रमण किया ।

- के. सी. लॉ कालेज, मुम्बई के छात्रों ने दिनांक 04 अप्रैल, 2019 को भारतीय विधि संस्थान का भ्रमण किया ।
- विधि विभाग, गुवाहटी विश्वविद्यालय, असम ने पुस्तकालय का भ्रमण किया और उन्हें पुस्तकालय में उपलब्ध विभिन्न प्रिंट तथा ई-रिसर्सिज के बारे में अवगत कराया ।

## इ इंटरनशीप

संस्थान ने अप्रैल, 2019 - मार्च, 2020 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों के विधि के छात्रों को इंटरनशीप के अवसर प्रदान किए । विभिन्न विश्वविद्यालयों अर्थात् बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, रांची, मोदी युनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एमिटी युनिवर्सिटी, दिल्ली मेट्रोपालिटन ऐजुकेशन, नोएडा, विवेकानंद इंस्टीच्यूट आफ प्रोफेशनल स्टडीज, डिर्पामेंट आफ लॉ, प्रेसटिज इंस्टीच्यूट आफ मनेजमेंट एंड रिसर्च, इंदोर, गलकोटिया युनिवर्सिटी, ओ. पी. जिंदल युनिवर्सिटी, इंदोर इंस्टीच्यूट आफ लॉ, एमएनएलयू, नागपुर ओर जितेन्द्र चौहान कालेज आफ लॉ, मुम्बई, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, पूणे तथा सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, नोएडा के लगभग 60 इंटरनिज़ ने भाग लिया ।

## च ई-लॉनिंग सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम

### (i) बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर)

संस्थान द्वारा आईपीआर पर ई-लॉनिंग प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम देशभर के अधिक से अधिक छात्रों के लिए पाठ्यक्रम सामग्री पहुंचाने के लिए पारंपरिक प्रशिक्षण पद्धतियों के स्थान पर एक विकल्प और पूरक के रूप में प्रारंभ किया गया । इसमें अध्यापन की नई प्रणालियों, विशेष रूप से तैयार पाठ्यक्रम सामग्री, मूल्यांकन उपकरणों, डिर्लीवरी के सुसज्जित माध्यमों और अधिकाधिक पहुंच को शामिल किया गया है । इसके अंतर्गत अध्यापन संस्थान की वेबसाइट पर प्रभावशाली वातावरण में आयोजित होगा । भारतीय विधि संस्थान के सूचीबद्ध अध्यापकों का एक नेटवर्क छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए उपलब्ध है । छात्र और अध्यापक पाठ्यक्रम के दौरान प्रायः संपर्क में रह

सकेंगे क्योंकि संप्रेषण ई-मेल द्वारा होगा ।

जिस किसी के भी पास कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा है, वह संस्थान के ई-लर्निंग कार्यक्रम का लाभ उठा सकता है । पाठ्यक्रम को चार भागों में बांटा गया है: (1) पेटेंट्स (2) कॉपीराइट एंड नेबरिंग राइट्स (3) ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडीकेशनस एंड डोमेन नेम्स (4) मैनेजमेंट आफ आईपीआर । पाठ्यक्रम की अवधि तीन माह है । रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 38 से 40 बैच (तीन बैच) संचालित किए गए और नामांकित उम्मीदवारों की कुल संख्या निम्नानुसार थी:-

44 <sup>वां</sup> बैच	31 अभ्यर्थी
44वां बैच	53 अभ्यर्थी
46वां बैच	51 अभ्यर्थी

डा. दीपा खरब, सहायक प्रोफेसर इस कार्यक्रम की समन्वयक थीं ।

## (ii) साईबर लॉ

आईपीआर पर ऑन लॉइन सर्टीफिकेट कोर्स की ही तरह से भारतीय विधि संस्थान ने वर्ष 2008-2009 में साईबर लॉ पर तीन महीने का कोर्स शुरू किया जिसे चार अध्यायों में विभाजित किया गया — (1) साईबर विश्व का परिचय (2) विधिक रीतियां (3) साईबर अपराध (4) ई-कामर्स एवं साईबर लॉ में आईपीआर । रिपोर्टाधीन अवधि में 27वें से 29वां बैच (3 बैच) सम्पन्न हुए । प्रत्येक बैच के लिए नामांकित अभ्यर्थियों की संख्या निम्नलिखित थी :—

33वां बैच	—	54 अभ्यर्थी
34वां बैच	—	96 अभ्यर्थी
35वां बैच	—	84 अभ्यर्थी

सुश्री आर्या ए. कुमार, सहायक प्रोफेसर इस कार्यक्रम की समन्वयक थी ।

## छ राज्य इकाई के कार्य-कलॉप

**“इवोल्यूशन आफ ड्यू प्रोसेस नार्म अंडर अमेरिकन लॉ: लेसन्स फार इंडियन ज्यूडिशियरी” पर गोष्ठी (06 मार्च, 2020)**



भारतीय विधि संस्थान की केरल राज्य इकाई और केरल उच्च न्यायालय अधिवक्ता एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से “इवोल्यूशन आफ ड्यू प्रोसेस नार्म अंडर अमेरिकन लॉ: लेसन्स फार इंडियन ज्यूडिशियरी” विषय पर उच्च न्यायालय के आडिटोरियम में दिनांक 06 मार्च, 2020 को गोष्ठी का आयोजन किया । पैनल के सम्मानित सदस्यों में माननीय न्यायमूर्ति मैथ्यू एफ. कूपर, न्यायाधीश, न्यूयार्क स्टेट सुप्रीम कोर्ट, माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती अनु शिवरमन, न्यायाधीश, केरल उच्च न्यायालय और प्रोफेसर (डा.) सी. राजकुमार, कुलाधिपति, ओ. पी. जिंदल ग्लोबल युनिवर्सिटी सम्मिलित थे ।



माननीय न्यायमूर्ति कूपर श्रोताओं को संबोधित करते हुए

माननीय न्यायमूर्ति कूपर ने यूएस संविधान के 14वें संशोधन पर विस्तारपूर्वक वर्णन किया, जिसमें “ड्यू प्रोसेस” (सम्यक् प्रक्रिया) और “इक्विल प्रोटेक्शन”

(समान संरक्षण) खंड अंतर्विष्ट थे और यह राय व्यक्त की कि यह संशोधन पूर्व में नागरिक अधिकारों से वंचित लोगों के लिए मूलभूत अधिकारों का विस्तार करने के लिए आवश्यक था, सम्यक् प्रक्रिया खंड का आत्म-अभिसंशान (सेल्फ इंक्रिमिनेशन), पुनरुत्पादक स्वायत्तता और समलैंगिक विवाह के विरुद्ध अधिकारों सहित कई मुद्दों पर अधिकारों की परिधि के विस्तार के लिए प्रयोग किया जा रहा है ।

### महिला दिवस समारोह (09 मार्च, 2020)

भारतीय विधि संस्थान की केरल राज्य इकाई और केरल फेडरेशन आफ वूमन लायर्स ने संयुक्त रूप से दिनांक 09 मार्च, 2020 को केरल उच्च न्यायालय के आडिटोरियम में महिला दिवस, 2020 का आयोजन किया । माननीय न्यायमूर्ति एस. मणिकुमार, केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने महिला दिवस पर संदेश दिया । अपने भाषण में माननीय मुख्य न्यायाधीश ने यूएन वुमेनस न्यू मल्टी-जनरेशनल अभियान के अनुरूप जेंडर एंड जनरेशनल इक्विलिटी के लिए आह्वान किया ।



श्रीमती एस. के. देवी, अध्यक्ष, महिला वकीलों की केरल फेडरेशन ने आरंभिक संबोधन किया और श्री आर. लक्ष्मी नारायण, अध्यक्ष, केरल उच्च न्यायालय अधिवक्ता एसोसिएशन ने बधाई संदेश दिया । माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा महिला वकीलों को सामाजिक और विधि के क्षेत्र में उनकी अनुकरणीय सफलता के लिए सम्मान प्रदान किया । इसके पश्चात् “इंफोर्समेंट आफ वूमनस राइट्स: चेलेंजेज एंड रिमेडिज” (महिला अधिकारों का प्रवर्तन: चुनौतियां और उपचार) विषय पर एक अत्यंत ज्ञानवर्धक पैनल

चर्चा हुई । पैनल के सम्मानित सदस्यों में माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती के. के. उषा, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, केरल उच्च न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती के. हेमा, भूतपूर्व न्यायाधीश, केरल उच्च न्यायालय थीं और श्रीमती पार्वती मेनन, अधिवक्ता भी चर्चा की संचालक थी ।

### “डिसाईफरिंग साइबर लॉज एंड इनफोर्समेंट” विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (18 जनवरी, 2020)

भारतीय विधि संस्थान की राज्य इकाई, चंडीगढ़ शाखा ने उच्च न्यायालय विधिक सेवाएं समिति के सहयोग से चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी, चंडीगढ़ में दिनांक 18 जनवरी, 2020 को “डिसाईफरिंग साइबर लॉज एंड इनफोर्समेंट” विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया । प्रशिक्षण कार्यक्रम विधिक सहायता देने वाले पैनल वकीलों की कुशलता में वृद्धि करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था । माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती दया चौधरी के कुशल मार्गदर्शन में कार्यपालक अध्यक्ष, भारतीय विधि संस्थान की राज्य इकाई के विशेषज्ञ सुश्री रीमा भंडारी और श्री मनीष मनोचा, दिल्ली ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों के साथ विचार-विमर्श किया ।

### “दि फ्रीडम टू एक्सप्रेस डिस्सेंट: ए ज्यूरिसप्रुडेंशियल अप्रोच” विषय पर लॉ लेक्चर (30 नवम्बर, 2019)







भारतीय विधि संस्थान की केरल राज्य इकाई ने विधिक शिक्षा और प्रबंध के सतत प्रोत्साहन के उद्देश्य से, व्याख्यानों की श्रृंखला में पहले व्याख्यान के रूप में एक विधि व्याख्यान (लॉ लेक्चर) का आयोजन किया। यह व्याख्यान “दि फ्रीडम टू एक्सप्रेस डिस्सेंट: ए ज्यूरिसप्रुडेंशियल अप्रोच” के महत्वपूर्ण विषय पर माननीय न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव, न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के आडिटोरियम में दिनांक 30 नवम्बर, 2019 को दिया।

माननीय न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव ने वाक् स्वातंत्र्य और विरोध जताने की स्वतंत्रता के विधिशास्त्रीय विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में एक रोचक वर्णन किया। उन्होंने “मार्किटप्लेस आफ आइडियाज” की धारणा को वाक् स्वातंत्र्य की चर्चा को समझाने के लिए उजागर किया और वाक् स्वातंत्र्य और विरोध जताने के अधिकार की संरक्षा के मानकों के विकास में अमेरिका के उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनाए गए मार्ग का उल्लेख किया। माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. मणिकुमार, मुख्य न्यायाधीश, केरल उच्च न्यायालय, जो भारतीय विधि संस्थान की केरल राज्य इकाई के अध्यक्ष भी हैं, ने आरंभिक संबोधन किया। माननीय न्यायमूर्ति ए. के. जयशंकरन नाम्बियार, न्यायाधीश, केरल उच्च न्यायालय और एकजीक्यूटिव काउंसिल मेम्बर, भारतीय विधि संस्थान की केरल राज्य इकाई द्वारा दिए गए संबोधन से इस कार्यक्रम का समापन हुआ।

## संविधान दिवस समारोह (26 नवम्बर, 2019)

भारतीय विधि संस्थान की केरल राज्य इकाई ने केरल राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सहयोग से केरल उच्च न्यायालय के आडिटोरियम में दिनांक 26 नवम्बर, 2019 को संविधान दिवस मनाया। माननीय न्यायमूर्ति एस. मणिकुमार, मुख्य न्यायाधीश, केरल उच्च न्यायालय, जो केरल राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के पेटर्न-इन-चीफ भी हैं, संविधान दिवस संदेश दिया। माननीय न्यायमूर्ति का संदेश हमारे संविधान की प्रस्तावना के प्राण और महत्व तथा उसमें अंतर्निहित बुद्धिमत्ता पर केंद्रित था।



माननीय न्यायमूर्ति सी. के. अब्दुल रहीम, जो केरल राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, द्वारा इस समारोह की अध्यक्षता की गई। अध्यक्षीय भाषण में उन सिद्धांतों को कायम रखने में, जो हमारे संविधान में सन्निविष्ट हैं, अधिवक्ताओं और न्यायालय की भूमिका पर बल दिया गया। माननीय न्यायमूर्ति ए. एम. शफ्फीक, कार्यकारी अध्यक्ष, भारतीय विधि संस्थान की केरल राज्य इकाई ने मुख्य संबोधन किया। माननीय न्यायमूर्ति ने अपने संबोधन में उन विभिन्न आशंकाओं के प्रति सचेत किया जिनका हमारे संविधान को समकालीन भारत में सामना करना पड़ रहा है।

श्री सी. पी. सुधरा प्रसाद, महाधिवक्ता, केरल, श्री सुनील जैकेब जोस, अध्यक्ष, केरल उच्च न्यायालय अधिवक्ता एसोसिएशन, श्रीमती एस. के. देवी, अध्यक्ष, केरल फेडरेशन आफ वूमेन लायर्स, ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री जार्ज चेरियन, एकजीक्यूटिव काउंसिल मेम्बर और श्री निसार अहमद के. टी., जिला न्यायाधीश और

सदस्य सचिव, केरल राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने भी इस समारोह में अपने विचार व्यक्त किए ।

### XIII. विशेष घटनाएं

#### संविधान दिवस समारोह (26 नवम्बर, 2019)



भारतीय विधि संस्थान ने दिनांक 26 नवम्बर, 2019 को संस्थान के प्लेनरी हाल में संविधान दिवस मनाया । एलएल. एम के छात्रों द्वारा इस अवसर पर संविधान में दिए गए मूल अधिकारों और कर्तव्यों का प्रस्तुतिकरण किया गया ।

#### स्वच्छ केम्पस रैंकिंग-2019



सरकार के स्वच्छता अभियान के रूप में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की स्वच्छता रैंकिंग की गई । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की अस्तित्व जांच करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया और इस कार्यक्रम के भागरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निरीक्षण दल ने दिनांक 02 सितम्बर, 2019 को संस्थान का दौरा किया और आधारभूत

सुविधाओं का अवलोकन और संस्थान के स्वास्थ्य मानदंडों का सत्यापन किया ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निरीक्षण दल में प्रोफेसर सत्यकेतु, हिन्दी विभाग, डा. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली, प्रोफेसर के. के. सक्सेना और डा. किशोर सिंह, सहायक आप्रेशन हेड (मेडिकल), लिवर और बायलरी विज्ञान संस्थान, वसंत कुंज, दिल्ली थे । इस दल ने भारतीय विधि संस्थान के परिसर की संपूर्ण स्वच्छता और सामान्य रखरखाव का निरीक्षण किया ।



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का दल भारतीय विधि संस्थान के छात्रों से विचार-विमर्श करते हुए

स्वच्छता रैंकिंग कार्यक्रम के भाग के रूप में, डा. अजय कुमार वर्मा, उप रजिस्ट्रार, भारतीय विधि संस्थान, श्री दीपक पाराशर, एलएल.एम छात्र, श्री नितिन बंसल, पुस्तकालय सहायक, श्री प्रदीप शर्मा, उच्च श्रेणी लिपिक, श्री गोपाल, श्री तिलक राम, एमटीएस, भारतीय विधि संस्थान ने दिनांक 16 सितम्बर, 2019 को गांव सिरसा, ग्रेटर नोएडा का भ्रमण किया । वे स्वच्छता, साक्षरता और आधाभूत सुविधाओं तथा स्वास्थ्य सुविधाओं, पेय जल, बिजली, सड़क, लैंगिक मुद्दों, पर्यावरण से संबंधित मुद्दों आदि के बारे में गांव के स्थानीय लोगों अर्थात् चौधरी प्रकाश भाटी से मिले । प्रधान चौधरी प्रकाश ने अपने निवास पर इस दल का स्वागत किया, जहां उपयोगी चर्चा हुई ।



ग्रामीणों के साथ दल के सदस्य

### योग दिवस समारोह

दिनांक 21 जून, 2019 को भारतीय विधि संस्थान में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। भारतीय विधि

संस्थान के निदेशक, प्रोफेसर मनोज कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में एक योग अभ्यास सत्र का आयोजन किया गया जिसमें संस्थान के कर्मचारियों ने भाग लिया और योग आसनों का अभ्यास किया।



भारतीय विधि संस्थान में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह

## XIV. संकाय कार्यकलाप

### प्रो.(डा.) मनोज कुमार सिन्हा, निदेशक, भारतीय विधि संस्थान

- \* प्रो.(डा.) मनोज कुमार सिन्हा, निदेशक, भारतीय विधि संस्थान को वर्चुअल लॉ स्कूल द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2020 को आयोजित वर्चुअल लॉ स्कूल के उद्घाटन समारोह में विशेष संबोधन करने के लिए मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।
- \* उन्होंने दिनांक 03 मार्च, 2020 को विधि संकाय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक द्वारा रिसर्च मैथाडोलॉजी पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के प्रतिभागियों को “रिसर्च डिजाइन: फोर्मेशन, कम्पोजेंट्स एंड स्ट्रक्चर” विषय पर एक वक्तव्य दिया।
- \* नालसा, नई दिल्ली द्वारा नालसा के इंटर्नस के लिए आयोजित “एक्सेस टू जस्टिस” विषय पर दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 को एक वक्तव्य दिया।
- \* इंडियन सोसाइटी आफ इंटरनेशनल लॉ द्वारा

आयोजित “डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्रस्पेक्टिव्स” पर रिसर्च मैथाडोलॉजी पर दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 को उद्घाटन संबोधन देने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।

- \* जेईएमटीईसी स्कूल आफ लॉ, ग्रेटर नोएडा द्वारा आयोजित “लीगल रिसर्च इन कंटेम्परेरी एरिया” दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 को एक वक्तव्य दिया।



प्रो.(डा.) मनोज कुमार सिन्हा का बार एसोसिएशन आफ इंडिया द्वारा स्वागत करते हुए



- \* बार एसोसिएशन आफ इंडिया ने दिनांक 3 दिसम्बर, 2019 को अपना साठवां स्थापना दिवस मनाया। बार एसोसिएशन आफ इंडिया वार्षिक रूप से 03 दिसम्बर को “लायर्स आफ इंडिया डे” के रूप में मनाता है। प्रोफेसर (डा.) मनोज कुमार सिन्हा, निदेशक, भारतीय विधि संस्थान को विधि शिक्षा और मानव अधिकारों के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना करते हुए बधाई दी गई।
- \* मोदी युनिवर्सिटी, लक्ष्मणनगर, राजस्थान द्वारा आयोजित “वूमेन इम्पावरमेंट, जेंडर जस्टिस एंड रोल आफ लॉ - इनइक्वेलिटिज री-इक्जामिन्ड (एन इंडियन प्रेस्पेक्टिव)” विषय पर 29 नवम्बर, 2019 को वक्तव्य देने के लिए मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया।
- \* उन्होंने साइबर लॉज एंड पवन दुग्गल एसोसिएट्स, नई दिल्ली द्वारा आयोजित साइबर लॉ पर एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में “इंटरनेशनल इनिशियेटिव्स एंड साइबर कोऑपरेशन मकेनिज़म इन रेगुलेटिंग साइबर क्राइम्स” विषय पर दिनांक 22 नवम्बर, 2019 को एक वक्तव्य दिया।
- \* निरमा युनिवर्सिटी, अहमदाबाद में इंटरनेशनल ह्यूमनीटेरियन एंड रिफ्यूजी लॉज पर आठवीं आईएलएनयू छात्र राष्ट्रीय संगोष्ठी के प्रतिभागियों को दिनांक 13 नवम्बर, 2019 को उद्घाटन संबोधन देने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।
- \* रूल आफ लॉ सोसाइटी, नई दिल्ली द्वारा आयोजित “वाटर विजडम: इसूज एंड चेलेंजिज” विषय पर वक्तव्य देने के लिए मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।
- \* नोएडा इंटरनेशनल युनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा द्वारा आयोजित द्वितीय मूट कोर्ट कम्पीटिशन के दिनांक 13 सितम्बर, 2019 को विदाई समारोह में मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।
- \* नवादा विधि महाविद्यालय द्वारा आयोजित “एब्रोगेशन आफ आर्टिकल 370 इसूज एंड चेलेंजिज” विषय पर दिनांक 7 सितम्बर, 2019 को वक्तव्य देने के लिए मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।
- \* नोलिज स्टीज द्वारा ह्यूमन राइट्स और आईपीआर पर आयोजित तृतीय वर्ल्ड कांग्रेस के उद्घाटन समारोह में दिनांक 4 अगस्त, 2019 को मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।
- \* विधि विभाग, कर्णावती युनिवर्सिटी, अहमदाबाद के नए शैक्षणिक सत्र के उद्घाटन समारोह में संबोधन करने के लिए दिनांक 29 जुलाई, 2019 को मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।
- \* शारदा युनिवर्सिटी द्वारा आयोजित फैकल्टी डिवेलेपमेंट प्रोग्राम के प्रतिभागियों को दिनांक 20 जुलाई, 2019 को विदाई संबोधन देने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।
- \* एलएनजेएन नेशनल इंस्टीच्यूट आफ क्रिमिनॉलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंसिज द्वारा न्यायिक और पुलिस अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का दिनांक 15 जुलाई, 2019 को उद्घाटन करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।
- \* नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, दिल्ली द्वारा एप्लाइड रिसर्च मेथाडोलॉजी पर कपेसिटी डेवेलपमेंट प्रोग्राम के प्रतिभागियों के लिए रिसर्च मेथाडोलॉजी पर दिनांक 23 मई, 2019 को वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया।
- \* इंदोर इंस्टिट्यूट आफ लॉ, इंदोर द्वारा प्रथम निर्मला देवी बाम मैमोरियल मूट श्कोर्ट कम्पीटिशन के उद्घाटन समारोह में दिनांक 10 मई, 2019 को मानित अतिथि के रूप में



आमंत्रित किया गया ।


- \* डीएमई कालेज, नोएडा द्वारा “रिसर्च एट डीएमई 2018” शीर्षक की पुस्तक का विमोचन करने के लिए आयोजित समारोह में दिनांक 29 अप्रैल, 2019 को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया ।
- \* युनिवर्सिटी लॉ कालेज, उत्कल युनिवर्सिटी, भुवनेश्वर द्वारा “दि ग्लोबल रिफ्यूजी क्राइसिस: ए मल्टी डिसिप्लिनरी ह्यूमनीटेरियन अप्रोच” विषय पर आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय उद्घाटन समारोह में दिनांक 27-28 अप्रैल, 2019 को महत्वपूर्ण वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया ।
- \* यूएनडीपी द्वारा स्कूल आफ लॉ, बेनेट युनिवर्सिटी और नेशनल लॉ स्कूल आफ इंडिया युनिवर्सिटी, बंगलुरु के सहयोग से आयोजित बायोलाजिकल डायवर्सिटी लॉज इन इंडिया विषय पर दिनांक 25-26 अप्रैल, 2019 को दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया ।
- \* फोरन सर्विस इंस्टीच्यूट, विदेश कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली में मोरक्को और सेनेगल से डिप्लोमेट्स के लिए दिनांक 25 अप्रैल, 2019 को “रोल एंड रिलेशनशीप आफ इंटरनेशनल लॉ विद डिप्लोमेसी” विषय पर वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
- \* प्रोफेसर रोनाल्ड डोरकिन स्टडी सर्किल, नई दिल्ली द्वारा आयोजित न्यायमूर्ति ए. के. सिकरी के सम्मान में आयोजित सम्मान समारोह में संबोधन करने के लिए दिनांक 16 अप्रैल, 2019 को मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया ।
- \* एमिटि लॉ स्कूल द्वारा आयोजित ह्यूमन राइट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस विषय पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार में दिनांक 13 अप्रैल, 2019 को मानित अतिथि के रूप में

आमंत्रित किया गया ।

- \* स्कूल आफ लॉ, अंसल युनिवर्सिटी, गुरुग्राम द्वारा आयोजित तीसरी अंसल मूट कोर्ट प्रतियोगिता में दिनांक 6 अप्रैल, 2019 को मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया ।
- \* राजधानी कालेज, नई दिल्ली के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में दिनांक 5 अप्रैल, 2019 को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया ।
- \* आईएनएमएएनटीईसी और सुभारती युनिवर्सिटी, गाजियाबाद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित मूट कोर्ट प्रतियोगिता के अंतिम दौर में दिनांक 01 अप्रैल, 2019 को निर्णायक के रूप में आमंत्रित किया गया ।

### प्रो. (डा.) शिवकुमार, प्रोफेसर

- \* प्रो. (डा.) शिवकुमार, प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान ने चुलालोंगकोर्न युनिवर्सिटी, फैंकेल्टी आफ लॉ, थाईलैंड द्वारा आयोजित 15वें कोरिया लेजिसलेशन रिसर्च इंस्टीच्यूट (केएलआरआई) - एएलआईएन जनरल मीटिंग एंड इंटरनेशनल कांफ्रेंस में दिनांक 27-29 अगस्त, 2019 के दौरान भाग लिया और उन्होंने एएलआईएन को सभी सदस्य संगठनों की सहभागिता के द्वारा मजबूत करने के बारे में वक्तव्य दिया । उन्होंने ‘भारत से संबंधित विधि में हाल ही में हुए पांच परिवर्धनों पर विधायी समाचार’ देने में सहयोग किया । आम सभा में भारतीय विधि संस्थान को नई दिल्ली में 2022 की एएलआईएन जनरल मीटिंग और इंटरनेशनल कांफ्रेंस आयोजित करने का कार्य सौंपने का विनिश्चय किया गया ।



- पेडागोजिकल टूल्स फार इंस्योरिंग गुड गवर्नेंस” विषय पर एक दस्तावेज प्रस्तुत किया।

- \* उन्होंने जाम्बिया इंस्टिट्यूट आफ एडवांस्ड लीगल ऐजुकेशन (जेडआईएएलई) लुसाका की मेजबानी में दिनांक 3-5 अप्रैल, 2019 को कामनवेल्थ लीगल ऐजुकेशन एसोसिएशन (सीएलईए) कांफ्रेंस में “लॉ रिफार्म इन कामनवेल्थ नेशन्स: नीड फार कामनवेल्थ कोआपरेशन इन दि ईरा आफ ग्लोबेलाइजेशन फार एन इफेक्टिव गवर्नेंस” विषय पर उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की और एक दस्तावेज प्रस्तुत किया।



- \* प्रो. एस. शिवकुमार ने लिविंगस्टोन जाम्बिया में कामनवेल्थ लॉ कांग्रेस 2019 में माननीय पटरिसिया स्काटलैंड, सचिव जनरल, कामनवेल्थ आफ नेशन्स और श्री शांताकृष्णन, अध्यक्ष, कामनवेल्थ लीगल ऐजुकेशन एसोसिएशन की मौजूदगी में जाम्बिया के राष्ट्रपति माननीय ईडग्वर लुंगु का स्वागत किया।

پرو. (ڈا.) فخرکان اہماد، پروفیسر

- \* प्रो. फुरकान अहमद, प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान ने दिल्ली न्यायिक अकादमी में दिनांक 6 अप्रैल, 2019 को “ कोर कम्पीटेंस कांफ्रेंस आन स्ट्रेंथिंग आफ जस्टिस डिलिवरी सिस्टम थ्रु इंटीग्रेशन आफ नोलिज, स्कील एंड एप्टीटयुड इन एडजुडिकेशन”

विषय पर एक व्याख्यान दिया और आयोजकों तथा प्रतिभागियों द्वारा बहुत अधिक सराहना की गई।

### डा. अनुराग दीप, एसोसिएट प्रोफेसर

- \* प्रो. अनुराग दीप, एसोसिएट प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान ने प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए भारतीय विधि संस्थान और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा 'ह्यूमन राइट्स: इसूज एंड चैलेंजिज' विषय पर संयुक्त रूप से आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक 22 सितम्बर, 2019 को स्क्रीमिनल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स विद स्पेशल रिफ्रेश टू बर्डन एंड स्ट्रैड्स आफ प्रूफ- पर एक व्याख्यान दिया।
- \* उन्होंने सेंटर फार प्रोफेशनल डेवलेपमेंट इन हायर एजुकेशन (सीपीडीएचई), यूजीसी-एचआरडीसी, दिल्ली विश्वविद्यालय में दिनांक 16 जुलाई, 2019 और 22 जुलाई, 2019 को 'लॉ आफ सेडिशन इन इंडिया एंड फ्री स्पीच' और लॉ आफ सेडिशन एंड कम्परेटिव कामन लॉ जुरिस्ट्रिक्शन' विषयों पर दो व्याख्यान दिए।
- \* उन्होंने इंडियन सोसाइटी आफ इंटरनेशनल लॉ, नई दिल्ली में दिनांक 4-5 मई, 2019 को आयोजित 48वीं वार्षिक कांफ्रेंस में "क्रिमिनलाइजेशन आफ मेम्बरशीप आफ टेरोरिस्ट आर्गनाइजेशन एंड दि इंडियन सुप्रीम कोर्ट: कैन दि यूएसए मॉडल बी एप्लीकेबल" विषय पर एक दस्तावेज प्रस्तुत किया।

### डा. ज्योति डोगरा सूद, एसोसिएट प्रोफेसर

- \* डा. ज्योति डोगरा सूद, एसोसिएट प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान ने भारतीय विधि संस्थान में दिनांक 15 मार्च, 2011 को न्यायिक अधिकारियों के लिए ह्यूमन राइट्स: इसूज एंड चैलेंजिज विषय पर दो दिवसीय संवेदीकरण कार्यक्रम में "क्रिमिनल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स" विषय पर न्यायिक

अधिकारियों को संबोधित किया।

- \* उन्होंने भारतीय विधि संस्थान द्वारा दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सहयोग से संजय कालोनी, चाणक्यपुरी, दिल्ली में दिनांक 12-18 दिसम्बर, 2019 को विधिक जागरूकता (लीगल अवेयरनेस) पर आयोजित एक दिवसीय कार्यक्रम का समन्वय भी किया।
- \* उन्हें दिनांक 30 नवम्बर, 2019 को बिहार न्यायिक अकादमी में यूनिसेफ द्वारा समर्थित पटना उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति द्वारा आयोजित क्वालिटी केयर एंड लिंकेज विद फैमली बेस्ड आल्टरनेटिव केयर पर ध्यान केंद्रित करते हुए ज्यूनाईल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रन) ऐक्ट, 2015 के प्रभावी क्रियान्वयन पर राज्य मंत्रणा में एक रिसोर्स पर्सन के रूप में आमंत्रित किया गया।
- \* उन्होंने आर. वी. इंस्टिट्यूट आफ लीगल स्टडीज, बंगलुरु के एलएल.बी छात्रों को दिनांक 18 नवम्बर, 2019 को "ह्यूमन राइट्स एंड ज्यूनाईल जस्टिस" (मानव अधिकार और किशोर न्याय) विषय पर एक व्याख्यान दिया और उन्होंने युनिवर्सिटी लॉ कालेज, बंगलोर युनिवर्सिटी में एलएल.एम छात्रों को "क्रिमिनल लॉ एंड जुविनाईल जस्टिस" (दांडिक विधि और किशोर न्याय) विषय पर भी एक विशेष व्याख्यान दिया। उन्होंने डिपार्टमेंट आफ फोरेंसिक साइंस, बंगलोर युनिवर्सिटी के छात्रों को दिनांक 19 नवम्बर, 2019 को "क्रिमिनल लॉ इन फोरेंसिक साइंस" (न्यायालयिक विज्ञान में दांडिक विधि) विषय पर भी एक विशेष व्याख्यान दिया। उन्होंने दिल्ली न्यायिक अकादमी में दिनांक 22 नवम्बर, 2019 को प्रधान मजिस्ट्रेट, जेजेबी और अन्य हितधारकों के सामर्थ्य निर्माण के लिए कांफ्रेंस में "जुविनाईल जस्टिस: इंटरनेशनल एंड डोम्सटिक फ्रेमवर्क" विषय पर प्रतिभागियों को संबोधित भी किया।
- \* उन्होंने भारतीय विधि संस्थान में दो कार्यक्रमों

अर्थात् ‘स्टेट कंस्लटेशन - स्ट्रेंथनिंग लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल मेकनीजम टू ऐंड चाइल्ड मैरिज इन दिल्ली’ (दिल्ली में बाल विवाह की समाप्ति के लिए विधिक और संस्थागत कियाविधि को सुदृढ़ करने के लिए राज्य मंत्रणा) विषय पर दिनांक 19 सितम्बर, 2019 को और ‘एक्सप्लोरिंग डिसेबिलिटी राइट्स प्राडिगम’ पर दिनांक 28 सितम्बर, 2019 को दो कार्यक्रमों का समन्वय किया ।

- \* उन्होंने प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए भारतीय विधि संस्थान और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा ‘ह्यूमन राइट्स: इसूज एंड चैलेंजिज’ विषय पर संयुक्त रूप से आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक 22 सितम्बर, 2019 को ‘क्रिमिनल प्रोटेक्शन आफ ह्यूमन राइट्स आफ दि ज्यूनाईल्स विज-ए-विज दि ज्यूनाईल जस्टि स (केयर एंड प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रन) ऐक्ट, 2015’ पर एक व्याख्यान भी दिया ।
- \* उन्होंने ‘नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसिज ऐक्ट, 1985’ (स्वापक ओषधी और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985) पर बिहार न्यायिक अकादमी, पटना में दिनांक 7 सितम्बर, 2019 को ‘आवेरवियू आफ दि फंग्सनिंग आफ एनडीपीएस ऐक्ट, 1985’ पर दो दिवसीय सेमिनार में एक व्याख्यान दिया ।
- \* उन्होंने किशोर गृहों और स्वास्थ्य सेक्टर में काम करने वाले पदधारियों के लिए “ह्यूमन राइट्स: इसूज एंड चैलेंजिज” भारतीय विधि संस्थान और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2019 को संयुक्त रूप से आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में ‘राइट्स आफ दि ज्यूनाईल्स: इसूज एंड चैलेंजिज’ विषय पर एक व्याख्यान भी दिया ।
- \* उन्होंने दिल्ली न्यायिक अकादमी द्वारा आयोजित इंटीग्रेशन आफ नालेज, स्किल एंड

प्रेस्पेक्टिव डेवलपमेंट पर एक कांफ्रेंस में दिनांक 3 मई, 2019 को न्यायिक अधिकारियों को ‘जुरिसडिक्शन आफ स्पेशल चिल्ड्रन कोर्ट’ विषय पर एक विशेष व्याख्यान भी दिया।

## डा. दीपा खरब, सहायक प्रोफेसर

- \* डा. दीपा खरब ने दिनांक 28 जनवरी, 2020 को भारतीय विधि संस्थान में ‘डिस्सर्टेशन राइटिंग’ पर एक दिवसीय लीगल रिसर्च मेथोडोलॉजी कार्यशाला में मेंटर-मेंटी रिलेशनशीप विषय पर एक सत्र में व्याख्यान दिया ।
- \* उनका “पेटेंट प्रोविजन्स इन मेगा-रिजनल प्रिफेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स: पब्लिक हेल्थ इम्प्लीकेशन्स फार डेवलेपिंग कंट्रीज” शीर्षक पर शोध-पत्र आईएलआईएलआर के ग्रीष्मकालीन अंक, 2019 में प्रकाशित हुआ ।
- \* उन्हें इलैक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सीडीएसी के सहयोग से मोबाइल एप्स/डिवाइसिज से प्राइवसी ब्रिच से संबंधित मुद्दों के लिए एक रिसर्च कार्य सौंपने के लिए आमंत्रित किया । “स्टडी एंड एनालाईसिस आफ इसूज रिलेटिड टू मालिसियस कंटेंट इन सोशल मीडिया एंड प्रोपोजिंग ए ड्राफ्ट लेजिसलेशन” (सोशल मीडिया में विद्वेषपूर्ण सामग्री से संबंधित मुद्दों का अध्ययन और विश्लेषण करने के लिए और प्रारूप विधान प्रस्तावित करने के लिए) शीर्षक पर एक रिसर्च प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया और वित्तीय विवरणी के साथ इलैक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया । प्रस्ताव अनुमोदन के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति को भेजा गया ।
- \* उन्होंने दिनांक 30 सितम्बर, 2019 को हरियाणा इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्र



- ेशन (हिपा), गुरुग्राम में दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के आईटीएस और पी एंड टी बीडब्ल्यूएस ग्रुप 'ए' के आफिसर ट्रेनी के लिए दिनांक 29 जुलाई, 2019 से 8 नवम्बर, 2019 तक आयोजित फाउंडेशन कोर्स में "एफडीआई पालिसी, ऐक्ट्स एंड रेगुलेशन" पर एक व्याख्यान दिया ।
- \* उन्हें एसजीटी युनिवर्सिटी, गुरुग्राम के विधि संकाय में एमर्जिंग ट्रेड्स इन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, इवायरमेंटल लॉ, क्रिमिनल लॉ, वुमेन एंड लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रापर्टी राइट्स, फैमिली लॉ एंड इंटरनेशनल ट्रेड लॉ पर दिनांक 19 और 20 दिसम्बर, 2019 को आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के लिए रिसोर्स पर्सन के रूप में आमंत्रित किया गया । उन्होंने "एमर्जिंग ट्रेड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ" पर दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 को दो घंटे के सत्र में व्याख्यान दिया ।
- \* उन्होंने दिनांक 5 जुलाई, 2019 को सीबीआई एकेडमी, गाजियाबाद में दिनांक 01 मई, 2019 से इंस्पेक्टर से लेकर डीआईजी के लिए तथा सीबीआई के एपीपी से लेकर एएलए और राज्य पुलिस के लिए संचालित "साइबर लॉ" पर पांच दिवसीय कोर्स में "इंटेलेक्चुअल प्रापर्टी राइट्स इन डिजिटल मिडियम" विषय पर तीन सत्रों में व्याख्यान दिए ।
- \* उन्होंने दिनांक 10 जुलाई, 2019 को हरियाणा इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (हिपा), गुरुग्राम में दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के आईटीएस और पी एंड टी बीडब्ल्यूएस ग्रुप 'ए' के आफिसर ट्रेनी के लिए दिनांक 08 अप्रैल, 2019 से 19 जुलाई, 2019 तक आयोजित फाउंडेशन कोर्स में "एफडीआई पालिसी, ऐक्ट्स एंड रेगुलेशन" पर एक व्याख्यान दिया ।

## XV. सेवानिवृत्ति

प्रोफेसर फुरकान अहमद भारतीय विधि संस्थान में लगभग 31 वर्षों तक सफलतापूर्वक सेवा करने के पश्चात् दिनांक 30 जून, 2019 को सेवानिवृत्त हुए ।

## XVI. आगामी क्रियाकलाप

### एलएल. एम. और स्नातकोत्तर डिप्लोमा परीक्षाएं

स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाएं माह अप्रैल, 2020 में प्रारंभ होंगी और समेस्टर अंत एलएल. एम. परीक्षाएं माह मई, 2020 से प्रारंभ होना तय किया गया है ।

### भावी प्रकाशन

भारतीय विधि संस्थान की पत्रिका (जर्नल आफ दि इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट)

- खंड 62 (2) ( अप्रैल - जून, 2020)
- खंड 62 (3) ( जुलाई - सितम्बर 2020)

- खंड 62 (4) (अक्टूबर - दिसम्बर, 2020)
- खंड 63 (1) (जनवरी- मार्च, 2021)

### भारतीय विधि संस्थान समाचार पत्रक

- खंड XXII सं. 2 (अप्रैल - जून, 2020)
- खंड XXII सं. 3 (जुलाई - सितम्बर, 2020)
- खंड XXII सं. 4 (अक्टूबर - दिसम्बर, 2020)
- खंड XXIII सं. 1 (जनवरी - मार्च, 2021)
- ऐन्युअल सर्वे आफ इंडियन लॉ - 2019
- इंडेक्स टू इंडियन लीगल पीरियोडिकल्स - 2017 और 2018

### पुस्तकें :

- लीगल रिसर्च एंड राइटिंग: न्यू प्रस्पेक्टिव
- ह्यूमन राइट्स आफ दि स्पेशल ग्रुप्स

### दाखिले

पीएच.डी. / एलएल.एम. / स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (2020-2021) बैचों के लिए दाखिला प्रक्रिया 20 जुलाई, 2020 से आरंभ होगी ।

### प्रस्तावित ढांचागत विकास

संस्थान निम्नलिखित ढांचागत और आईटी विकास कार्य के लिए योजना बना रहा है -

- \* पानी की टैंकियों, सर्वर रूप का नवीनीकरण
- \* अग्निशमन व्यवस्था और सौर उर्जा व्यवस्था का संस्थापना करना
- \* स्टोरेज एरिया नेटवर्क और इसके सहायक उपकरणों का उपापन

- \* विडियो कांफ्रेंसिंग सिस्टम का उपापन और प्लेनरी हाल के लिए पीए व्यवस्था
- \* संस्थान के एलएएन और वाई-फाई नेटवर्क की पुनःसंरचना
- \* साफ्टवेयर (विंडोज सर्वर 2019, विंडोज 10 और एमएस आफिस 2019)
- \* कस्टमाइज्ड केम्पस मनेजमेंट सोफ्टवेयर के उपापन के लिए प्रस्ताव
- \* संस्थान की वेबसाइट की पुनःसंरचना और अपग्रेडेशन।

## भारतीय विधि संस्थान की गवर्निंग कौंसिल के सदस्यों की सूची

### अध्यक्ष

- माननीय न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे  
भारत के मुख्य न्यायमूर्ति  
भारत का उच्चतम न्यायालय  
नई दिल्ली ।

### उपाध्यक्ष

- श्री रवि शंकर प्रसाद  
विधि और न्याय मंत्री,  
भारत सरकार  
नई दिल्ली ।

### कोषाध्यक्ष

- माननीय न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव,  
न्यायाधीश,  
भारत का उच्चतम न्यायालय,  
नई दिल्ली ।

### सदस्यगण

- माननीय न्यायमूर्ति सूर्य कांत  
न्यायाधीश,  
भारत का उच्चतम न्यायालय  
नई दिल्ली ।
- अध्यक्ष,  
भारत का विधि आयोग  
नई दिल्ली ।
- माननीय न्यायमूर्ति ए. एम. सपरे,  
भूतपूर्व न्यायाधीश,  
भारत का उच्चतम न्यायालय  
नई दिल्ली ।
- भारत के अर्टनी जर्नल  
उच्चतम न्यायालय  
नई दिल्ली ।
- भारत के महा सालिसिटर  
उच्चतम न्यायालय  
नई दिल्ली ।

9. श्री संजय जैन  
भारत के भूतपूर्व अपर महा सालिसीटर  
उच्चतम न्यायालय  
नई दिल्ली ।
10. अध्यक्ष,  
इंडियन सोसायटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ,  
नई दिल्ली ।
11. सचिव,  
विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा  
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,  
भारत सरकार  
नई दिल्ली ।
12. सभापति,  
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  
बहादुर शाह जफर मार्ग  
नई दिल्ली
13. प्रो. रणबीर सिंह,  
वाइस चांसलर  
नेशनल लॉ युनिवर्सिटी
14. प्रो. पी. एस. जसवाल,  
वाइस चांसलर  
नेशनल लॉ युनिवर्सिटी,  
पटियाला, पंजाब ।
15. श्री ई. सी. अग्रवाल,  
अधिवक्ता  
भारत का उच्चतम न्यायालय  
नई दिल्ली ।
16. प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा  
निदेशक, भारतीय विधि संस्थान

### सचिव

17. श्री श्रीनिवास चन्द्र प्रुष्टी  
रजिस्ट्रार, भारतीय विधि संस्थान भवन



## सदस्य - कार्यकारी समिति

### अध्यक्ष

- माननीय न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे  
भारत के मुख्य न्यायमूर्ति  
भारत का उच्चतम न्यायालय  
नई दिल्ली ।

### उपाध्यक्ष

- श्री रवि शंकर प्रसाद  
विधि और न्याय मंत्री,  
भारत सरकार  
नई दिल्ली ।

### कोषाध्यक्ष

- माननीय न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव,  
न्यायाधीश,  
भारत का उच्चतम न्यायालय  
नई दिल्ली ।

### सदस्यगण

- माननीय न्यायमूर्ति संजय किशन कौल,  
न्यायाधीश,  
भारत का उच्चतम न्यायालय  
नई दिल्ली ।
- सचिव,  
विधिक मामले विभाग  
विधि और न्याय मंत्रालय,  
भारत सरकार,  
नई दिल्ली ।
- सचिव,  
व्यय विभाग  
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार  
नई दिल्ली ।
- सभापति-या सभापति का नामनिर्देशिती,  
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  
नई दिल्ली ।

- प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा,  
निदेशक,  
भारतीय विधि संस्थान ।

### सचिव

- श्री श्रीनिवास चंद्र प्रुष्टी,  
रजिस्ट्रार  
भारतीय विधि संस्थान ।

## भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली

### सदस्य सूची - शैक्षणिक परिाद्

#### अध्यक्ष

- माननीय न्यायमूर्ति यू. यू. ललित  
न्यायाधीश  
भारत का उच्चतम न्यायालय  
नई दिल्ली ।

#### सदस्यगण

- प्रो. जी. मोहन गोपाल  
भूतपूर्व निदेशक, एनजेए एवं एनएलएसआईयू  
सभापति, एनसीएमएस समिति  
भारत का उच्चतम न्यायालय  
नई दिल्ली।
- प्रो. अफजल एम. वाणी  
प्रोफेसर, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ युनिवर्सिटी
- प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा  
निदेशक, भारतीय विधि संस्थान
- प्रो. (डा.) एस. शिवकुमार  
प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान
- डा. ज्योति डोगरा सूद  
एसोसिएट प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान
- डा. दीपा खरब  
सहायक प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान

#### सचिव

- श्री श्रीनिवास चन्द्र प्रुटी  
रजिस्ट्रार, भारतीय विधि संस्थान भवन

## भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली

### सदस्य सूची - वित्त समिति

#### अध्यक्ष

- माननीय न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव  
न्यायाधीश  
भारत का उच्चतम न्यायालय

#### सदस्यगण

- शासी परिषद् से नामनिर्देशिति
- सचिव,  
विधि और न्याय मंत्रालय,
- सचिव,  
वित्त मंत्रालय
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से नामनिर्देशिती
- प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा  
निदेशक, भारतीय विधि संस्थान

#### सचिव

- श्री श्रीनिवास चंद्र प्रुटी  
रजिस्ट्रार, भारतीय विधि संस्थान





# भारतीय विधि संस्थान

वार्षिक वित्तीय विवरणी  
वित्तीय वर्ष 2019-20

ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कं.  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
गांधी पीस फाउंडेशन केम्पस  
221-223, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग  
नई दिल्ली-110002

ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एवं कं.  
सनद लेखाकार,  
नई दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई  
पटना और चंडीगढ़

221-223, दीन दयाल मार्ग, नई दिल्ली-11001  
दूरभाष : 91-11-23236958-60, 23237772  
फैक्स : 91-11-23230831  
ई मेल : tvande@rediffmail.com  
: tvandeca@gmail.com

## अंकेक्षक का स्वतंत्र प्रतिवेदन

शासी परिषद,  
भारतीय विधि संस्थान,  
भगवान दास रोड,  
नई दिल्ली - 110001

हमने भारतीय विधि संस्थान की सलंगन वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2020 तक का तुलन-पत्र और समाप्ति वर्ष की आय और व्यय विवरणी तथा वित्तीय विवरणियों पर टिप्पण सहित महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियां और अन्य स्पष्टीकारक जानकारी समाविष्ट है।

हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, संस्थान का सलंगन वित्तीय विवरण लेखा-संबंधी नीति और लेखाओं पर टिप्पणों के साथ पठित लागू विधियों के अनुसार अपेक्षित रीति में तथा भारत में साधारणतया स्वीकृत अन्य लेखा-संबंधी सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित दृष्ट्यावलोकन के लिए तैयार किया गया है।

### राय का आधार

हमने लेखा परीक्षण के मानकों के अनुरूप अंकेक्षण किया है। उन मानकों के अधीन हमारा अतिरिक्त उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण में अंकेक्षण के लिए अंकेक्षक का उत्तरदायित्व वाले भाग में वर्णित किया गया है। हम भारत के सनद लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई नीति-संहिता के साथ-साथ उन नीति संबंधी अपेक्षाओं के अनुसार संगठन से स्वतंत्र हैं जो अधिनियम के उपबंधों के अधीन वित्तीय विवरण के अंकेक्षण के लिए सुसंगत हैं और हमने इन अपेक्षाओं और नीति-संहिता के अनुसार अपने अन्य नीति-संबंधी उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि जो अंकेक्षण साक्ष्य हमने प्राप्त किया है वह हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और समुचित है।

### वित्तीय विवरण के प्रति प्रबंधन का उत्तरदायित्व

संस्थान का प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए लागू विधियों के अनुसार और ऐसे आंतरिक नियंत्रण, जो प्रबंधन ऐसा वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए समर्थ बनाने हेतु आवश्यक होना अवधारित करता है और जो तात्त्विक गलत-विवरण से मुक्त है, चाहे यह कपट या त्रुटि के कारण हो और वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखा संबंधी सिद्धांतों, जिसमें लेखा संबंधी मानक भी हैं, के अनुसार सही और उचित दृष्टिकोण देता हो, के लिए उत्तरदायी है। वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए, प्रबंधन एक चालू समुत्थान के रूप में जारी रहने के लिए सत्ता के सामर्थ्य का अवधारण करने, चालू समुत्थान से संबंधित

उन विषयों को प्रकट करने, जो लागू हों, और चालू समुत्थान द्वारा तब तक लेखा के आधार का प्रयोग करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक प्रबंधन का या तो सत्ता का परिसमापन करने का या प्रचालन बंद करने का आशय न हो या ऐसा करने का वास्तविक अनुकूल्य न हो। जिन पर शासन का प्रभार है, उनका सत्ता की वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का निरीक्षण करने का उत्तरदायित्व है।

### वित्तीय विवरणों के अंकक्षण के लिए अंकक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप में तात्त्विक गलत विवरण से मुक्त है या नहीं, चाहे यह कपट या गलती के कारण हो और अंकक्षक की एक ऐसी रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय सम्मिलित हो। युक्तियुक्त आश्वासन एक उच्च कोटि का आश्वासन है, किंतु यह एक ऐसी गारंटी नहीं है कि नीति-मानकों के अनुसार किए गए अंकक्षण से सदैव तात्त्विक गलत विवरण का पता लग जाएगा जब यह विद्यमान हो। गलत विवरण कपट या गलती से उद्भूत हो सकता है और इसे तब तात्त्विक समझा जाता है यदि व्यक्तिगत तौर पर या कुल मिलाकर उनसे युक्तियुक्त रूप से प्रयोक्ता के इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक विनिश्चयों को प्रभावित करने की प्रत्याशा की जा सके।

नीति-मानकों के अनुसार अंकक्षण के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय का प्रयोग करते हैं और संपूर्ण अंकक्षण के दौरान पेशेवर संदेह बना रहता है। हमने-

- \* वित्तीय विवरणों में तात्त्विक गलत-विवरण, चाहे यह कपट से हो या गलती से हो, के जोखिमों की पहचान की और निर्धारण किया, उन अंकक्षण प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाई और निष्पादन किया जो उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी हैं और अंकक्षण साक्ष्य प्राप्त किए जो हमारी राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समुचित हैं। कपट के परिणामस्वरूप कारित तात्त्विक गलत-विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम गलती के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से उच्चतर होता है क्योंकि कपट में सांठ-गांठ, जालसाजी, जानबूझकर लोप, मिथ्या-निरूपण या आंतरिक नियंत्रण अभिभावी होना अंतर्लित हो सकता है।
- \* अंकक्षण के सुसंगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ उन अंकक्षण प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाने के लिए जो परिस्थितियों में समुचित हों अपितु न कि सत्ता के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता पर राय अभिव्यक्त करने के प्रयोजन के लिए प्राप्त की।
- \* प्रयुक्त की गई लेखा-संबंधी नीतियों की समुचितता और लेखा-संबंधी आकलनों की युक्तियुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटनों का मूल्यांकन किया।
- \* हमने अभिशासन का प्रभार रखने वालों के साथ, अन्य बातों के साथ-साथ, अंकक्षण की योजनाबद्ध व्याप्ति और समय के संबंध में और महत्वपूर्ण अंकक्षण निष्कर्षों को, जिनमें ऐसी कोई आंतरिक कमियां भी हैं जिसकी हमारे अंकक्षण के दौरान पहचान की गई, संप्रेषित भी किया।

### अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- क. हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार हमारे अंकक्षण के लिए आवश्यक थे।
- ख. हमारी राय में, संस्थान द्वारा सुसंगत विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार उचित बहियां रखी गई हैं।



- ग. जंहा तक कि हमारे द्वारा की गई इन बहियों, जिसमें हमारे द्वारा दौरा न किए गए आंचलिक कार्यालयों से प्राप्त विवरणियां/रिपोर्टें भी है, परीक्षा से प्रतीत होता है ।
- घ. इस रिपोर्ट में विचार किया गया तुलन-पत्र और आय-व्यय की विवरणी हमारे द्वारा दौरा न किए गए आंचलिक कार्यालयों से प्राप्त लेखा बहियों और विवरणियों से मेल खाते हैं।
- ङ हमारी राय में, पूर्वोक्त वित्तीय विवरण लेखा-संबंधी मानकों के अनुरूप हैं ।

द्वारा ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कं.  
सनद लेखाकार  
एफआरएन : 000038एन

हस्ता/-  
(अनिल के. ठाकुर)  
भागीदार  
एम. नं. : 088722

यूडीआईएन -20088722AAAAABI 1480

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 24 दिसम्बर, 2020





## भारतीय विधि संस्थान

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली - 110 001

### तुलन पत्र 31 मार्च 2020

		अनुसूची	
		31.03.2020 (Rs.)	31.03.2019 (Rs.)
<b>कोष के स्रोत</b>			
पूंजी परिसंपत्ति फंड	1	14,32,153	18,70,826
सामान्य निधि	2	12,12,34,213	12,51,94,323
यूजीसी से अनुदान योजना	3	3,08,66,527	3,47,66,837
विशिष्ट फंड	4	2,10,93,652	1,93,55,690
परियोजना निधि	5	-	5,86,084
वर्तमान देनदारियां	6	1,23,61,845	88,13,522
<b>TOTAL</b>		<b>18,69,88,390</b>	<b>19,05,87,282</b>

#### निधि के अनुप्रयोग

अचल संपत्तियां	7		
सकल ब्लॉक		11,57,29,063	11,43,85,034
घटाया: संचित मूल्यह्रास		8,62,79,803	8,08,42,871
शुद्ध ब्लॉक		2,94,49,260	3,35,42,163
केपिटल वर्क इन प्रोग्रेस		-	-
निवेश	8	12,51,17,772	12,12,11,308
मौजूदा परिसंपत्तियों, जमा और अग्रिम	9	3,24,21,358	3,58,33,811
<b>TOTAL</b>		<b>18,69,88,390</b>	<b>19,05,87,282</b>

खातों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और नोट्स 22

अनुसूची नंबर 1 के लिए 22 रूपों खातों का अभिन्न अंग

संलग्न तारीख के बारे में हमारी रिपोर्ट के अनुसार  
ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर और कंपनी  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
FRN: 000038N

हस्ता./- अनिल के ठाकुर साथी, चार्टर्ड अकाउंटेंट	हस्ता./- प्रो मनोज कुमार सिन्हा निदेशक	हस्ता./- श्रीनिवास चन्द्र पृष्ठी रजिस्ट्रार	हस्ता./- डॉ ए के वर्मा डिप्टी रजिस्ट्रार	हस्ता./- आशीष बावा मुख्य लेखाकार	हस्ता./-
---	--	---	--	--	----------

जगह: नई दिल्ली  
तारीख: 24 दिसंबर 2020



# भारतीय विधि संस्थान

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली - 110 001

## आय और व्यय खाता 31 मार्च 2020 को समाप्त

अनुसूची	वर्ष के अंत 31.03.2020 (Rs.)	वर्ष के अंत 31.03.2019 (Rs.)
<b>आय</b>		
सहायता अनुदान	10	3,00,00,000
किराया	11	1,45,02,282
फीस	12	1,74,60,785
परियोजना अनुदान	13	-
व्याज	14	72,44,141
पत्रिकाओं और अन्य प्रकाशनों की बिक्री	15	8,14,714
विविध आय	16	6,15,732
पुरानी देनदारियों लिखित बंद		-
आखरी बचा हुआ माल		16,79,023
<b>कुल ( 1 )</b>	<b>7,23,16,677</b>	<b>8,57,63,574</b>
<b>व्यय</b>		
वेतन और भत्ते	17	5,64,84,787
प्रशासनिक व्यय	18	1,27,22,315
जर्नल और प्रकाशन व्यय	19	22,12,842
व्याख्यान, सेमिनार और पाठ्यक्रम व्यय	20	22,90,485
परियोजना व्यय	21	-
अचल संपत्ति पर मूल्यह्रास	7	10,97,949
आरंभिक स्टॉक		14,68,409
<b>कुल ( 2 )</b>	<b>7,62,76,787</b>	<b>7,89,58,194</b>
<b>वर्ष के लिए अधिशेष / घाटा जनरल फंड में स्थानांतरित(i - ii)</b>	<b>(39,60,110)</b>	<b>68,05,380</b>

खातों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और नोट्स 22

अनुसूची नंबर 1 के लिए 22 रूपों खातों का अभिन्न अंग

संलग्न तारीख के बारे में हमारी रिपोर्ट के अनुसार

ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर और कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

FRN: 000038N

हस्ता./-

अनिल के ठाकुर  
साथी, चार्टर्ड एकाउंटेंट

हस्ता./-

प्रो मनोज कुमार सिन्हा  
निदेशक

हस्ता./-

श्रीनिवास चन्द्र पृथ्वी डॉ ए के वर्मा  
रजिस्ट्रार डिप्टी रजिस्ट्रार

हस्ता./-

आशीष बावा  
मुख्य लेखाकार

हस्ता./-

जगह: नई दिल्ली

तारीख: 24 दिसंबर 2020



## भारतीय विधि संस्थान

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली - 110 001

### प्राप्ति और भुगतान खाता (31 मार्च 2020)

	(Rs.)	31.03.2020 (Rs.)	(Rs.)	31.03.2019 (Rs.)
<b>प्राप्ति</b>				
विधि एवं न्याय मंत्रालय से अनुदान सहायता		3,00,00,000		4,00,00,000
यूजीसी से अनुदान		-		-
किराया		39,01,747		1,35,07,971
फीस		1,38,38,785		1,86,39,786
ब्याज		4,60,670		4,60,927
पत्रिकाओं और अन्य प्रकाशनों की बिक्री		8,14,714		3,68,935
विवेध आय		1,28,016		10,42,596
निर्दिष्ट फंड		3,26,204		55,000
वर्तमान देनदारियां		67,25,030		22,08,849
परियोजना अनुदान		2,95,400		17,79,211
निवेश		2,44,95,136		2,05,88,503
मौजूदा परिसंपत्तियां, जमा और अग्रिम		1,61,02,494		28,81,237
<b>प्रारंभिक शेष :</b>				
रोकड़	10,935		13,383	
बैंक में नकदी	1,89,26,515	1,89,37,450	1,00,22,977	1,00,36,360
<b>कुल</b>		<b>11,60,25,646</b>		<b>11,15,69,375</b>
<b>भुगतान</b>				
वेतन और भत्ते		4,09,27,165		4,40,10,432
प्रशासनिक व्यय		1,11,74,193		1,03,68,351
जर्नल और प्रकाशन व्यय		24,82,365		18,05,449
व्याख्यान, सेमिनार और पाठ्यक्रम व्यय		17,99,361		13,56,079
यूजीसी से अनुदान				37,28,946
परियोजना अनुदान		6,40,876		13,96,507
वर्तमान देनदारियां		1,92,15,727		1,76,81,597
अचल संपत्तियां		13,40,554		24,09,810
निवेश		2,00,00,000		30,00,000
मौजूदा परिसंपत्तियां, जमा और अग्रिम		59,26,776		68,74,754
<b>अंतिम शेष :</b>				
रोकड़	9,672		10,935	
बैंक में नकदी	1,25,08,957	1,25,18,629	1,89,26,515	1,89,37,450
<b>कुल</b>		<b>11,60,25,646</b>		<b>11,15,69,375</b>

ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर और कंपनी  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
FRN: 000038N

हस्ता./- हस्ता./- हस्ता./- हस्ता./- हस्ता./-  
अनिल के ठाकुर प्रो मनोज कुमार सिन्हा श्रीनिवास चन्द्र पृथ्वी डों ए के वर्मा आशीष बावा  
साथी, चार्टर्ड अकाउंटेंट निदेशक रजिस्ट्रार डिप्टी रजिस्ट्रार मुख्य लेखाकार

जगह: नई दिल्ली  
तारीख: 24 दिसंबर 2020

	31.03.2019	31.03.2020
<b>अनुसूची 1</b>		
<b>पूँजी संपत्ति फंड</b>		
	(Rs.)	(Rs.)
01.04.2016 की स्थिति के अनुसार शेष	18,70,826	23,78,830
कम: आस्तियों वर्ष के दौरान बंद लिखा	-	-
	18,70,826	23,78,830
कम: संचित मूल्यह्रास को हस्तांतरित	4,38,673	5,08,004
	<b>14,32,153</b>	<b>18,70,826</b>

	31.03.2020	31.03.2019
<b>अनुसूची - 2</b>		
<b>सामान्य निधि</b>		
	(Rs.)	(Rs.)
01.04.2019 की स्थिति के अनुसार शेष	12,51,94,323	11,83,88,943
जोड़ें : यात्रा सहायता कोष से हस्तांतरण		
जोड़ें : आय एवं व्यय खाते से राशि हस्तांतरित	(39,60,110)	68,05,380
	<b>12,12,34,213</b>	<b>12,51,94,323</b>

	31.03.2020	31.03.2019
<b>अनुसूची - 3</b>		
<b>यूजीसी से योजना अनुदान</b>		
	(Rs.)	(Rs.)
01.04.2019 पर शेष	3,47,66,837	4,39,45,515
जोड़ें : अनुदान वर्ष के दौरान प्राप्त	-	-
जोड़ें: आय एवं व्यय खाता हस्तांतरित राशि	-	-
जोड़ें: अप्रयुक्त अनुदान पर ब्याज		
कम: योजना व्यय साल के दौरान किए गए	14,40,331	
- अतिथि संकाय के लिए भुगतान	-	47,200
- प्रकाशन के डिजिटलीकरण	-	1,00,000
- संगोष्ठी व्यय और बैठक	-	7,33,802
- मरम्मत और रखरखाव का खर्च	-	17,79,661
-अचल संपत्ति पर मूल्यह्रास (योजना )	39,00,310	41,00,994
	<b>** 3,08,66,527</b>	<b>** 3,47,66,837</b>

\*\*

द्वारा प्रतिनिधित्व:

अचल संपत्ति में शेष (नेट बुक वैल्यू)

2,25,84,324

2,64,84,634

अग्रिम ( संदर्भ ले अनुसूची 9 - ई)

84,17,152

84,17,152

शेष राशि उपलब्ध एफडीआर में निवेश / ( अतिरिक्त राशि खर्च)

(1,34,949)

(1,34,949)

**3,08,66,527**
**3,47,66,837**



<u>अनुसूची - 4</u> <u>निर्दिष्ट फंड</u>	<u>31.03.2020</u>	<u>31.03.2019</u>
	(Rs.)	(Rs.)
आजीवन सदस्यता फंड		
01.04.2019 पर शेष	1,54,21,981	1,39,68,388
जोड़ें : व्याज / लाभांश निधि के निवेश पर	11,26,596	10,22,343
जोड़ें : शुल्क वर्ष के दौरान प्राप्त	3,26,204	4,31,250
कम: वर्ष के दौरान लौटाई राशि	-	-
<b>उप कुल (ए)</b>	<b>1,68,74,781</b>	<b>1,54,21,981</b>
सुलखना देवी फंड		
01.04.2019 पर शेष	5,54,678	5,18,219
जोड़ें : व्याज वर्ष के लिए फंड के निवेश पर	39,273	36,459
कम: सुलखना देवी मेमोरियल व्याख्यान के लिए किए गए व्यय	-	-
<b>उप कुल (बी)</b>	<b>5,93,951</b>	<b>5,54,678</b>
स्वर्ण पदक फंड		
01.04.2019 पर शेष	33,79,031	31,48,830
जोड़ें : व्याज / लाभांश निधि के निवेश पर	-	-
जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्त	2,45,889	2,30,201
कम: स्वर्ण पदक व्यय वर्ष के दौरान	-	-
<b>उप कुल (सी)</b>	<b>36,24,920</b>	<b>33,79,031</b>
<b>महायोग (ए + बी + सी)</b>	<b>2,10,93,652</b>	<b>1,93,55,690</b>

<u>अनुसूची - 5</u> <u>परियोजना धन</u>	<u>31.03.2020</u>	<u>31.03.2019</u>
	(Rs.)	(Rs.)
परियोजना - सामाजिक न्याय मंत्रालय	-	75,000
परियोजना - विदेश मंत्रालय	-	5,11,084
	-	<b>5,86,084</b>

<u>अनुसूची - 6</u> <u>चालू दायित्व</u>	<u>31.03.2020</u>	<u>31.03.2019</u>
	(Rs.)	(Rs.)
देय व्यय	84,83,642	60,60,533
सुरक्षा जमा	16,44,908	14,97,186
बयाना जमा	1,36,500	1,21,500
अन्य देनदारियां	20,96,795	11,34,303
	<b>1,23,61,845</b>	<b>88,13,522</b>



अनुसूची - 2															
अचल संपत्तियाँ															
विवरण	दर	सकल ब्लॉक				मूल्यहास				शुद्ध मूल संपत्तियाँ					
		01.04.2019 की स्थिति के अनुसार		वर्ष के दौरान इसके अलावा		31.03.2020 पर कुल		वर्ष के दौरान		31.03.2020 पर कुल		31.03.2020 पर		31.03.2019 पर	
		यूजीसी योजना अनुदान (Rs.)	अन्य अनुदान / स्वयं के धन (Rs.)	यूजीसी योजना अनुदान (Rs.)	अन्य अनुदान / स्वयं के धन (Rs.)	यूजीसी योजना अनुदान (Rs.)	अन्य अनुदान / स्वयं के धन (Rs.)	यूजीसी योजना अनुदान (Rs.)	अन्य अनुदान / स्वयं के धन (Rs.)	यूजीसी योजना अनुदान (Rs.)	अन्य अनुदान / स्वयं के धन (Rs.)	यूजीसी योजना अनुदान (Rs.)	अन्य अनुदान / स्वयं के धन (Rs.)	यूजीसी योजना अनुदान (Rs.)	अन्य अनुदान / स्वयं के धन (Rs.)
महत्वाधृत भूमि		-	57,894	-	57,894	-	-	-	-	-	-	-	57,894	-	57,894
	10%	1,80,10,836	55,13,771	1,80,10,836	55,13,771	47,36,763	27,18,106	13,27,407	2,79,567	60,64,170	29,97,673	1,19,46,666	25,16,098	1,32,74,073	27,95,665
	10%	-	5,000	-	5,000	-	3,063	-	194	-	3,257	-	1,743	-	1,937
	15%	91,08,883	25,00,984	91,08,883	25,00,984	52,11,175	16,39,558	5,84,655	1,29,214	57,95,830	17,68,772	33,13,053	7,32,212	38,97,708	8,61,426
	10%	88,97,670	12,01,464	88,97,670	14,56,634	37,42,662	7,42,889	5,15,502	69,325	42,58,164	8,12,214	46,39,506	6,44,420	51,55,008	4,58,575
	15%	5,59,264	14,87,158	5,59,264	4,43,594	4,24,597	11,58,755	20,200	82,531	4,44,797	12,41,286	1,14,467	6,89,466	1,34,667	3,28,403
	40%	1,71,15,959	2,69,49,004	1,71,15,959	2,73,58,269	1,52,14,663	2,53,74,415	7,60,519	7,88,708	1,59,75,182	2,61,63,123	11,40,777	11,95,146	19,01,296	15,74,589
	40%	90,60,007	74,33,270	90,60,007	76,69,270	75,63,263	74,23,871	5,98,700	50,960	81,61,963	74,74,831	8,98,044	1,94,439	14,96,744	9,399
	15%	25,18,428	24,75,678	25,18,428	24,75,678	19,02,162	18,95,693	92,440	86,997	19,94,602	19,82,690	5,23,826	4,92,988	6,16,266	5,79,985
	10%	-	28,518	-	28,518	-	17,471	-	1,105	-	18,576	-	9,943	-	11,048
15%	-	5,15,000	-	5,15,000	-	3,95,718	-	17,892	-	4,13,610	-	1,01,390	-	1,19,282	
उप कुल (ए)		6,52,71,047	4,81,67,742	-	13,44,029	3,87,95,285	4,13,69,539	38,99,423	15,06,493	4,26,94,708	4,28,76,032	2,25,76,339	66,35,739	2,64,75,762	67,98,203
निदेशक के आवास पर अचल संपत्तियाँ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15%	-	3,29,890	-	3,29,890	-	2,53,480	-	11,461	-	2,64,941	-	64,949	-	76,410
	10%	22,899	4,53,580	-	22,899	4,53,580	14,027	2,77,854	887	17,573	14,914	2,95,427	7,985	1,58,153	8,872
	15%	-	30,765	-	30,765	-	23,639	-	1,069	-	24,708	-	6,057	-	7,128
	60%	-	1,09,111	-	1,09,111	-	1,09,047	-	26	-	1,09,073	-	38	-	64
उप कुल (बी)		22,899	9,23,346	-	22,899	9,23,346	14,027	6,64,020	887	30,129	14,914	6,94,149	7,985	2,29,197	2,59,326
कुल लागत (ए + बी)		6,52,93,946	4,90,91,088	-	13,44,029	3,88,09,312	4,20,33,559	39,00,310	15,36,622	4,27,09,622	4,35,70,181	2,25,84,324	68,64,936	2,64,84,634	70,57,529

**अनुसूची - 8**  
**निवेश**

फंड के नाम	अनुसूचित बैंकों के साथ				यूटीआई के साथ		कुल	
	केनरा बैंक (Rs.)	यूको बैंक (Rs.)	बैंक ऑफ़ बड़ोदा (Rs.)	ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स (Rs.)	कुल (Rs.)	(Rs.)	31.03.2020 (Rs.)	31.03.2019 (Rs.)
<b>(क) जनरल फंड</b>								
फिक्स्ड डिपॉजिट में	-	8,09,87,410	2,20,17,595	-	10,30,05,005	-	10,30,05,005	10,05,58,327
		-	-	-	-	-	-	-
<b>(ख) निर्दिष्ट फंड</b>								
□ जीवन सदस्यता फंड	-	1,73,70,211	-	-	1,73,70,211	3,00,300	1,76,70,511	1,64,94,366
सुलखना देवी फंड	1,18,386	4,84,063	-	-	6,02,449	-	6,02,449	5,63,839
स्वर्ण पदक फंड	-	38,39,807	-	-	38,39,807	-	38,39,807	35,94,776
<b>TOTAL</b>	<b>1,18,386</b>	<b>10,26,81,491</b>		<b>-</b>	<b>12,48,17,472</b>	<b>3,00,300</b>	<b>12,51,17,772</b>	<b>12,12,11,308</b>

अनुसूची - 9		31.03.2020	31.03.2019
मौजूदा परिसंपत्तियाँ, जमा और अग्रिम		(Rs.)	(Rs.)
(ए) नकदी और बैंक बैलेंस			
रोकड़		4,300	6,493
डाक अग्रदाय		5,372	4,442
बैंक खातों की शेष:			
यूको बैंक खाता संख्या 9792		19,91,099	5,14,725
यूको बैंक खाता संख्या 257036		74,39,373	1,80,71,484
बैंक बड़ौदा खाता संख्या 13830100006557		30,74,611	3,27,860
केनरा बैंक खाता संख्या 2417101021884		1,000	1,000
यूको बैंक खाता संख्या 88227		2,874	11,445
		<b>1,25,18,629</b>	<b>1,89,37,449</b>
बी) प्रकाशन के समापन स्टॉक		<b>16,79,023</b>	<b>14,68,409</b>
सी) निवेश पर अर्जित ब्याज			
सामान्य निधि		21,24,087	23,26,491
सुलखना देवी फंड		13,985	13,322
आजीवन सदस्यता फंड		4,89,528	5,39,077
स्वर्ण पदक फंड		65,703	64,845
		<b>26,93,303</b>	<b>29,43,735</b>
(डी) प्राप्त राशि			
विधि एवं न्याय मंत्रालय		42,08,034	17,05,603
विदेश मंत्रालय		1,19,635	-
वित्त मंत्रालय		2,57,298	-
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग		1,78,873	-
परियोजना अनुदान प्राप्त		4,07,266	4,99,651
प्राप्त करने योग्य ब्याज		38,965	-
इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC)		34,965	-
टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (GST)		12,920	-
टीडीएस वसूली		11,90,934	11,85,067
स्टाफ से बिजली शुल्क		912	687
कैंटीन ठेकेदार		11,221	22,671
		<b>64,61,023</b>	<b>34,13,679</b>
(ई) जमा और अग्रिम			
सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम			
योजना फंड	84,17,152	84,17,152	
गैर-योजना फंड	31,919	31,919	84,49,071
कर्मचारियों को अग्रिम		24,404	1,500
दूसरों को अग्रिम			
योजना फंड	-	-	
गैर-योजना फंड	3,500	3,500	3,500
जमा		60,670	60,670
पूर्वदात व्यय		5,31,735	5,55,798
		<b>90,69,380</b>	<b>90,70,539</b>
भट्ट कुल (ए + बी + सी + डी + ई)		<b>3,24,21,358</b>	<b>3,58,33,811</b>



	वर्ष के अंत 31.03.2020	वर्ष के अंत 31.03.2019
<b>अनुसूची - 10</b>		
<b>सहायक अनुदान</b>		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)

अनुदान सहायता विधि एवं न्याय मंत्रालय से प्राप्त	3,00,00,000	4,00,00,000
--	-------------	-------------

	3,00,00,000	4,00,00,000
--	-------------	-------------

<b>अनुसूची - 11</b>		
<b>किराये की आय</b>		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 आधिकारिक भाषा विंग - कानून एवं न्याय मंत्रालय	51,19,320	51,19,320
2 केन्द्रीय एजेंसी - कानून एवं न्याय मंत्रालय	77,52,192	77,52,192
3 कैटीन	1,84,042	1,31,102
4 एनेक्सी और बैठक कमरे	14,46,728	13,15,475
	<b>1,45,02,282</b>	<b>1,43,18,089</b>

<b>अनुसूची - 12</b>		
<b>फीस और सदस्यता</b>		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम	73,18,175	82,80,580
2 एलएलएम कोर्स	32,30,750	32,93,300
3 पीएच.डी. कोर्स	3,61,000	4,37,500
4 प्रवेश प्रक्रिया शुल्क (डिप्लोमा / एलएलएम / पीएचडी)	36,22,000	36,00,000
5 ऑनलाइन आईपीआर कोर्स	8,60,350	11,13,400
6 ऑनलाइन साइबर लॉ कोर्स	17,84,150	14,15,200
7 लाइब्रेरी फीस	74,272	1,10,346
8 भर्ती आवेदन शुल्क	87,041	1,79,460
9 सदस्यता शुल्क - साधारण सदस्य	1,23,047	3,26,875
	<b>1,74,60,785</b>	<b>1,87,56,661</b>

<b>अनुसूची - 13</b>		
<b>परियोजना आय</b>		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 परियोजना - विदेश मंत्रालय	-	11,13,127
2 परियोजना - DCPCR	-	92,385
3 परियोजना - NHRC	-	5,95,979
4 परियोजना - वक्फ बोर्ड	-	80,000
5 परियोजना - CIC	-	5,79,500
	-	<b>24,60,991</b>

	वर्ष के अंत 31.03.2020	वर्ष के अंत 31.03.2019
<b>अनुसूची - 14</b>		
<b>प्राप्त ब्याज</b>		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 जनरल फंड निवेश पर ब्याज	67,44,505	69,15,572
2 बचत बैंक खातों पर ब्याज	4,99,636	4,60,946
	<b>72,44,141</b>	<b>73,76,518</b>

<b>अनुसूची - 15</b>		
<b>जर्नल और अन्य प्रकाशन की बिक्री</b>		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 वार्षिक सर्वेक्षण	1,20,620	1,43,950
2 जर्नल आय	5,42,917	1,48,240
3 प्रकाशन आय	1,51,037	76,285
4 न्यूजलेटर आय	140	460
	<b>8,14,714</b>	<b>3,68,935</b>

<b>अनुसूची - 16</b>		
<b>विविध आय</b>		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 फोटोस्टेट / कंप्यूटर प्रिंटिंग प्रभार	83,869	1,42,759
2 रॉयल्टी	17,924	7,794
3 परियोजना प्रशासन प्रभार	4,86,944	6,97,786
4 डिप्लोमा प्रमाणपत्र प्रभार	12,000	15,800
5 सदस्यता पहचान पत्र कार्ड शुल्क	6,180	5,200
6 पुरानी परियोजनाओं से आय	-	36,000
7 अन्य	8,815	1,08,632
	<b>6,15,732</b>	<b>10,13,971</b>

	वर्ष के अंत 31.03.2020	वर्ष के अंत 31.03.2019
<b>अनुसूची - 17</b>		
<b>वेतन और भत्ते</b>		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 वेतन और भत्ते	4,61,07,221	4,47,21,869
2 भविष्य निधि में अंशदान	45,84,025	43,27,104
3 ग्रेजुएटी व्यय एलआईसी के लिए भुगतान	22,72,197	46,37,212
4 एलआईसी के लिए भुगतान किया नकदीकरण व्यय	10,01,420	26,70,513
5 एलटीसी के साथ नकदीकरण	50,000	1,92,692
6 डीए बकाया	4,62,478	3,16,258
7 एलटीसी / एचटीसी व्यय	77,222	10,26,665
8 ग्रुप मेडिकलेम प्रीमियम	8,37,465	6,48,839
9 चिकित्सा के खर्चे	3,059	-
10 स्टाफ को मानदेय	9,700	60,500
11 बाल शिक्षा भत्ता	10,80,000	11,38,500
	<b>5,64,84,787</b>	<b>5,97,40,152</b>

<b>अनुसूची - 18</b>		
<b>प्रशासनिक व्यय</b>		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 यात्रा और वहन	2,31,746	4,57,490
2 सुरक्षा सुविधाएँ	25,77,718	23,23,015
3 हाउसकीपिंग और आउटसोर्सिंग व्यय	33,33,413	22,76,227
4 बिजली और जल	21,31,001	17,45,775
5 टेलीफोन और फैक्स	1,04,880	1,11,529
6 फोटोस्टेट, मुद्रण और स्टेशनरी	5,79,611	5,75,194
7 डाक और स्टाम्प	1,56,986	2,81,949
8 बीमा	2,97,830	84,518
9 जलपान	1,05,187	1,61,384
10 सांविधिक लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक	60,000	60,000
11 आंतरिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक	2,30,000	2,00,000
12 कानूनी और व्यावसायिक खर्च	26,800	37,700
13 सदस्यता शुल्क	86,580	85,580
14 मरम्मत एवं रखरखाव	18,33,684	7,60,454
15 स्टाफ के लिए वर्दी	60,000	60,000
16 स्टाफ कार व्यय	58,771	52,796
17 अखबार प्रतिपूर्ति व्यय	1,62,150	1,73,050
18 टेलीफोन प्रतिपूर्ति व्यय	1,29,036	1,61,393
19 भर्ती व्यय	2,82,428	2,07,989
20 कर्मचारी प्रशिक्षण व्यय	84,179	2,27,362
21 लाइब्रेरी बुक बंधन प्रभार	36,805	29,322
22 विविध	1,53,510	1,45,910
	<b>1,27,22,315</b>	<b>1,02,18,637</b>

	वर्ष के अंत 31.03.2020	वर्ष के अंत 31.03.2019
<b>अनुसूची - 19</b>		
<b>जर्नल / प्रकाशन व्यय</b>		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 पत्रिका खर्च	4,37,422	6,43,957
2 प्रकाशन / वार्षिक सर्वेक्षण / डिजिटलीकरण व्यय	5,41,418	6,80,693
3 न्यूजलेटर व्यय	1,23,153	2,83,599
4 पत्रिकाओं / डेटाबेस की सदस्यता	11,10,849	7,56,593
	<b>22,12,842</b>	<b>23,64,842</b>

<b>अनुसूची - 20</b>		
<b>व्याख्यान , सेमिनार और पाठ्यक्रम व्यय</b>		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 डिप्लोमा कोर्स व्यय	9,64,437	1,84,300
2 पीएच.डी. व्यय	63,000	61,715
3 एलएलएम कोर्स व्यय	5,78,034	1,28,296
4 ऑनलाइन आईपीआर कोर्स	24,000	88,226
5 ऑनलाइन साइबर लॉ कोर्स	24,000	1,10,725
6 संगोष्ठी व्यय और बैठक	5,37,014	6,32,209
7 ग्रीष्मकालीन कोर्स और सम्मेलन	-	4,71,145
8 छात्रवृत्ति	1,00,000	1,50,000
	<b>22,90,485</b>	<b>18,26,616</b>

<b>अनुसूची - 21</b>		
<b>परियोजना व्यय</b>		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 परियोजना - विदेश मंत्रालय	-	11,13,127
2 परियोजना - DCPCR	-	92,385
3 परियोजना - NHRC	-	5,95,979
4 परियोजना - वक्फ बोर्ड	-	80,000
5 परियोजना - CIC	-	5,79,500
	<b>-</b>	<b>24,60,991</b>

## भारतीय विधि संस्थान

अनुसूची - 22

### महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और लेखा संबंधी टिप्पण

#### (क) लेखा परिपाटी

- i. ये वित्तीय विवरणियां ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अधीन प्रोदभवमान आधार पर चालू संबंधित धारणा और साधारणतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों और लागू लेखा मानकों के अनुसार तैयार की गई हैं।
- ii. भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप लेखा विवरणियां तैयार करना प्राक्कलनों और धारणाओं को बनाने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है जिससे रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों और दायित्व तथा वित्तीय विवरणियों की तारीख को समाश्रित दायित्वों प्रभाव पड़ता है। वास्तविक परिणामों और प्राक्कलनों के बीच अंतरों को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिस वर्ष में परिणाम कार्यान्वित होते हैं।

#### (ख) लेखा नीतियां

1. (क) विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए अनुदानों से आय का परियोजनाओं के लिए उपगत खर्चों की सीमा तक गणना की जाती है। तथापि, अनुदान की खर्च से बची हुई राशि परियोजनाओं के पूरा होने पर आय के रूप में समायोजित की जाती है जब तक कि खर्च न की हुई राशि प्रत्यर्पणीय न हो जाए। अन्य अनुदान पावती के आधार पर आय के रूप में गणना किए जाते हैं।
  - (ख) किसी परियोजना के संबंध में अधिक खर्च की गई राशि वसूली योग्य दर्शाई जाती है।
  - (ग) शुल्क, एनेक्सी किराया और हालों से किराया नकद आधार पर गणना किया जाता है। तथापि, अग्रिम के तौर पर प्राप्त शुल्क भविष्य में समायोजित किए जाने के लिए आगे लिया जाता है।
  - (घ) वर्ष के दौरान पुस्तकालय के लिए क्रय किए गए जर्नल और इस दौरान प्राप्त किए गए साधारण सदस्यता अंशदान नकद आधार पर गणना में लिए जाते हैं।
  - (ङ) संस्थान के आय और व्यय लेखा के अन्य मद संभूति के आधार पर गणना में लिए जाते हैं।
  - (च) विनिर्दिष्ट निधियों से संबंधित निवेशों पर ब्याज क्रमिक निधियों में जमा की जाती है।
  - (छ) उपदान और छुट्टी नकदीकरण नीतियां भारतीय जीवन बीमा निगम से ली गई हैं और वार्षिक अभिदाय सुसंगत वर्ष में खर्च के रूप में गणना में लिए जाते हैं।
  - (ज) प्राप्त की गई आजीवन सदस्यता शुल्क और साधारण सदस्यता शुल्क और सदस्यता के प्रदान किए जाने के लिए लंबित हैं वह दायित्व समझते जाते हैं।
2. (क) नियत आस्तियों पर अवमूल्यन का 31 मार्च, 2010 तक उपबंध नहीं किया गया था और वर्ष के दौरान अभिप्राप्त नियत आस्तियों के खर्च पर समान राशि वर्ष के लिए अधिशेष में से समायोजित की गई थी और पूंजी आस्ति फंड में जमा की गई थी। तथापि, कार्यपालक समिति के विनिश्चय के अनुसार वार्षिक अवमूल्यन को आयकर अधिनियम 1961 में विहित दरों के



अनुसार 31 मार्च, 2011 में र्वा की समाप्ति पर संस्थान के नियत आस्तियों पर गणना किया गया था । जैसाकि विनिश्चय किया गया 31 मार्च, 2010 से पूर्व अभिप्राप्त नियत आस्तियों पर वार्षिक अवमूल्यन जो 2,30,74,958/- रुपए राशि थी को पूंजी आस्ति फंड में समायोजित किया जा रहा है और यही प्रक्रिया तब तक अनुसरण की जाएगी जब तक आस्तियों का पूर्ण रूप से अवमूल्यन न हो जाए और पूंजी आस्ति फंड निःशेष हो जाता है ।

(ख) एकल अवधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान से अभिप्राप्त आस्तियां भी नियत आस्तियों के रूप में पूंजीकृत की गई हैं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त योजना अनुदान से अभिप्राप्त नियत आस्तियां विश्वविद्यालय अनुदान से योजना अनुदान में समायोजित की गई हैं । (देखिए अनुसूची - 3)

3. पुस्तकालय पुस्तकों और पुस्तकालय में संदर्भ सामग्री के रूप में रखे जाने के लिए आशयित अन्य प्रकाशनों का मूल्य पूंजीकृत किए गए हैं ।
4. पुस्तकों और 01 अप्रैल, 2004 के पश्चात् प्रकाशित वार्षिक सर्वेक्षण का मूल्य और र्वा के अंत में बचे अविक्रीत को प्रकाशनों के बंद स्टॉक में सम्मिलित किया गया है ।

### (ख) लेखाओं संबंधी टिप्पण

1. भारतीय विधि संस्थान आयकर आयुक्त नई दिल्ली के कार्यालय द्वारा जारी किए गए पत्र सं. जेई-3(34)/62/8250 तारीख 9 जुलाई, 1974 द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12क के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है।
2. संस्थान महानिदेशक आयकर (छूट) , वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश सं. फा. सं. डीजीआईटी(ई)/10(23सी)(ज्छ)/2010-11/1579 तारीख 29 मार्च, 2011 द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23सी)(ध्)(ध्छ) के अधीन अनुमोदित है ।

इसके अतिरिक्त संस्थान पत्र सं. फा. सं. 203/75/2009/आईटीए- र्छ तारीख 28 जनवरी, 2010 के द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35(ते)(त्ते) के अधीन अधिसूचना सं. 5/2010 की मार्फत भी अनुमोदित है ।

3. र्वा 2001-2002 से 2018-2019 के लिए नई दिल्ली नगर निगम द्वारा संपत्ति कर के रूप में रु. 4,09,62,027/- के लिए मांग का संस्थान द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रतिवाद किया गया है जिसमें र्वा 2018 19 के लिए रु. 23,13,750/- सम्मिलित है । आय और व्यय लेखा में इस निमित्त कोई प्रावधान नहीं किया गया है इसलिए इसके लिए एक आपातिक दायित्व है।
4. संस्थान ने भारतीय जीवन बीमा निगम से छुट्टी नकदीकरण और समूह उपदान के लिए बीमा पॉलिसी ली है । क्रमिक फंडों के लिए किए गए अभिदाय और/या संदाय के लिए अवधारित राशि खर्च के रूप में गणना में ली गई हैं ।
5. संस्थान की किराय आय और सदस्यता सब्सक्रिप्शन पर जीएसटी लागू है और तदनुसार संस्थान ने दिनांक 28 मई, 2019 को जीएसटी के अधीन पंजीकृत किया है । संस्थान ने अपनी किराया संबंधी सेवाओं और सदस्यता सब्सक्रिप्शन पर जुलाई, 2019 से जीएसटी प्रभारित करना आरंभ किया है और तदनुसार संस्थान ने जीएसटी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जीएसटी जमा करना और मासिक आधार पर जीएसटी विवरणी फाइल करना आरंभ किया है ।



6. तारीख 31 मार्च, 2020 को 84,17,152/-रुपए की राशि (योजना फंड) और रु. 31,919/- (गैर योजना फंड) संस्थान द्वारा भवन के नवीनीकरण के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को अग्रिम के तौर पर दिया गया दर्शित किया गया है ।
7. प्रबंधतंत्र ने अपने वित्त पर पड़ने वाले कोविड-19 के असर का निर्धारण किया है और इसका कोई तात्त्विक असर नहीं है ।
8. पूर्व वा के आंकड़े जहां कहीं आवश्यक हैं पुनः व्यवस्थित/पुनः समूहीकृत किए गए हैं ।

प्रो० (डा) मनोज कुमार सिन्हा  
निदेशक

श्रीनिवास चंद्र प्रुष्टा  
रजिस्ट्रार

डा. ए. के. वर्मा  
उप रजिस्ट्रार

आशिष बावा  
मुख्य लेखाकार

स्थान - नई दिल्ली

तारीख - 24 सितम्बर, 2020





## INDIAN LAW INSTITUTE

### List of Available Publications

S. No.	Description of Publication	INR
	Rethinking Law and Violence (2020) -Dr. Jyoti Dogra Sood and Dr. Latika Vashist	##
	Bail : Law and Practice in India (2019) - Prof. Manoj Kumar Sinha and Dr. Anurag Deep	350.00 400.00
		Soft Bound Hard Bound
	Dispelling Rhetorics Law of Divorce and Gender Inequality in Islam (2019) - Prof. Manoj Kumar Sinha and Prof. Furqan Ahmad	500.00
	Law of Sedition in India and Freedom of Expression (2018) - Prof. Manoj Kumar Sinha and Dr. Anurag Deep	400.00
	IPR and Human Rights with Special Emphasis on India (2018) - Prof. Manoj Kumar Sinha and Ms. Jupi Gogoi	500.00
	Towards the Renaissance : Shibli and Maulana Thanvi on Sharia (2018) - Prof. Furqan Ahmad	600.00
	Emerging Competition Law (2017) - Prof. Manoj Kumar Sinha and Dr. Sushmita P. Mallaya	#
	Copyright Law in the Digital World : Challenges and Opportunities (2016) - Prof. Manoj Kumar Sinha and Dr. Vandana Mahalwar	*
	Environment Law and Enforcement : The Contemporary Challenges (2016) - Prof. Manoj Kumar Sinha, Prof. S.Sivakumar and Dr. Furqan Ahmad	480.00
	Legal Research Methodology -Prof. Manoj Kumar Sinha and Dr. Deepa Kharb (2016)	**
	Compendium of Bilateral and Regional Instruments for South Asia : International Cooperation in Criminal Matters Volume I & II (2015) – Digitized version is available on Institute's website	-
	A Treatise on Consumer Protection Laws - Updated version (2016)	700.00
	Directory of Law Colleges in India - Compiled by Prof. Manoj Kumar Sinha & Jupi Gogoi (2015)	200.00
	Broadcasting Reproduction Right in India: Copyright and Neighbouring Rights Issues' - Prof. S. Sivakumar and Dr. Lisa P. Lukose (2013)	300.00
	Services under the State (Revised and updated)	650.00
	Indian Legal System (Revised edition)	600.00
	Legislative Drafting Shaping the Law for the New Millennium (Revised and updated by T.K. Viswanathan)	600.00
	Digitized Version of the Journal of Indian Law Institute (1958-2014)	2000.00
	Digitized Version of the Annual Survey of Indian Law (1965 – 2013)	2000.00
	Disaster Management – Edited by Vishnu Konoorayar & Jaya V.S. (2006)	400.00
	Essays on the Indian Penal Code – revised by Prof. K.N. Chandrasekharan Pillai (2005)	400.00
	Legal Dimensions of Cyber Space - S.K. Verma and Raman Mittal (2004)	380.00
	Labour Law and Labour relations : Cases and Materials (revised) 2007 – Prof. S. C. Srivastava	425.00
	Prevention of Money Laundering – Legal and Financial Issues (2008) - Prof. K.N.C.Pillay and A. Francis Julian	275.00

Annual Survey of Indian Law 1997-98 & 1999 & 2000	400.00
2001	450.00
2002	450.00
2003 (Hard bound)	600.00
2004 (Hard bound)	600.00
2005 (Hard bound)	600.00
2006 (Hard bound)	600.00
2007 (Hard bound)	600.00
2008 (Hard bound)	600.00
2009 (Hard bound)	700.00
2010 (Hard bound)	700.00
2011 (Hard bound)	700.00
2012 (Hard bound)	700.00
2013 (Hard bound)	700.00
2014 (Hard bound)	700.00
2015 (Hard bound)	700.00
2016 (Hard bound)	700.00
2017 (Hard bound)	700.00
2018 (Hard Bound)	700.00
Journal of the Indian Law Institute (Quarterly)	
Vol. 43 Part I to IV (Annual Subscription) – 2001	350.00
Vol. 44 Part I to IV (Annual Subscription) – 2002	350.00
Vol. 45 Part I to IV (Annual Subscription) – 2003	350.00
Vol. 46 Part I to IV (Annual Subscription) – 2004	400.00
Vol. 47 Part I to IV (Annual Subscription) – 2005	400.00
Vol. 48 Part I to IV (Annual Subscription) – 2006	400.00
Vol. 49 Part I to IV (Annual Subscription) – 2007	400.00
Vol. 50 Part I to IV (Annual Subscription) – 2008	600.00
Vol. 51 Part I to IV (Annual Subscription) – 2009	700.00
Vol. 52 Part I to IV (Annual Subscription) – 2010	700.00
Vol. 53 Part I to IV (Annual Subscription) – 2011	700.00
Vol. 54 Part I to IV (Annual Subscription) – 2012	700.00
Vol. 55 Part I to IV (Annual Subscription) – 2013	700.00
Vol. 56 Part I to IV (Annual Subscription) – 2014	700.00
Vol. 57 Part I to IV (Annual Subscription) – 2015	700.00
Vol. 58 Part I to IV (Annual Subscription) – 2016	700.00
Vol. 59 Part I to IV (Annual Subscription) – 2017	700.00
Vol. 60 Part I to IV (Annual Subscription) – 2018	700.00
Vol. 61 Part I to IV (Annual Subscription) – 2019	700.00
Vol. 62 Part I to IV (Annual Subscription) – 2020	700.00
Index to Indian Legal Periodicals Bi-annual	
1987-1988	350.00
1990 & 1991	800.00
1992	300.00
1993-1996	800.00
1997-2000	800.00
2001	300.00
2002	300.00
2003	300.00
2006	300.00
2007	300.00
2008	300.00
2009	300.00
2010	300.00
2011	300.00
2012	300.00
2013	300.00
2014	300.00
2015	300.00
2016	300.00

\* Sale through Springer

\*\* Sale through Lexis Nexis

# Sale through Wolters Kluwer India(P) Ltd.

## Sale through Oxford University Press











Phones : 23387526, 23382190,  
23386321, 23389429  
Telefax : 011-23386321/ 23782140

E-mail: [ili@ili.ac.in](mailto:ili@ili.ac.in)  
Website: <http://www.ili.ac.in>